सेकी SECI

सूर्य सदैव SUN FOR EVER

चतुर्थ वार्षिक रिपोर्ट - 2014-15
4th Annual Report - 2014-15

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया
(भारत सरकार का उद्यम)

Solar Energy Corporation of India
(A Government of India Enterprise)

निदेशक मण्डल
BOARD OF DIRECTORS

उपेंद्र त्रिपाठी
अध्यक्ष
Upendra Tripathy
Chairman

डा. अश्विनी कुमार
प्रबंध निदेशक एवं निदेशक (सौर)
Dr. Ashvini Kumar
Managing Director & Director (Solar)

तरुण कपूर
निदेशक
Tarun Kapoor
Director

राकेश कुमार
निदेशक (विद्युत प्रणाली)
Rakesh Kumar
Director (Power Systems)

सी. कन्नन
निदेशक (वित्त)
C. Kannan
Director (Finance)

राजीव भारद्वाज
निदेशक (मानव संसाधन)
Rajeev Bhardwaj
Director (HR)

सेकी
SECI
सूर्य सदैव SUN FOR EVER

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया

(भारत सरकार का उद्यम)

Solar Energy Corporation of India

(A Government of India Enterprise)

विषय-सूची : CONTENTS

1. अध्यक्षीय संबोधन CHAIRMAN'S STATEMENT	02
2. बैठक संबंधी सूचना NOTICE OF MEETING	06
3. निदेशकों की रिपोर्ट DIRECTOR'S REPORT	12
4. सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट STATUATORY AUDITORS REPORT	26
5. नियंत्रक तथा महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां C&AG COMMENTS	29
6. निगमित अभिशासन पर रिपोर्ट REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE	30
7. वार्षिक रिपोर्ट का सार EXTRACT OF ANNUAL RETURN	35
8. सचिवालय लेखापरीक्षा रिपोर्ट SECRETARIAL AUDIT REPORT	47
9. तुलन पत्र BALANCE SHEET	53
10. आय और व्यय विवरण STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE	54
11. नकद प्रवाह विवरण CASH FLOW STATEMENT	55
12. वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां NOTE TO FINANCIAL STATEMENT	57

कंपनी सचिव	:	एस. के. गुप्ता
सांविधिक लेखापरीक्षक	:	सूद ब्रिज एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली
बैंकर्स	:	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एक्सिस बैंक केनरा बैंक
पंजीकृत कार्यालय	:	डी-3, प्रथम तल, विंग-ए, रेलिगेयर बिल्डिंग, डिस्ट्रिक्ट सेंटर साकेत, नई दिल्ली - 110017

Company Secretary	:	S. K. Gupta
Statutory Auditors	:	Sood Brij & Associates Chartered Accountants, New Delhi
Bankers	:	State Bank of India Union Bank of India Axis Bank Canara Bank
Registered office	:	D-3, 1st Floor, Wing-A, Religare Building, District Center, Saket, New Delhi - 100017

अध्यक्षीय संबोधन
CHAIRMAN'S STATEMENT

चतुर्थ वार्षिक आम सभा में अध्यक्षीय भाषण

प्रिय सदस्यगण,

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की आज दिनांक 12 अगस्त, 2015 को आयोजित चतुर्थ आम सभा में, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। वर्ष 2014–15 के लिए लेखापरीक्षकों और निदेशकों की रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षित वार्षिक लेखें आपको उपलब्ध कराए गए हैं और आपकी अनुमति से मैं यह कहना चाहूंगा कि इन्हें पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

आपकी कंपनी ने इस वर्ष बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है जिसके कारण कंपनी एक ऐसी सफलता के मुकाम पर पहुँच चुकी है जो कंपनी को प्रतिस्पर्धी व्यापार परिवेश की चुनौतियों से निपटकर ऊंचे मुकाम हासिल करने में सहायता देगा।

हाल का घटनाक्रम

मैं आप सभी को हाल ही में प्राप्त मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बारे में बधाई देना चाहता हूं जिसमें पवन, जैवभार (बॉयोमास), भू–तापीय, लघु हाइड्रो इत्यादि जैसे अन्य नवीकरणीय स्रोतों को कवर करने हेतु कंपनी (निगम) के कार्यों की परिधि को बढ़ाया गया है और इसके परिणामस्वरूप कंपनी को "भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा निगम लि." (रेकी) का नया नाम दिया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन कंपनी एक लाभ हानि रहित (not for profit) कंपनी से एक वाणिज्यिक कंपनी में परिवर्तित हो जाएगी। इसका तात्पर्य आपकी कंपनी के संबंध में यह है कि न केवल कंपनी की सौर ऊर्जा क्षेत्र में, बल्कि संपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) क्षेत्र में मजबूत मौजूदगी होगी। अतः यह कहा जा सकता है कि कंपनी को भारत के ऊर्जा भविष्य को ऊंचाईयों पर ले जाने तथा देश की ऊर्जा सुरक्षा को संरक्षित करने की एक व्यापक जिम्मेदारी सौंपी गई है।

वर्तमान केन्द्र सरकार ने 1,75,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा संस्थापनों का एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किया है जिसे वर्ष 2022 तक पूरा किया जाना है। इसमें से, ऊर्जा घटक सबसे बड़ा है। जिसके लिए लक्ष्य 100 गिगावाट रखा गया है। इसमें से 60 गिगावाट का लक्ष्य जमीनी स्तर पर तथा 40 गिगावाट रूफ–टॉप के लिए रखा गया है। इसके पश्चात, अन्य लक्ष्यों के अलावा, एक 60 मेगावाट क्षमता का पवन ऊर्जा लक्ष्य भी शामिल किया जाना है। यह लक्ष्य निश्चित रूप से हासिल किया जा सकता है, जैसा कि री–इनवेस्ट, 2015 के दौरान विभिन्न हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) की प्रतिबद्धता से देखा जा सकता है। हमारी यह प्रतिबद्धता अपने लिए, प्रकृति के लिए तथा हमारी भावी पीढ़ियों के लिए है और इसलिए यह हमसे अथक प्रयास करने की अपेक्षा रखती है। आपकी कंपनी देश की इस प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है।

CHAIRMAN'S SPEECH FOR 4TH AGM

Dear Members,

I extend a warm welcome to all of you to the 4th Annual General Meeting of Solar Energy Corporation of India being held today, the 12th of August, 2015. The audited annual accounts along with the report of Auditors and Directors' Report for the year 2014-15 are already with you and with your permission, I take them as read.

Your company has shown excellent performance this year and has embarked on a success-route that will take it to greater heights amidst the myriad business environment challenges.

Recent Developments

Let me first congratulate you all on the recent Cabinet approval for enlarging the scope of activities of the company to cover other renewable sources of energy viz. wind, biomass, geo-thermal, small hydro etc., and thereby renaming it as "Renewable Energy Corporation of India Ltd." (RECI). The company will also undergo conversion from a 'not for profit' to a commercial company under the Companies Act, 2013. What this means for your company is a stronger presence in not just the Solar power domain but also the entire Renewable Energy (RE) segment, thus assigning a huge responsibility in shaping India's energy future and in securing the nation's energy security.

The present Central Government has put forth an ambitious target capacity of 1,75,000 MW RE installations to be achieved by the year 2022. Of this, the solar component is the largest, targeting 100 GW, out of which 60 GW will be ground-based and 40 GW on roof-tops. This is followed by a significant capacity of 60 MW wind power to be added besides others. This target is certainly achievable, as demonstrated during commitments of various stakeholders during RE-Invest, 2015. It is a commitment to ourselves, to nature and to our future generations that makes it worth putting all our efforts into. Your company is geared up to play a key role in fulfilling this national commitment.

अक्षय ऊर्जा और इसकी महत्ता

विश्व ग्लोबल वार्मिंग (वैश्विक तापमान में वृद्धि) और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के दौर से गुजर रहा है, जो कि असंख्य लोगों के जीवन के लिए एक खतरा पैदा कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग जीवाश्म ईंधन (फॉसिल फ्यूल) को जला देने से उत्पन्न होता है और हमारा देश ऊर्जा उत्पादन के लिए इन पर काफी ज्यादा निर्भर रहता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था की गतिशीलता भी ज्यादातर जीवाश्म ईंधन आयातों के कारण राष्ट्र की भुगतान संतुलन स्थिति (बीओपी) पर दबाव बना रही हैं। नवीकरणीय ऊर्जा, विशेष रूप से सौर ऊर्जा, न केवल उनके पर्यावरण अनुकूल और चिरस्थाई गुणों के कारण, अपितु पारंपरिक ऊर्जा के साथ जीवन चक्र लागत प्रतिस्पर्धात्मकता के आधार पर भी ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए स्वयं को अंतिम समाधान के रूप में पेश करती है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सौर ऊर्जा उपभोक्ता और इच्छुक निवेशकों के मध्य एक पसंदीदा विकल्प बन गया है।

पिछले वर्ष की उपलब्धियां

आपकी कंपनी ने वर्ष 2014—15 में उल्लेखनीय प्रगति की है। सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपनी स्थापना से ही प्रगति की राह पकड़ी है और इसीलिए कंपनी ने अपने लेखाओं में व्यय की तुलना में 10.60 करोड़ रुपयों की आय तथा पोजिटिव नेटवर्थ (सकारात्मक पूंजी) अर्जित की है। जेएनएनएसएम चरण II बैच I के तहत 750 मेगावाट वीजीएफ योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया गया है, सौर ऊर्जा का अन्तर्राज्यीय कारोबार आरंभ हो चुका है, ग्रिड संबद्ध रूफटाप योजना को 60 मेगावाट से भी अधिक की समेकित क्षमता के साथ भौगोलिक तथा क्षमता—वार विस्तारित किया गया है, अनेक परामर्शी कार्यों को कार्यान्वित किया गया है और नए कार्यों को निष्पादित किया जा रहा है, जिनके परिणाम अगले 1—2 वर्ष में दिखाई देंगे।

हालांकि ऊंचे मुकाम हासिल करने की दिशा में यह मात्र एक शुरूआत है, पर इसने हमारी टीम के विश्वास को तथा देश के प्रति प्रतिबद्ध रहने के लिए एक स्फूर्तिकारक दिशा प्रदान की है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपकी कंपनी अपनी स्वंय निर्धारित परिसीमाओं व लक्ष्यों को पूरा करने में सफल होगी।

नए अवसर

पिछले वर्ष में नीति बनाने तथा उसके क्रियान्वयन दोनों में बहु स्तरों पर काफी ज्यादा बदलाव देखा गया है। नवीकरणीय ऊर्जा को मुख्य धारा से जोड़ा गया है, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। आने वाले समय में और भी अनेक लाभ आने हैं। उदाहरण के लिए नवीकरणीय क्रय बाध्यताओं (आरपीओ) में बढ़ोतरी की जा रही है और उनके अनुपालन भी कठोर हो गया है। एक नए आरई अधिनियम को रूपरेखा दी जा रही है। रियायती सीमा शुल्क संवर्धित मूल्यह्रास लाभ, कर छूट आदि जैसे अनेक राजकोषीय प्रोत्साहनों के अलावा, अन्य प्रोत्साहन, जैसे कि रूफटाप सौर परियोजनाओं के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र को दी जाने वाली ऋण स्थिति तथा उनका गृह — ऋण और गृह उन्नत ऋणों में समावेशन की भी व्यवस्था की जा रही है। यह ध्यान में रखते हुए की आरई संसाधनों का संतुलित रूप से वितरण नहीं होता है, पूरे देश में कथित संसाधनों से पावर का निर्वासन एक मुख्य चुनौती है। आरई पावर की आन्तरायिक प्रकृति के समाधान के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केन्द्रों (आरईएमसी), ग्रिड सुदृढ़ीकरण और संतुलनीय उपाय, बेहतर पूर्वानुमान तकनीकों आदि के अलावा, एक समर्पित 'हरित ऊर्जा कोरिडोर' परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

Renewable Energy and its Importance

The world is experiencing the adverse effects of global warming and climate change, which is becoming a survival threat for many people. This is caused by the burning of fossil fuels and our country is predominantly reliant on these for power generation. The dynamics of global economy are also pressurizing the nation's Balance of Payment (BoP) status, mostly through fossil fuel imports. Renewable energy, especially solar energy, presents itself as the ultimate solution to this crisis, both due to their environment-friendly and non-exhaustible characteristics, but also in terms of life-cycle cost competitiveness with conventional energy and in addressing energy security issues. It does not come as a surprise then that solar energy has become the preferred option amongst consumers and investors alike.

Past year highlights

Your company has shown remarkable evolvement in the year 2014-15. SECI has progressed past its initial formative years and has booked excess of income over expenditure of Rs. 10.60 crores in its accounts and a positive net worth. The 750 MW VGF scheme under JNNSM Phase II, Batch I has been successfully implemented, interstate trading of solar power has commenced, the Grid-connected Rooftop Scheme has expanded both geographically and capacity-wise with aggregate capacity of more than 60 MW and numerous consultancy assignments have been executed and are being undertaken, which will bear fruit in the next 1-2 years.

While this is just the beginning of a quest for greater heights, it has reinforced our belief in the team members and commitment towards the nation. I assure you that your company will be challenging its own limits time and again.

New opportunities

The year gone-by has witnessed massive changes at multiple levels, both on the policy formulation as well as the implementation front. Mainstreaming of Renewable energy has been achieved like never before. Going forth, many more changes are expected. For instance, Renewable Purchase Obligations (RPOs) are being revised upwards and their compliances are becoming stringent. A new RE Act is under formation. In addition to various fiscal incentives like concessional customs duty, Accelerated Depreciation benefits, tax holidays etc. other incentives such as priority sector lending status for rooftop solar projects and their inclusion in home-loans and home improvement loans are also being put in place. Keeping in view that RE resources are not evenly distributed, evacuation of power from such resources across the country poses major challenge. A dedicated 'Green Energy Corridor' project is under implementation besides Renewable Energy Management Centres (REMCs), grid strengthening and balancing measures, better forecasting techniques etc. to address the intermittent nature of RE

पावर वितरण क्षेत्र का पुनर्गठन भी विचाराधीन है ताकि इसे वित्तीय रूप से और अधिक लाभप्रद व व्यवहार्य बनाया जा सके। इन सभी उपायों और विचाराधीन उपायों से आरई क्षेत्र के लिए निवेश में तेजी आना तय है।

आज मुख्य ध्यान सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक लाभ लिए जाने पर दिया जा रहा है क्योंकि ग्रिड समानता से भविष्य का मार्ग तय नहीं किया जा सकता है। सौर ऊर्जा प्रशुल्क के पहले से ही छः रुपये से कम (सब–सिक्स) के दायरे में होने तथा कुछ क्वार्टरों में 5 रुपये तक पहुंच जाने के कारण सौर ऊर्जा की लागत – प्रतिस्पर्धात्मक होनी निश्चित है। अनेक सौर पार्कों और अल्ट्रा – मेगा सौर परियोजनाओं से (जिनमें से कुछ विश्व की विशाल क्षमताओं को एक ही स्थान पर लाकर खड़ा कर देंगी) इस क्षेत्र के विकास में और गति आने की उम्मीद है जिसके फलस्वरूप प्रशुल्क में गिरावट आ सकती है। इस बात को छोड़कर, यह प्रसन्नता का विषय है कि दूसरी ओर सौर ऊर्जा बाजार बढ़ रहा है।

विकेंद्रीकृत सौर क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और यह विशेषकर दूर–दराज के क्षेत्रों में साथ–साथ आगे बढ़ रहा है। जैसे – जैसे रूफटाप और ऑफ – ग्रिड परियोजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ रही है, इसी प्रकार यह क्षेत्र एक प्रबल भावी बाजार के रूप में उभरकर आएगा। ऐसा वर्ष 2022 तक परिकल्पित 100 गिगावाट सौर क्षमता में से 40 गिगावाट की रूफटाप क्षमता के लक्ष्य में परिलक्षित है।

भावी चुनौतियां

समस्त क्वार्टरों (तिमाहियों) में एक उत्साह जैसा वातावरण महसूस करने के बावजूद, सौर ऊर्जा उपयोग के लिए कुछ चुनौतियां फिर भी बनी हुई हैं। सामान्य जागरूकता के अभाव के अलावा, पावर निर्वातन तथा भुगतान सुरक्षा चिंता के विषय हैं, जैसा कि भूमि की उपलब्धता तथा घरेलू वित्त पोषण के मामले में है। तथापि, सरकार इन चिंताओं व चुनौतियों से निपटने के लिए अनेक दिशाओं में कार्य कर रही है जिनके शीघ्र ही परिणाम दिखाई देंगे।

सेकी के लिए परिदृश्य

आपकी कंपनी के लिए भविष्य काफी अच्छा दिखाई पड़ता है। सेकी ने वर्ष 2020 तक स्वयं की सौर परियोजनाओं की 1000 मेगावाट क्षमता को संस्थापित करने की प्रतिबद्धता की है, जिसमें से 10 मेगावाट की पहली परियोजना वर्तमान वित्त वर्ष में चालू होने की उम्मीद है। जेएनएनएसएम वीजीएफ योजनाओं के तहत बोलीकरण (बिडिंग) का अगला दौर जारी है, अर्थात चरण II बैच III के तहत 2000 मेगावाट और उत्तरोत्तर बैचों के तहत एक अन्य 5000 मेगावाट परियोजना। एमएनआरई (नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय) द्वारा सब्सिडी सहायता के साथ 750 मेगावाट रूफटाप क्षमता को तथा बिना सब्सिडी के 500 मेगावाट रूफटाप क्षमता को शामिल करने की मंजूरी दे दी गई है। जिसका कार्यान्वयन विभिन्न व्यवसाय मॉडलों के तहत किया जाना है। आपकी कंपनी ने स्वयं के लिए पिछले वर्ष के 11.97 करोड़ रुपयों की तुलना में, वित्त वर्ष 2015–16 में 300 करोड़ रुपये का कर पूर्व लाभ कमाने का काफी ऊंचा लक्ष्य रखा है जिसे हासिल करने के लिए सेकी की टीम हर संभव प्रयास कर रही है।

power. Restructuring of the power distribution segment is also on the anvil to make it more financially viable. All of these measures and more, are going to stimulate the investment-appetite for the RE sector.

The focus today is more on tapping solar energy optimally as grid parity is no longer a distant dream. With solar power tariffs already in the sub-six rupees range and approaching Rs. 5 per unit in some quarters, cost-competitiveness of solar power is getting established. The numerous solar parks and ultra-mega solar projects, some of which would bring the world's largest capacities at a single location, are further going to accelerate the sector's development and resultant tariff fall. With this descent, the solar energy market is also expanding.

The decentralised solar sector also has a huge potential and is simultaneously picking up, especially in the remote areas. As awareness about rooftop and off-grid projects is spreading, this segment will become a potent future market. This is reflected in the target of 40 GW of roof-top capacity out of the 100 GW solar capacity envisaged by 2022.

Challenges Ahead

In spite of the enthusiasm being witnessed across all quarters, a few challenges for solar energy utilisation do remain. Besides lack of general awareness, power evacuation and Payment security are still cause for concern, as are availability of land and domestic financing. However, the Government is working on many fronts to mitigate these concerns, and results are expected to be visible soon.

Outlook for SECI

For your company, the way forward seems to be very bright. SECI has committed itself to setting up 1000 MW of its own solar projects by 2020, of which the first project of 10 MW is expected to get commissioned in the current financial year. We will endeavour to surpass our target. Further rounds of bidding under JNNSM VGF schemes are underway, viz. 2000 MW under Phase II, Batch III, and another 5000 MW under subsequent batches. 750 MW rooftop capacity addition with subsidy support and 500 MW rooftop without subsidy has also been sanctioned by MNRE to be implemented under different business models. Your company has given itself a substantially higher target of earning a profit before tax of Rs.300 Crore in FY 2015-16 as compared to the Rs.11.97 Crore of the previous year, and SECI team is making all efforts to achieve the same.

आभार

इस अवसर पर मैं भारत सरकार, विशेष रूप से नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, राज्य सरकारों, केन्द्रीय एवं राज्य विनियामक आयोगों, राज्य नोडल एजेंसियों, हमारे सम्मानित साझेदारों तथा ग्राहकों के सहृदय समर्थन और विश्वास के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके बिना आपकी कंपनी ने उस तरह प्रगति नहीं की होती, जैसी की उसने की है। मैं सभी पूर्णकालीन निदेशकों सहित सेकी के सभी कर्मियों का कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने "सूरज सदैव उगता है" के सपने को साकार करने के लिए समर्पित और अथक प्रयास किए हैं।

धन्यवाद,

आपका,

(उपेन्द्र त्रिपाठी)
अध्यक्ष
डी.आई.एन. 2942700

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12 अगस्त, 2015

Acknowledgement

I take this opportunity to express my sincere gratitude to the Government of India, especially the Ministry of New and Renewable Energy, the State Governments, Central and State Regulatory Commissions, State Nodal Agencies, our valued partners and clients for their whole-hearted support and confidence, without whom your company would not have progressed as it has. I am also grateful to all employees of SECI, including all Functional Directors for their dedication and relentless efforts in making the dream of "Sun Forever" come true.

Thanking you,

Yours sincerely,

(Upendra Tripathy)
Chairman
DIN 2942700

Place : New Delhi
Date : 12th August, 2015

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की चौथी वार्षिक आम सभा 12 अगस्त, 2015 (बुधवार) को 16.30 बजे सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पंजीकृत कार्यालय, डी–3, पहली मंजिल, विंग–ए, रेलीगेयर बिल्डिंग, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110017 में होनी निश्चित हुई है।

सामान्य कार्य

1. 31 मार्च, 2015 को स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र और इसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के आय और व्यय का विवरण तथा उन पर निदेशक मंडल और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें अंगीकार करना।
2. वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए मैसर्स एल. डी. सरोगी एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में पारिश्रमिक निर्धारित करना।

विशेष कार्य

मद सं. 1

कंपनी के नाम में परिवर्तन

विशेष संकल्प के रूप में इस पर विचार करना और यदि यह उपयुक्त समझा जाता है तो संशोधन (नों) के साथ या उनके बिना पारित करना :

''**संकल्प पारित किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 4 और धारा 13 और अन्य उपबंधों, यदि कोई हों, और कंपनी (निगमीकरण) नियम, 2014 के अनुसरण में, कंपनी के मौजूदा नाम को बदल कर 'रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड' या 'आर. ई. सी. आई. लिमिटेड' या ऐसा कोई नाम, जो कंपनी रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा द्वारा अनुमोदित किया जाए, रखने के लिए एतद्द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है।''

''**यह संकल्प भी पारित किया जाता है कि** कंपनी के अनुमोदित नए नाम को संगत करने के लिए संगम ज्ञापन और संस्था के अन्तर्नियमों में उपयुक्त रूप से संशोधन किया जाए''

''**यह संकल्प भी पारित किया जाता है कि** उक्त संकल्प को क्रियान्वित करने के लिए, निदेशक मंडल अथवा निदेशक मंडल द्वारा अधिकृत कंपनी का निदेशक/अधिकारी सदस्यों के अनुमोदन के लिए उन्हें कोई और संदर्भ दिए बिना कंपनी अधिनियम के अधीन सभी औपचारिकताएं पूरी करेगा और इसके लिए यथापेक्षित सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।''

मद सं. 2

कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन मौजूदा धारा 8 कंपनी (कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन धारा-25 कंपनी) सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का धारा-3 कंपनी में परिवर्तन

विशेष संकल्प के रूप में इस पर विचार करना और यदि यह उपयुक्त समझा जाता है तो संशोधन (नों) के साथ या उनके बिना पारित करना :

NOTICE

Notice is hereby given that Fourth Annual General Meeting of Members of the Solar Energy Corporation of India is scheduled to be held on 12th August, 2015 (Wednesday) at 16.30 hrs at the Registered office of Solar Energy Corporation of India, D-3, Ist Floor, Wing-A, Religare Building, District Centre, Saket, New Delhi – 110017.

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the audited Balance Sheet as at 31st March 2015 and Statement of Income and Expenditure for the financial year ended on that date together with Report of the Board of Directors and Auditors thereon.
2. To fix the remuneration of M/s. L D Saraogi & Co., Chartered Accountants as Statutory Auditors for the Financial Year 2015-16.

SPECIAL BUSINESS

ITEM NO.1

CHANGE OF NAME OF THE COMPANY

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), as a Special Resolution:

"**RESOLVED THAT** pursuant to Section-4 and Section-13 and other applicable provisions of the Companies Act 2013, if any, and Company (Incorporation) Rules 2014, approval be and is hereby accorded for change of existing name of the Company to RENEWABLE ENERGY CORPORATION OF INDIA LIMITED or RECI LIMITED or such name as may be approved by the Registrar of Companies, NCT of Delhi and Haryana".

"**RESOLVED FURTHER THAT** Memorandum of Association and Articles of Association be suitably modified to consist with the approved new name of the Company".

"**RESOLVED FURTHER THAT** to give effect to the Resolution, Board of Directors or the authorised Director/Officer of the Company by the Board to observe all the formalities under the Companies Act and submit all necessary documents as may be required thereto without making any further reference to the Members for their approval."

ITEM NO.2

CONVERSION OF SOLAR ENERGY CORPORATION OF INDIA PRESENTLY SECTION-8 COMPANY UNDER THE COMPANIES ACT 2013 (SECTION-25 COMPANY UNDER THE COMPANIES ACT 1956) INTO SECTION-3 COMPANY

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), as a Special Resolution:

''**संकल्प पारित किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 4 और अन्य लागू उपबंधों, यदि कोई हों, और कंपनी (निगमीकरण) नियम, 2014 के अनुसरण में, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के दिनांक 15 जुलाई, 2015 के पत्र संख्या 30/04/2011-12/एनएसएम (वाल्यूम II) द्वारा दिए गए निदेशों के अनुपालन में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा-25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-8) के अधीन निगमीकृत है, को धारा 3 कंपनी में परिवर्तित करने के लिए एतद्द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है।''

''**यह संकल्प भी पारित किया जाता है कि** संगम ज्ञापन और संस्था के अन्तर्नियमों में परिवर्तन किए जाएं, जैसेकि सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं।''

''**यह संकल्प भी पारित किया जाता है कि** उक्त संकल्प को क्रियान्वित करने के लिए, निदेशक मंडल अथवा निदेशक मंडल द्वारा अधिकृत कंपनी का निदेशक/अधिकारी सदस्यों के अनुमोदन के लिए उन्हें कोई और संदर्भ दिए बिना कंपनी अधिनियम के अधीन सभी औपचारिकताएं पूरी करेगा और इसके लिए यथापेक्षित सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।''

मद सं. 3

प्रदत्त पूंजी और निर्बंध आरक्षित निधियों से अधिक धनराशि उधार लेना

विशेष संकल्प के रूप में इस पर विचार करना और यदि यह उपयुक्त समझा जाता है तो संशोधन (नों) के साथ या उनके बिना पारित करना :

''**संकल्प पारित किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ग) के उपबंधों और अन्य लागू उपबंधों, यदि कोई हों, और उसके अंतर्गत बनाए गए संगत नियमों, जिसमें उनमें किए गए कोई सांविधिक संशोधन या पुनः अधिनियमन शामिल हैं, के अध्यधीन, किसी समिति सहित निदेशक मंडल (जिसे इसके बाद बोर्ड कहा गया है) को, जब कभी आवश्यक हो, बिना किसी सीमा सहित किसी बैंक और/अथवा अन्य वित्तीय संस्था और/ अथवा विदेशी ऋणदाता और/अथवा किसी कारपोरेट निकाय/संगठन/संगठनों और/अथवा प्राधिकरण/प्राधिकरणों और/अथवा क्रेडिट आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से, किन्हीं अन्य प्रतिभूतियों या लिखत द्वारा रुपए में या किसी अन्य विदेशी मुद्रा में, जिसकी कानून द्वारा समय-समय पर अनुमति दी जाए, और जो बोर्ड द्वारा उपयुक्त समझी जाए, कुल 2700 करोड़ रुपए (केवल दो हजार सात सौ करोड़ रुपए) से अनधिक धनराशि उधार लेने के लिए एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है।

''**यह संकल्प भी पारित किया जाता है कि** उपर्युक्त के संबंध में अनुमोदन, सांविधि, संविदात्मक अथवा अन्यथा अनुमोदन प्राप्त करने के लिए यथावश्यक कार्रवाई करने और इनसे उत्पन्न और सम्बद्ध सभी मामलों का निपटान करने, और कंपनी के किसी निदेशक अथवा अधिकारी को कंपनी की ओर से हस्ताक्षर करने और विलेखों, आवेदनों, दस्तावेजों तथा कागज़ात, जो अपेक्षित हों, पर हस्ताक्षर करने और सामान्यतया ऐसे सभी कार्य, विलेख, मामलों पर कार्रवाई करने, कृत्य करने, जो इस संकल्प को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक, उपयुक्त, समयोचित या आनुषंगिक हों, अधिकृत करने के लिए निदेशक मंडल को एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है।''

"**RESOLVED THAT** pursuant to Section-4 and other applicable provisions of the Companies Act 2013, if any, and Company (Incorporation) Rules 2014, approval be and is hereby accorded for conversion of Solar Energy Corporation of India which is incorporated under section-25 of Companies Act 1956 (now Section-8 of Companies Act 2013) to Section-3 Company, in compliance with the directions of the Ministry of New and Renewable Energy conveyed vide their letter No. 30/04/2011-12/NSM (Vol.II) dated 15th July 2015.

"**RESOLVED FURTHER THAT** approval be and is hereby accorded for changes in Memorandum of Association and Articles of Association as placed before the Members".

"**RESOLVED FURTHER THAT** to give effect to the Resolution, Board of Directors or the authorised Director/Officer of the Company by the Board to observe all the formalities under the Companies Act and submit all necessary documents as may be required thereto without making any further reference to the Members for their approval."

ITEM NO.3

TO BORROW MONIES BEYOND PAID UP CAPITAL & FREE RESERVES

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), as a Special Resolution:

"**RESOLVED THAT** subject to the provisions of Section 180 (1) (c) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and relevant rules made thereto including any statutory modifications or re-enactments thereof, the Board of Directors (hereinafter referred to as the Board), including any committee be and are hereby authorized to borrow money, as and when required, from, including without limitation, any Bank and/or other Financial Institution and/or foreign lender and/or any body corporate/entity/entities and/or authority/ authorities and/ or through suppliers credit, any other securities or instruments, either in rupees or in such other foreign currencies as may be permitted by law from time to time, as may be deemed appropriate by the Board for an aggregate amount not exceeding Rs. 2700 Crores (Rupees Two Thousand seven hundred Crores Only).

FURTHER RESOLVED THAT the Board of Directors be and is hereby authorized to take such steps as may be necessary for obtaining approvals, statutory, contractual or otherwise, in relation to the above and to settle all matters arising out of and incidental thereto, and authorise a Director or Officer of the Company to sign and to execute deeds, applications, documents and writings that may be required, on behalf of the Company and generally to do all such acts, deeds, matters and things as may be necessary, proper, expedient or incidental for giving effect to this resolution."

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में विवरण

मद सं. 1

कंपनी के नाम में परिवर्तन

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने अपने दिनांक 15 जुलाई, 2015 के पत्र सं. 30/04/2011-12/एनएसएम (वाल्यूम II) द्वारा कंपनी का नाम सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से बदल कर रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड करने के लिए केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन की सूचना दी है। इस पत्र की प्रति अनुबंध के रूप में सलंग्न है।

तदनुसार, मंत्रालय के निर्देशों को प्रस्तुत करते हुए कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय को एक आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया जाता है। कंपनी के नाम में परिवर्तन कंपनी के उद्देश्यों में परिवर्तन हो जाने के कारण है। वर्तमान में, कंपनी सौर ऊर्जा से संबंधित कार्य कर रही है। सरकार ने निदेश दिया है कि कंपनी को सौर ऊर्जा के अलावा अन्य अपारंपरिक कार्यकलाप भी आरम्भ करने चाहिएं। अतः उद्देश्यों में वृद्धि के अनुरूप नाम में परिवर्तन करने का प्रस्ताव किया जाता है।

किसी भी निदेशक अथवा केएमपी का इस संकल्प में कोई हित नहीं है।

मद सं. 2

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन धारा 8 कंपनी है, का धारा 3 कंपनी में परिवर्तन

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने दिनांक 15 जुलाई, 2015 के पत्र सं. 30/04/2011-12/एनएसएम (वाल्यूम II) द्वारा कंपनी के उद्देश्यों में परिवर्तन करने और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन धारा 8 कंपनी है, को धारा 3 कंपनी में परिवर्तित करने के लिए केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन की सूचना दी है।

इस पत्र की प्रति अनुबंध के रूप में संलग्न है।

कंपनी के उद्देश्यों में परिवर्तन होने के साथ, कंपनी जो अब तक सौर विकास का कार्य कर रही है, अब पवन उर्जा, बायो-गैस आदि जैसी अन्य अपारम्परिक ऊर्जाओं के संबंध में भी कार्य करेगी और इस प्रकार इससे व्यवसाय के अवसरों में वृद्धि होगी तथा आने वाले समय में राजस्व में भी वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त, कंपनी धारा-25 कंपनी (अब कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन धारा-8) अर्थात "लाभ के लिए नहीं" के रूप में पंजीकृत थी। केन्द्रीय सरकार के निर्देशों के अनुसार, कंपनी को धारा-3 कंपनी अर्थात "वाणिज्यिक उद्देश्यों के साथ" के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। इसके फलस्वरूप, जहाँ अपेक्षित था, वाणिज्यिक व्यवसाय के उद्देश्यों के साथ कंपनी के उपबंध संस्था के अन्तर्नियमों में शामिल कर लिए गए हैं।

किसी भी निदेशक अथवा केएमपी का इस संकल्प में कोई हित नहीं है।

Statement pursuant to section 102 of the Companies Act 2013

ITEM NO.1

Change of Name of the Company

The Ministry of New and Renewable Energy, Government of India, New Delhi, vide letter no.30/04/2011-12/NSM (Vol.II) dated 15th July 2015 conveyed approval of Central Government for Change of name of Company from Solar Energy Corporation of India to Renewable Energy Corporation of India Limited. A copy of the communication is placed at annexure.

Accordingly, it is proposed to make an application to the Ministry of Corporate Affairs submitting the directions of the Ministry. The change in the name of the Company is due to change in the objects of the company. Presently, the Company is engaged in Solar Energy activities. The Government directed that the Company should also undertake other non-conventional energies, apart from solar energy. Thus to suit the enhanced objects, the change in the name is proposed.

None of the Directors or KMP are interested in the Resolution.

ITEM NO.2

Conversion of Solar Energy Corporation of India which is a Section-8 Company under the Companies Act 2013 in to Section-3 Company.

The Ministry of New and Renewable Energy, Government of India, New Delhi, vide letter no.30/04/2011-12/NSM (Vol.II) dated 15th July 2015 conveyed approval of Central Government for change in the objects of Company and conversion of Solar Energy Corporation of India which is a Section-8 Company under the Companies Act 2013 in to Section-3 Company.

A copy of the communication is placed at annexure.

With the change in Objects the Company, the Company which is hither to engaged in solar development would also pursue now other non-conventional energies such as wind energy, bio-gas etc., thus, leading to expansion in the business opportunities and also increased revenues in the times to come. Further the Company was Registered as a Section-25 Company (now Section-8 under Companies Act 2013) i.e. not-for-profit. As per the directions of the Central Government, the Company will be converted to Section-3 Company i.e. with commercial objects. As a result, the provisions of Company with commercial business objects have been incorporated in the Articles of Association wherever required.

None of the Directors or KMP are interested in the Resolution.

मद सं. 3
उधार लेने की शक्तियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ग) के अनुसार, कंपनी की कुल प्रदत्त पूंजी और उसकी निर्बंध आरक्षित निधियों से अधिक कंपनी द्वारा उधार लेने के लिए कंपनी के शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है। सेकी आगामी वर्षों में स्वयं द्वारा संस्थापित की जाने वाली कई परियोजनाएं आरंभ करने की योजना बना रही है। वित्तीय वर्ष 2015-16 और वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान इन परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए दीर्घकाल के लिए धनराशि की आवश्यकता है, जैसाकि सेकी के दिनांक 21 जुलाई, 2015 के पत्र द्वारा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को ये प्रस्तुत की गई हैं, जो निम्नानुसार हैं :—

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	परियोजना की कुल लागत	इक्विटी निधियन	दीर्घकालिक ऋण / उधार की कुल आवश्यकता	विश्व बैंक से वित्त पोषण	अन्य स्रोत (बैंक / वित्तीय संस्थाएं / बॉंड आदि)
1.	कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में 500 मेगावाट (@ करोड़ रुपए प्रति मेगावाट की दर से)	3000	900*	2100	2100*	0
2.	ग्रिड से संबंधित परियोजनाओं के मामले में प्रत्येक 10 मेगा वाट क्षमता के साथ और रूफटाप परियोजनाओं के मामले में 500 किलोवाट तक विद्युत के साथ 100 मेगावाट (7.5 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट की दर पर औसत लागत)	750	225	525	-	525
3.	राजस्थान में 10मेगावाट (7 करोड़ रुपएप्रति मेगावाटकी दरपर) सौर विद्युत परियोजना	70	21	49	-	49

ITEM NO.3
BORROWING POWERS

As per Section 180 (1) (c) of the Companies Act, 2013, borrowings by the Company beyond the aggregate of the paid up capital of the company and its free reserve requires approval from the shareholders of the Company. SECI is planning to undertake a number of projects to be set up by itself in the coming years. The Long Term Fund requirements for setting up these projects during the Financial Year 2015-16 and FY 2016-17, as submitted to MNRE vide SECI letter dated 21st July, 2015 are mentioned hereunder:-

(Rs. In Crores)

S. No	Particulars	Total Project Cost	Equity funding	Total long term loans/ debt Requirement	World Bank Financing	Other Sources (Banks/ Financial Institutions /Bonds Etc.)
1.	500 MW (@ Rs. 6 crs per MW) Solar Power Project in the States of Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana	3000	900*	2100	2100*	0
2.	100 MW (average cost @ Rs. 7.5 Crs. per MW) Grid connected/Roof Top Solar Power Projects with a capacity of 10MW each in case Grid connected Projects and upto 500KW in case of Rooftop Projects	750	225	525	-	525
3.	10 MW (@ Rs. 7 Crs. per MW) Solar Power Project in Rajasthan	70	21	49	-	49

4.	काज़ा में 2.5 मेगावाट सौर पवन बैटरी एकीकृत परियोजना और कारगिल / लेह में 1.5 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना	20 (भारत सरकार के अनुदान के माध्यम से अतिरिक्त 20 करोड़ रुपए)	06	14	-	14
	कुल	3840	1152	2688	2100	588

*विश्व बैंक के ऋण के लिए, आवश्यकता के अनुसार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय / भारत सरकार से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। इस संबंध में, सेकी ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वह सेकी के तुलन पत्र को संतुलित करने के उद्देश्य से विश्व बैंक के ऋण को आंशिक रूप से इक्विटी (30 प्रतिशत) और आंशिक रूप से ऋण (70 प्रतिशत) के लिए अनुमति प्रदान करे। यह मामला नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से आर्थिक मामले विभाग / वित्त मंत्रालय के साथ भी उठाया जा रहा है।

तदनुसार, यह प्रस्ताव अनुमोदन के लिए सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत है।

किसी भी निदेशक अथवा केएमपी का इस संकल्प में कोई हित नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

(एस. के. गुप्ता)
कंपनी सचिव

नई दिल्ली
12 अगस्त, 2015

टिप्पणी :

बैठक में भाग लेने और मत देने का हकदार सदस्य अपनी बजाय बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए प्रोक्सी को नियुक्त करने का हकदार है और प्राक्सी का कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। प्रोक्सी फार्म संलग्न है।

4.	2.5 MW Solar Wind Battery integrated Project at Kaza & 1.5 MW capacity Solar Project at Kargil / Leh	20 (additional Rs.20 Crs. through GoI grant)	06	14 -		14
	Total	3840	1152	2688	2100	588

*For World Bank loan, necessary approval shall be obtained from MNRE/ GOI as per the requirements. In this regard, SECI has requested MNRE to route the World Bank Loan partly as equity (30%) and partly as Loan (70%) in order to leverage and strengthen the balance sheet of SECI. The matter is also being taken up with DEA / MoF through MNRE.

Accordingly, the proposal is placed before the Members for approval.

None of the Directors or KMP are interested in the Resolution.

By Order of the Board of Directors

(S.K. Gupta)
Company Secretary

New Delhi
12th August, 2015

NOTE:

A Member entitled to attend and vote at the Meeting is entitled to appoint proxy to attend and vote instead of himself/herself and proxy need not be a Member of the Company. A proxy form is enclosed.

प्रॉक्सी फार्म

मैं / हम ....
सुपुत्र / सुपुत्री ....
निवासी ....
ऊपर उल्लिखित कंपनी का / के सदस्य होने के नाते एतद्द्वारा ......
..............................सुपुत्र / सुपुत्री ....
.... निवासी ....को
अथवा उनकी अनुपस्थिति में ....
सुपुत्र / सुपुत्री .... निवासी ......
.... को कंपनी की 12 अगस्त, 2015 (बुधवार) को 16.30 बजे होने वाली चौथी वार्षिक आम सभा में या उसके किसी स्थगन के बाद होने वाली सभा में मेरे / हमारे और मेरी / हमारी तरफ से मत देने हेतु अपने प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता / करती हूँ / करते हैं।

.... 2015 के .... दिवस को हस्ताक्षरित।

....
हस्ताक्षर

टिप्पणी :

प्रॉक्सी फार्म अवश्य वापस किया जाना चाहिए और यह उपर्युक्त बैठक के आयोजित करने के समय से 48 घंटे या अधिक समय पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में पहुँच जाना चाहिए। प्रॉक्सी के लिए कंपनी का शेयरधारक होना जरूरी नहीं है।

PROXY FORM

I/We..
S/o ....
In the district of ....
being a member of the above named company hereby appoint .... S/o .... in the district of .... Or failing him / her .... S/o .... In the district of .... as my proxy to vote for me and on my behalf at the 4th Annual General Meeting of the Company to be held on the 12th August, 2015 (Wednesday) at 16.30 hrs. and at any adjournment there of.

Signed this .... day of ...., 2015.

....
Signature

Note :

The proxy form must be returned so as to reach the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time for holding the aforesaid meeting. The Proxy need not be a shareholder of the Company.

निदेशकों की रिपोर्ट 2014–15

प्रिय सदस्यगण,

निदेशकों को लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरण, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी की चतुर्थ वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

जैसा कि आपको जानकारी है कि आपके निगम की स्थापना जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम) के तहत निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के उद्देश्य से सौर ऊर्जा क्षेत्र को विकसित करने के लिए की गई थी, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आपकी कंपनी ने इस दिशा में प्रदायगी की दृष्टि से काफी प्रगति की है।

कंपनी के लिए वित्त वर्ष 2014–15 एक उल्लेखनीय वर्ष रहा है क्योंकि यह पहला वर्ष है जिसमें कंपनी ने लाभ कमाया है। अनेक समनुदेशनों / कार्यों / परियोजनाओं, जिन्हें पूर्ववर्ती वर्षों में परिकल्पित किया गया था, को इस वर्ष में पूरा किया गया है। अपसारित व्यवसाय क्षेत्रों को समेकित किया गया है और उनका क्रियान्वयन शुरू हो चुका है। वर्ष के दौरान किए गए क्रियाकलापों की कुछ प्रमुख उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं :

- पहली बार व्यय की तुलना में 10.60 करोड़ रूपयों का अधिक लाभ कमाया गया है।
- मार्च, 2015 तक जेएनएनएसएम चरण II, बैच I की 750 मेगावाट वीजीएफ योजना के तहत 130 मेगावट परियोजनाओं को चालू किया गया है।
- सेकी सौर ऊर्जा के बड़े पैमाने पर अंतर्राज्यीय कारोबार को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने में कामयाब रहा है, इस प्रकार का विशाल अंतर्राज्यीय कारोबार देश में पहली बार परिकल्पित किया गया था।
- सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए टर्नकी समाधान के रूप में परियोजना प्रबंधन परामर्श हेतु अनेक मुख्य कार्य प्राप्त किए गए हैं : इरेडा के लिए 50 मेगावाट, टीएचडीसी के लिए 250 मेगावाट, (जिसे चरणों में कार्यान्वित किया जाना है) सीआईएल के लिए 1000 मेगावाट (जिसे चरणों में क्रियान्वित किया जाना है)।
- सेकी की संयुक्त उद्यम कंपनियों के समावेशन के लिए आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में राज्य नामित एजेंसियों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं : जेवीसी को आंध्र प्रदेश राज्य में समावेशित किया गया है।
- जेएनएनएसएम चरण I बैच II के तहत सेकी द्वारा 10 मेगावाट सौर पीवी संयंत्र का क्रियान्वयन एमएनआरई का, इस संबंध में, अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात शीघ्र शुरू हो चुका है। यह परियोजना सेकी की अपने स्वामित्व की पहली सौर ऊर्जा परियोजना होगी।
- भारत – पाकिस्तान सीमा पर सौरीकरण पर प्रायोगिक परियोजना आरंभ हो चुकी है और 5 मेगावाट को राजस्थान में स्थापित किए जाने हेतु परियोजना की स्थापना का कार्य सौंप दिया गया है।
- ग्रिड संबद्ध रूफटाप योजना के तहत 13 मेगावाट की परियोजना को चालू कर दिया गया है।

DIRECTORS' REPORT 2014-15

Dear Members,

Your Directors are pleased to present the Fourth Annual Report of the Company for the year ended in 31st March 2015, along with the Audited Statement of Accounts, Report of Auditors and Comments of Comptroller and Auditor General of India.

As you are aware that your Corporation was established for the development of the solar energy sector with a view to fulfil the goals set under the Jawaharlal Nehru National Solar Mission (JNNSM), you would be glad to know that your Company has made significant progress in delivering to this end.

The year 2014-15 has been a turn-around Year for the company as the first year in which profit has been booked. Maturing of several assignments/works/projects that had been conceptualized in the earlier years has been achieved in this year. Divergent business areas have been consolidated and implementation has begun. Some of the major highlights of the activities during the year are as follows:

- For the first time, excess of income over expenditure of Rs. 10.60 crore has been registered.
- 130 MW projects have been commissioned under the 750 MW VGF Scheme of JNNSM Phase II, Batch I by the end of March 2015.
- SECI could implement successfully large scale interstate trading of Solar Power envisaged at such a scale for the first time in the country.
- Several major assignments for Project Management Consultancy as a turnkey solution for setting up solar power projects have been secured: 50 MW for IREDA, 250 MW for THDC (to be implemented in Phases), 1000 MW for CIL (to be implemented in Phases).
- MoUs have been signed for incorporation of JV Companies of SECI with State Designated Agencies in the States of Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Kerala, Karnataka and Uttar Pradesh: JVC has been incorporated in the State of Andhra Pradesh.
- Implementation of 10 MW Solar PV plant by SECI under JNNSM Phase I, Batch II has started soon after MNRE approval obtained for the same. This project would be the SECI' first owned solar power project.
- Pilot project on Solarization of Indo-Pak Border has been kick started and 5 MW project has been awarded to be set up in Rajasthan.
- 13 MW has been commissioned under the Grid Connected rooftop Scheme.

- 2.5 मेगावाट प्रायोगिक सौर–पवन मिश्रित संयंत्र चालू हो चुका है, जोकि देश में इस प्रकार की पहली परियोजना है, परियोजना का क्रियान्वयन सेकी द्वारा एचपीएसईबी के साथ संयुक्त रूप से किया जाएगा।
- एमएनआरई ने सेकी द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के तहत केन्द्रीय वित्तीय सहायता की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 290.40 करोड़ रूपये जारी किए हैं।
- विभिन्न तकनीकी परामर्शी कार्य (व्यवहार्यता अध्ययन, डीपीआर तैयार करने, स्वामियों के लिए अभियांत्रिकी, परियोजना प्रबंधन परामर्श आदि) पूरे किए गए हैं।
- झारखण्ड में 400 सौर स्ट्रीटलाइटें संस्थापित की गईं।
- आपकी कंपनी ने वार्षिक लक्ष्यों हेतु एमएनआरई के साथ अपने पहले एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।

वित्तीय निष्पादन

वित्त वर्ष 2014–15 के लिए कंपनी के वित्तीय निष्पादन की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2013-14
प्रदत्त शेयर पूंजी	103.35	42.00
आबंटन होने तक शेयर आवेदन राशि	8.65	15.00
आरक्षित एवं अधिशेष	0.65	(–)9.94
शेयर धारक निधि	112.65	47.06
कुल आय	40.10	6.10
आय से अधिक लाभ	10.60	(–)2.85
प्रति इक्विटी शेयर आय (मूल)	135.36	(–)78.38

कंपनी के व्यवसाय और वित्तीय निष्पादन में पर्याप्त सुधार हुआ है जिसके फलस्वरूप वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान संचयी घाटों से उबरकर कंपनी ने निवल लाभ कमाया है।

परियोजना विकास

1. जेएनएनएसएम चरण–I के तहत 10 मेगावाट की सेकी की परियोजना

बड़े कार्यों के दायरे में आपकी कंपनी सौर उत्पादन परियोजनाओं की स्थापना को एक क्रियाकलाप मानती है, जो दीर्घावधि आधार पर वित्तीय स्थायीत्वता प्रदान करता है। इसी ध्यान में रखते हुए जेएनएनएसएम के तहत एक 10 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजन शुरू कर दी गई है। राजस्थान के जोधपुर जिले के अंतर्गत बाड़ी सिड गांव में परियोजना स्थल को चिन्हित कर लिया गया है। ऊर्जा के निष्क्रमण के लिए राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटि से कनेक्टिविटी हेतु व्यवहार्यता प्राप्त कर ली गई है। परियोजना की तकनीकी रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया गया है और तकनीकी विनिर्देशनों और आरएफएस दस्तावेजों को तैयार कर परियोजना की विस्तृत डिजाइनिंग का कार्य भी आरंभ हो चुका है। एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम (एनवीवीएन) के साथ पावर क्रय करार पर 25 वर्षों की अवधि के लिए लागू सीईआरसी शुल्क पर, जो वर्ष 2015–16 के लिए 7.04 रूपये प्रति किलोवाट हैं, हस्ताक्षर किए जाएंगे। परियोजना की स्थापना ईपीसी द्वारा की जाएगी, जिसे प्रतिस्पर्धात्मक बोलीकरण के माध्यम से चयनित किया जाएगा। परियोजना से प्रति वर्ष 1.66 मिलियन सौर ऊर्जा यूनिटें उत्पादित करने की उम्मीद है, जिसे वर्ष 2015–16 में चालू किए जाने की योजना है।

- Implementation of 2.5 MW pilot Solar-Wind hybrid plant has started which is one of its kind project in the country; the project would be implemented by SECI jointly with HPSEB.
- MNRE has released Rs. 290.40 crores to meet requirements of Central Financial Assistance under various schemes being implemented by SECI.
- A number of technical consultancy assignments (feasibility studies, DPR preparation, owners' engineering, project management consultancy etc.) have been completed.
- 400 solar streetlights were installed in Jharkhand.
- Your company has signed its first MoU with the MNRE for annual targets.

FINANCIAL PERFORMANCE

The highlights of the Financial Performance of the Company for the FY 2014-15 are as under:

(₹ in Crore)

Particulars	2014-15	2013-14
Paid up Share Capital	103.35	42.00
Share application money pending allotment	8.65	15.00
Reserve & Surplus	0.65	(-)9.94
Share Holder Funds	112.65	47.06
Total Revenue	40.10	6.10
Excess of Income over expenditure	10.60	(-)2.85
Earning per Equity share (basic) (Rs. per share)	135.36	(-)78.38

There has been substantial improvement of business and financial performance of the company resulting into wiping out of the cumulative losses and earning Net profit of the company during the Financial Year 2014-15.

PROJECT DEVELOPMENT

1. SECI Project of 10 MW under JNNSM Phase I

Amongst its wide-ranging activities, your company considers setting up solar generation projects as an activity providing financial sustainability on long-term basis. To begin with, implementation of a 10 MW Solar Power Project under JNNSM has started. The project site has been identified at village Badi Sid, district Jodhpur, Rajasthan. Feasibility for connectivity for evacuation of power has been obtained from the state transmission utility. Technical configuration of the project has been firmed up and detailed designing has started along with preparation of technical specifications and RfS documents. Power purchase agreement would be signed with NTPC Vidyut Vyapar Nigam (NVVN) at applicable CERC tariff for a period of 25 years, which is Rs. 7.04 per kWh for the year 2015-16. The project will be set up by an EPC selected through competitive bidding. The project is likely to generate 1.66 million units of solar power annually and is planned to be commissioned during 2015-16.

2. व्यवहार्यता अंतराल निधियन के साथ 750 मेगावाट एसपीवी ग्रिड – संबद्ध परियोजनाएं

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम) के तहत देश में सौर ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने में भूमि सतह आधारित ग्रिड संबद्ध सौर परियोजनाएं एक स्तंभ हैं। सौर ऊर्जा को सस्ती तापीय ऊर्जा के साथ मिश्रित करने की प्रक्रिया विधि के साथ एक प्रयोग करने के पश्चात जे एन एन एस एम के चरण I के दौरान इसे खरीददार यूटिलिटियों के लिए आकर्षित बनाए जाने के उद्देश्य से, भारत सरकार 5.50 प्रति किलोवाट के पूर्व निर्धारित शुल्क पर सौर ऊर्जा का उत्पादन करने हेतु विकासकों को व्यवहार्यता अंतराल निधियन उपलब्ध कराने के सिद्धांत के आधार पर चरण II के तहत पहली योजना लाई और आपकी कंपनी को इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एक केन्द्रक (नोडल) एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

पहले बैच में 750 मेगावाट क्षमता का लक्ष्य रखा गया था, जिसे खुले स्रोतित और घरेलू विनिर्मित ऊर्जा इकाइयों एवं मॉड्यूलों के बीच समान रूप से विभाजित किया गया था। इस योजना के तहत, विकासकों को 25 वर्षों के लिए 5.45 रूपये प्रतियूनिट के निर्धारित प्रशुल्क का भुगतान किया जाएगा और विभिन्न डिस्काम को 5.50 रूपये प्रति यूनिट पर विद्युत की आपूर्ति की जाएगी जिसमें आपकी कंपनी के लिए प्रति यूनिट 05 पैसे का कारोबारी मार्जन भी शामिल रहेगा।

आर एफ एस प्रकाशित हुआ और निवेशकों से जबरदस्त प्रत्युत्तर मिला है क्योंकि बोलिया 2170 मेगावाट क्षमता के लिए प्राप्त की गई, जो कि लक्ष्य क्षमता से तीन गुणा अधिक है। सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार योजना का क्रियान्वयन करने हेतु अनेक दस्तावेजों, अर्थात विकासकों के साथ ऊर्जा क्रय अनुबंध क्रय प्रदाताओं/इकाइयों के साथ ऊर्जा करार (पीएसए) तथा वीजीएफ सुरक्षाकरण करार (वीजीएफएसए) समयबद्ध रूप से तैयार किए गए। सम्यक तत्परता करने के पश्चात 700 मेगावाट क्षमता के साथ 45 परियोजनाओं के लिए ऊर्जा क्रय करार (पीपीए) पर हस्ताक्षर किए गए हैं, क्योंकि शेष 50 मेगावाट क्षमता के लिए कोई भी विकासक आगे नहीं आया और उनकी बैंक गारंटी (प्रतिभूति) जब्त कर ली गई। इन परियोजनाओं को पूर्ण होने के लिए 28 अप्रैल, 2015 तक का समय दिया गया था, अर्थात पीपीए पर हस्ताक्षर होने की तारीख से 13 माह का समय। 130 मेगावाट की संचयित क्षमता के साथ 10 परियोजनाओं ने 31 मार्च, 2015 तक निर्धारित समय से पहले चालू होने की सूचना दी है। इस योजना की एक अन्य विशेषता यह है कि इसे पूर्ववर्ती जेएनएनएसएम योजना से अलग करके सौर ऊर्जा का बड़े पैमाने पर अंतर्राज्यीय हस्तांतरण करने को बढ़ावा देना है। आपकी कंपनी ने इस चुनौती को बड़े सफलतापूर्वक पूरा किया और कंपनी मेजबान राज्यों से लेकर क्रेता राज्यों तक अपेक्षित दीर्घावधि खुली पहुंच का क्रियान्वयन करने में सफल रही।

3. ग्रिड संबद्ध रूफटाप योजना

इस उच्च क्षमताशील सौर पीवी क्षेत्र की खुली प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया को लाने में अपनी तरह की पहली पहल के रूप में आपकी कम्पनी एक नोडल एजेन्सी के रूप में एमएनआरई की अग्रणी रूफटाप योजनाओं को लागू कर रही है। योजना के लक्ष्यों में सरकारी/पीएसयू भवनों, शैक्षणिक संस्थानों तथा अस्पतालों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, औद्योगिक इकाइयों, भण्डारगृहों/शीत भण्डारण तथा अन्य के साथ आवासीय क्षेत्र की छतों पर ग्रिड संबद्ध छतोपरि सौर पीवी परियोजनाओं की स्थापना करना शामिल है। सृजित सौर ऊर्जा का उपयोग अधिकांशतः कैप्टिव (स्वैच्छिक) अनुप्रयोग और डीजल की खपत को कम करने के लिए किया जाता है और अधिशेष ऊर्जा ग्रिड को उपलब्ध कराई जाती है।

2. 750 MW SPV grid-connected projects with Viability Gap Funding

Ground surface based grid connected solar power projects are the pillar of adding solar capacity in the country under Jawaharlal Nehru National Solar Mission (JNNSM). After experimenting with the mechanism of bundling of solar power with cheap thermal power to make it attractive to buying Utilities during Phase 1 of JNNSM, the Government of India brought out first scheme under Phase II of the mission based on the concept of providing viability gap funding to the developers to generate solar power at pre-determined tariff of Rs. 5.50 per kWh and your company has been designated as the nodal agency for implementing these schemes.

First batch targeted 750 MW capacity, equally distributed between open sourced solar cells and modules and those with domestically manufactured. Under this scheme, developers would be paid a fixed tariff of Rs. 5.45 for 25 years, and power would be supplied to various Discoms at Rs. 5.50 per unit, inclusive of trading margin of 5 paisa per unit to your company.

RfS was published and got overwhelming response of investors as bids were received for 2170 MW capacity, about three times of the target capacity.In order to implement the scheme as per Government guidelines, various documents, such as, power purchase agreements (PPAs) with developers, power sale agreements (PSAs) with buying Utilities/ entities, VGF securitization agreements (VGFSA) were developed in time bound manner. After carrying out due diligence, PPAs have been signed for 45 projects with 700 MW capacity as the developers for the balance 50 MW capacity did not come forward and their bank guarantees got forfeited. These projects were given time for completion by 28 April 2015, 13 months from the date of signing of PPAs. 10 projects with cumulative capacity of 130 MW has reported early commissioning by 31st March, 2015. Another hallmark of this scheme separating it from earlier JNNSM schemes is promoting large scale interstate transfer of solar power. Your company quite successfully met this challenge and could operationalize the required long-term open access from host states to buying states.

3. Grid Connected Roof-top Scheme

Your company is implementing flagship roof-top scheme(s) of MNRE as a Nodal Agency, one of the first initiatives in bringing open competitive bidding process to this high potential solar PV segment. The scheme targets installation of grid connected rooftop solar PV projects on the roofs of Government/PSU buildings, educational institutions & hospitals, commercial establishments, industrial entities, warehouses/cold storages and residential sector among others. The generated solar power is utilized mostly for captive application and to mitigate diesel consumption and the surplus power is fed to the grid.

आपकी कम्पनी को वित्तीय वर्ष 2013–14 तथा वित्तीय वर्ष 2014–15 में क्रमशः लगभग 26 मेगावाट (चरण–I,II,III) तथा 50 मेगावाट (चरण–IV) की कुल क्षमता मंजूर की गई थी। सफल वेंडरों को कुल आवंटित क्षमता 60 मेगावाट तक पहुंच चुकी है और 24 मेगावाट का आवंटन करने हेतु कार्रवाई अंतिम चरण में है। अधिकांश परियोजनाओं को सी ए पी ई एक्स मॉडल के अंतर्गत क्रियान्वित किया जा रहा है जिसमें रूफटाप मालिक द्वारा संस्थापन का भुगतान किया जाता है जिसमें से सब्सिडी घटा ली जाती है। हाल के रुझान से पता चलता है कि परियोजनाओं को आर ई एस सी ओ मॉडल के अन्तर्गत क्रियान्वित किया जा रहा है जिसमें विकासक परियोजना की लागत वहन करता है और दीर्घावधि ऊर्जा खरीद समझौते के तहत ऊर्जा का प्रति इकाई प्रशुल्क की पेशकश करता है। आपकी कम्पनी द्वारा चरण–IV में पहली बार आरईएससीओ अवधारणा को लागू किया गया था और लगभग 10 मेगावाट की परियोजना या तो पूरी हैं अथवा क्रियान्वयन की प्रगत स्थिति में है। रूफटाप योजना के लिए सेकी द्वारा अंगीकृत की गई प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के परिणामस्वरूप मूल्यों में उल्लेखनीय रूप से कमी आई। वर्ष 2013–14 में रुपये 130 प्रति वॉट का एमएनआरई बैंच मार्क मूल्य लगभग 40 प्रतिशत घटकर रुपये 80 प्रति वॉट तक आ गया है।

इस योजना को विभिन्न राज्यों को शामिल करते हुए देशभर में प्रारंभ किया गया है। 31 मार्च, 2015 तक कुल 15 मेगावाट क्षमता के साथ 37 शहरों में लगभग 90 रूफटाप परियोजनाएं स्थापित की गई हैं और अभी तक 20 मेगावाट की कुल क्षमता के साथ 100 से भी अधिक परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। इन परियोजनाओं को रूफटाप योजना का व्यापक प्रसार करते हुए टियर–1 एवं टियर–2 शहरों में विस्तारित किया गया और आवासीय क्षेत्र सहित विभिन्न संस्थानों, व्यावसायिक एवं औद्योगिक घरानों ने इसमें गहरी रूचि दिखाई है।

वर्ष 2014–15 के दौरान अनेक उल्लेखनीय परियोजनाएं स्थापित की गईं। उदाहरण के लिए सेकी द्वारा दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) को 500 किलोवाट की रूफटाप परियोजना की सुविधा प्रदान की गई जो कि देश में अपनी तरह की पहली और सबसे बड़ी परियोजना है। इसके अलावा, कलिंगा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल साइन्सिज (केआईएसएस), भुवनेश्वर, ओडिशा, जो कि 20,000 आदिवासी छात्रों का एक अनूठा संस्थान है, में 30 प्रतिशत केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) और पॉवर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) से परियोजना लागत की 50 प्रतिशत सहायता के माध्यम से 500 किलोवाट की एक रूफटाप परियोजना स्थापित की गई थी। परिणामतः इस परियोजना से संस्थान को बिजली प्रभार की उल्लेखनीय बचत करने में मदद मिली है। एक अन्य परियोजना गुड़गांव स्थित मेदांता अस्पताल पर 500 किलोवाट की रूफटाप परियोजना है जिसमें रूफटाप प्रणाली की स्थापना के लिए कार पार्किंग का इस्तेमाल किया गया। आईआईटी–मद्रास, रूफटाप परियोजना स्थापित करने में एक अन्य नवोन्मेषी उदाहरण है जिसमें सौर सरणियों को ऊपर उठी हुई संरचना पर जोड़ा गया ताकि अन्य लाभप्रद गतिविधियों के लिए रूफटाप स्थान का इस्तेमाल करना जारी रखा जा सके। आपको यह जानकार प्रसन्नता होगी कि दिल्ली में स्थित लोटस मंदिर जो कि पर्यटन की दृष्टि से एक प्रमुख स्मारक है, में भी आपकी कम्पनी की सहायता से 120 किलोवाट सौर पीवी प्रणाली द्वारा प्रकाश व्यवस्था की गई है। विभिन्न राज्यों में लगभग 15 भवनों में उपरोक्त योजना के अन्तर्गत 500 किलोवाट की रूफटाप प्रणालियाँ स्थापित हैं।

विभिन्न क्षेत्रों में सौर पीवी संयंत्र स्थापित किए गए हैं जिनमें परियोजनाओं की भागीदारी में औद्योगिक एवं व्यावसायिक घरानों का योगदान 60 प्रतिशत से भी ज्यादा है, जबकि सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का योगदान लगभग 23 प्रतिशत, निजी शैक्षणिक संस्थानों का 15 प्रतिशत और गैर सरकारी संगठनों का योगदान लगभग 2 प्रतिशत है। सफल विक्रेताओं को 15 करोड़ रुपये से भी अधिक की केन्द्रीय वित्तीय सहायता वितरित की गई है।

Your Company was sanctioned an aggregate capacity of about 26 MW (Phase- I, II, III) in FY 2013-14 and 50 MW (Phase-IV) in FY 2014-15. The total allocated capacity to successful vendors has reached 60 MW and 24 MW is in advance stage of allocation. Most of the projects are being implemented under CAPEX model wherein the rooftop owner pays for the installation cost less subsidy. The recent trend shows projects being implemented under RESCO model wherein the developer bears the cost of the project and offers tariff per unit of energy under long term Power Purchase Agreement. Your Company had introduced the RESCO concept for the first time in Phase-IV and about 10 MW is either complete or under advance stage of implementation. The competitive process adopted by SECI for rooftop scheme has resulted in significant price reductions. The MNRE bench mark price of Rs. 130/W in year 2013-14 has come down by about 40% to Rs. 80/W.

The scheme has been launched across the country covering various states. About 90 rooftop projects have been installed in 37 cities aggregating 15 MW capacity by 31st March, 2015 and more than 100 projects with an aggregate capacity of 20 MW have been installed till date. These projects, extended to Tier-1 & Tier-2 cities have given wide publicity to the rooftop scheme and has generated awareness & lot of interest from various institutions, commercial & industrial segments including residential sector.

Many notable projects have been installed during the year 2014-15. For example: SECI facilitated the rooftop project of 500 kWp on Delhi Metro Rail Corporation (DMRC), the first & largest of its kind in the country. Also, a rooftop project of 500 kWp was set up at Kalinga Institute of Social Sciences (KISS), Bhubaneswar, Odisha, a unique institution for 20,000 tribal students, through Central Financial Assistance (CFA) of 30% and CSR support of 50% of the project cost from Power Finance Corporation (PFC). The project has resulted in significant savings to the institute on electricity charges through this sustainable activity. Another project worth mentioning is a 500 kWp rooftop project on Medanta Hospital, Gurgaon wherein the car park was used to install the system. IIT-Madras is another example of innovative deployment of rooftop scheme wherein the solar arrays were mounted on elevated structures so as to continue to utilize rooftop space for other gainful activities. You will also be pleased to know that the Lotus Temple in Delhi, a major monument of tourist attraction is also lighted by a 120 kW solar PV system set up with assistance of your Company. About 15 buildings in various states have rooftop systems of 500 kW under the above scheme.

The solar PV plants have been installed in various segments with industrial & commercial segment contributing to more than 60% of the share of projects, Government/PSU buildings about 23%, Private Educational Institutions 15% and NGOs 2%. More than Rs. 15 crores Central Financial Assistance has been disbursed to the successful vendors.

इस कार्यक्रम को विभिन्न राज्यों द्वारा सराहा गया है। बड़ी संख्या में रूफटाप परियोजनाओं को स्थापित करने वाले अन्य राज्यों के अलावा : तमिलनाडु (~7 मेगावाट), महाराष्ट्र (~4 मेगावाट), आन्ध्र प्रदेश (~4 मेगावाट), उत्तर प्रदेश (~4 मेगावाट), कर्नाटक (~3 मेगावाट), हरियाणा (~3 मेगावाट), पंजाब (~2 मेगावाट), दिल्ली (~2 मेगावाट) तथा राजस्थान (~3 मेगावाट) राज्य हैं।

आपकी कम्पनी ने विभिन्न सरकारी विभागों/पीएसयू के साथ भी समझौता ज्ञापन किए हैं जैसे कि दिल्ली मैट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी), एयरपोर्ट एथारिटी ऑफ इंडिया (एएआई), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी), नई दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) जिनके द्वारा रूफटाप और अन्य सौर पीवी परियोजनाओं को लागू किया जाना है।

डीएमआरसी मैट्रो स्टेशनों/टाउनशिप के लिए कई परियोजनाओं को लागू किया गया है जैसे दिल्ली में द्वारका सेक्टर 21, प्रगति मैदान, आनंद विहार एवं मैट्रो इन्कलेव । विभिन्न एयरपोर्ट नामतः अमृतसर (400 किलोवाट), रांची (250 किलोवाट), पटना (250 किलोवाट), लखनऊ (500 किलोवाट), जयपुर (100 किलोवाट), जोधपुर (100 किलोवाट) पर 1.6 मेगावाट की कुल क्षमता वाली कई परियोजनाएं स्थापित की गई हैं अथवा वे क्रियान्वयन की प्रगति स्थिति में हैं।

अभी हाल ही में कम्पनी को सार्वजनिक/निजी वेयरहाउसों के लिए एमएनआरई द्वारा 73 मेगावाट की रूफटाप योजना की स्वीकृति दी गई है और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के लिए लगभग 50 मेगावाट की योजना को शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा। इसके साथ ही, आपकी कम्पनी द्वारा सरकारी भवनों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और आवासीय घरों पर रूफटाप सौर पीवी प्रणालियों की स्थापना के लिए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए एक योजना प्रारंभ की जानी है।

पिछली योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को देखते हुए आपकी कम्पनी को एमएनआरई द्वारा पुनः 1250 मेगावाट की रूफटाप योजना सौंपी गई है।

4. भारत पाक सीमा सौरीकरण योजना : राजस्थान में 5 मेगावाट की प्रायोगिक परियोजना

डीजल की खपत को कम करने और साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां विकसित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा भारत–पाक सीमा से सटे राजस्थान और गुजरात राज्यों में प्रायोगिक स्तर पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की एक योजना विकसित की गई। इन परियोजनाओं में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की सीमा चौकियों की बिजली की मांग को पूरा किया जाना शामिल है। आपकी कम्पनी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। एमएनआरई द्वारा अंतर–मंत्रालय वार्ता के कई दौरों के उपरांत आपकी कम्पनी द्वारा इन दो राज्यों में बिल्ड-ओन-ऑपरेटर (अर्थात निर्माण भी खुद ही करें और परियोजना को चलाए भी खुद ही) आधार पर चयनित स्थानों पर सौर परियोजनाओं को स्थापित करने हेतु विकासकों के चयन हेतु निविदा दी गई थी। राजस्थान में गांव सरकारीतला, जिला जैसलमेर में 5 मेगावाट की परियोजना स्थापित की जा रही है और नवम्बर 2015 तक परियोजना शुरू होने की तय सीमा के साथ इस पर कार्य चल रहा है। गुजरात में परियोजना को राज्य सरकार से मंजूरी मिलने के उपरांत प्रारंभ किया जाएगा।

The programme has been well received by various states. Some of the leading states that have installed large number of rooftop projects are Tamil Nadu (~7 MW), Maharashtra (~4 MW), Andhra Pradesh (~4 MW), Uttar Pradesh (~4 MW) Karnataka (~3 MW), Haryana (~3 MW), Punjab (~2 MW), Delhi (~2 MW) and Rajasthan (~3 MW) among others.

Your company has also entered into MoUs with various Government Departments/ PSUs such as Delhi Metro Rail Corporation (DMRC), Airport Authority of India (AAI), Delhi Development Authority (DDA), Central Public Works Department (CPWD), New Delhi Municipal Corporation (NDMC) among others to implement rooftop and other solar PV projects.

A number of projects have been implemented for DMRC Metro Stations/township such as Dwarka Sector-21, Pragati Maidan, Anand Vihar & Metro Enclave in Delhi. More than 1.6 MW aggregate capacity of projects have been installed or are in advance stage of implementation at various airports namely, Amritsar (400 kW), Ranchi (250 kW), Patna (250 kW), Lucknow (500 kW), Jaipur (100 kW), Jodhpur (100 KW).

The Company has recently been given a sanction of 73 MW rooftop scheme by MNRE for public/private warehouses and about 50 MW for CPWD which is to be launched shortly. Also, your Company is about to launch a scheme for Andaman & Nicobar Islands for installation of rooftop solar PV systems on Government buildings, commercial establishments & residential segment.

Keeping in view the successful implementation of previous schemes, your Company has been further entrusted with 1250 MW rooftop scheme by MNRE.

4. Indo-Pak Border Solarization scheme: 5 MW pilot project in Rajasthan

In order to mitigate consumption of use of diesel and also to develop economic activities in border areas, the Government of India developed a scheme to set up pilot scale solar power plant in the States of Rajasthan and Gujarat along Indo-Pak border. These projects envisaged to cater to the electricity demand of border out-posts of Border Security Force (BSF). Your Company was assigned this task. After several rounds of inter-Ministerial round of discussions led by MNRE, your Company brought out tender for selection of developers to set up solar projects at the selected sites in the two States on Build-Own-Operate basis. 5 MW project in Rajasthan is being set up at village Sarkaritala, District Jaisalmer in Rajasthan and is under execution with scheduled commissioning by November 2015. The project in Gujarat would be taken up after obtaining clearances from the State Government.

5. नहर टॉप / नहर तट तथा रक्षा योजनाएं

सरकार द्वारा नए क्षेत्रों को विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं जहां सौर ऊर्जा का विकास किया जा सके। इस दिशा में एमएनआरई द्वारा दो योजनाएं प्रारंभ की गईं जो कि (क) नहर टॉप तथा नहर तट पर 100 मेगावाट की सौर पीवी परियोजनाएं; तथा (ख) रक्षा इकाइयों के लिए 300 मेगावाट की सौर पीवी परियोजनाएं हैं। आपकी कम्पनी को इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेन्सी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। पूर्ववर्ती योजना में, कम्पनी की भूमिका विभिन्न राज्यों में परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करना और प्रगति से जुड़े संकेतकों के आधार पर सीएफए प्रदान करना है। रक्षा क्षेत्र में सौर परियोजनाएं विकसित करने के लिए आर्डीनेन्स फैक्ट्री बोर्ड, मिलिट्री इंजीनियरिंग सेवा तथा पैरा मिलिट्री बलों सहित विभिन्न संगठनों के साथ सक्रिय पारस्परिकता बनाई गई। आपकी कम्पनी द्वारा इन संगठनों की सर्वेक्षण करने और परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में मदद की गई।

5. Canal Top/ Canal Bank and Defence Schemes

The Government is making efforts to develop new areas where solar power could be developed. In this direction two schemes were launched by MNRE, which are a) 100 MW Solar PV projects on Canal-Tops and Canal banks, and b) 300 MW of Solar PV projects for Defence establishments. Your Company has been designated as the Nodal Agency for implementing these schemes. In the former scheme, the role of the company is to oversee the implementation of projects in various States and provide CFA based on progress related milestones. For developing solar projects in defence sector, active interaction has been made with various organizations including Ordnance Factory Board, Military Engineering Services, and para-military forces. Your Company has helped several of these organizations in carrying out surveys and developing project reports.

6. सीपीएसयू योजना

घरेलू कन्टेंट आवश्यकता के प्रावधान के साथ विभिन्न पीएसयू द्वारा सौर ऊर्जा की 1000 मेगावाट की क्षमता के लक्ष्य के साथ सरकार द्वारा एक अन्य योजना प्रारंभ की गई। इस योजना को लागू करने के लिए भी आपकी कम्पनी को नोडल एजेन्सी नामित किया गया है।

6. CPSU Scheme

The Government brought out another scheme targeting 1000 MW capacity of Solar Power by various PSUs with a provision of domestic content requirement. Your company has been designated as the Nodal Agency for implementing this scheme also.

7. सौर पार्क

सौर ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाने में गति प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2019–20 तक 20 गीगावाट की कुल क्षमता के साथ 25 सौर पार्क विकसित करने हेतु एक योजना लाई गई है। इस योजना को लागू करने के लिए सरकार द्वारा आपकी कम्पनी को नोडल एजेन्सी बनाया गया तथा साथ ही जहां राज्यों द्वारा इच्छा व्यक्त की गई वहां राज्यों में सौर पार्क की स्थापना के लिए राज्य द्वारा निर्दिष्ट एजेन्सी के साथ संयुक्त उद्यम कम्पनी स्थापित करने की अनुमति दी गई।

तदनुसार, आपकी कम्पनी द्वारा कुल 6800 मेगावाट की कुल क्षमता के लिए विभिन्न राज्यों के साथ 5 सौर पार्क विकसित किए जा रहे हैं। इसके लिए आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल तथा उत्तर प्रदेश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आन्ध्र प्रदेश राज्य में संयुक्त उद्यम कम्पनी को शामिल किया गया है। इन पार्कों के लिए डीपीआर तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। गोवा में पी डब्ल्यू सी की मदद और विश्व बैंक की सहायता के साथ सौर पार्क के विकास के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए एक पारस्परिक बैठक भी आयोजित की गई जिसमें एमएनआरई, विश्व बैंक, एडीबी, के एफ डब्ल्यू तथा राज्यों (आन्ध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना तथा उत्तर प्रदेश) के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस योजना के तहत, इन पार्कों के विकास के लिए दिनांक 31 मार्च, 2015 तक सेकी द्वारा विभिन्न क्रियान्वयन एजेन्सियों को 155.78 करोड़ रुपये की सीएफए जारी की गई।

7. SOLAR PARKS

In order to scale up the pace of capacity addition of solar power, the Government of India has brought out a scheme for development of 25 solar parks with an aggregate capacity of 20 GW by FY 2019-20. The Government designated your company as the nodal agency for implementation of this scheme and also allowed you to set up joint venture company, wherever desired by the States, with a State Designated Agency for setting up solar park in the States.

Accordingly, your company is developing 5 numbers of solar parks with various States for aggregate capacity of 6800 MW. For this, MoUs have been signed with Andhra Pradesh, Karnataka, Madhya Pradesh, Kerala and Uttar Pradesh. Joint Venture Company has been incorporated in the State of Andhra Pradesh. DPRs for these parks are under preparation. An interactive meet to discuss various aspects of development of solar parks was also organized with the help of PwC and support of World Bank in Goa, which was participated by representatives of MNRE, World Bank, ADB, KfW, and States (Andhra Pradesh, Goa, Karnataka, Madhya Pradesh, Punjab, Rajasthan, Telangana, Uttar Pradesh). Under this scheme, CFA of Rs. 155.78 crores has been released by SECI to the implementing agencies till 31st March, 2015 for development of these parks.

ऊर्जा व्यापार

सेकी को 750 मेगावाट जेएनएनएसएम बैच II चरण I योजना के तहत परियोजनाओं से ऊर्जा अथवा पॉवर की खरीद करने और विभिन्न डिस्कॉम/खरीद प्रदाताओं को पॉवर की पुनः बिक्री करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस व्यापारिक गतिविधि को चलाने के लिए सेकी द्वारा जहाँ एक ओर सौर परियोजना विकासकों (एसपीडी) के साथ कुल 45 पॉवर खरीद समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनके द्वारा विभिन्न राज्यों, यथा राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, ओड़िशा, महाराष्ट्र में सौर पीवी परियोजनाएं स्थापित की गई हैं, वहीं दूसरी ओर सेकी द्वारा कुल 680 मेगावाट क्षमता के लिए दिल्ली, ओड़िशा, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, असम, बिहार तथा झारखण्ड से जुड़े डिस्कॉम/खरीद प्रदाताओं के साथ कुल 17 पॉवर बिक्री समझौते भी किए गए हैं।

सेकी द्वारा अन्तर–राज्य व्यापार गतिविधि चलाने के लिए सीईआरसी से श्रेणी–III व्यापार लाइसेंस हासिल किया गया। इसी प्रकार, सेकी द्वारा डिस्कॉम/खरीद प्रदाताओं को सौर पीवी परियोजनाओं से ऊर्जा लेने के लिए 25 वर्ष की अवधि के लिए दीर्घावधि ओपन एक्सेस (एलटीए) के लिए सीटीयू (पॉवरग्रिड) के समक्ष आवेदन किया गया है। सौर परियोजनाओं की प्रगतिशील कमिशनिंग के साथ-साथ सार्थक प्रयासों और पॉवरग्रिड के पूर्ण सहयोग के साथ कम्पनी दीर्घावधि ओपन एक्सेस हासिल करने और 310 मेगावाट क्षमता के लिए पारेषण सेवा समझौता (टीएसए) पर हस्ताक्षर करने में सफल हुई। पीपीए में परियोजना की पार्ट कमिशनिंग अथवा अग्रिम कमिशनिंग का एक प्रावधान था। तदनुसार, सेकी द्वारा जब तक एलटीए प्रदान किया जाता तब तक गुजरात से ओड़िशा को अल्पावधि आधार पर दिनांक 24 मार्च 2015 को अन्तर राज्य ऊर्जा/पॉवर व्यापार प्रारंभ किया गया।

दिनांक 31.03.2015 तक सेकी द्वारा बिजली की लगभग 13.65 मिलियन यूनिट (एमयू) का व्यापार किया गया। इसके लिए व्यापार लाभ (मार्जिन) कुल रुपये 6,82,500/– (रुपये छः लाख बयासी हजार पाँच सौ मात्र) है। सेकी ने कार्यालयी बैक–एंड सपोर्ट सेवा के लिए पीटीसी इंडिया लिमिटेड को भी अनुबंधित किया है। जून, 2015 के माह में 100 मिलियन यूनिट की कारोबारी वॉल्यूम को पार करके सेकी द्वारा एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई और दिनांक 31.07.2015 तक सीईसीआई द्वारा बिजली की लगभग 157.95 मिलियन यूनिट का व्यापार किया गया। इस कार्य के लिए व्यापार लाभ रुपये 78,97,500/– (रुपये अठहत्तर लाख सत्तानवे हजार पाँच सौ मात्र) है। वित्तीय वर्ष 2015–16 के अंत तक 1000 मिलियन यूनिट से भी अधिक का व्यापार होने का अनुमान है। सेकी द्वारा सीईआरसी के समक्ष श्रेणी III से श्रेणी II में व्यापार लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिससे कम्पनी प्रतिवर्ष 1500 मिलियन यूनिट का व्यापार करने में समर्थ बन सकेगी।

परामर्शी सेवाएं

पीएमसी परियोजनाएं

कम्पनी ने परियोजना प्रबंधन परामर्श को कम अवधि में राजस्व सृजित करने की एक अति महत्वपूर्ण गतिविधि के रूप में माना है। तदनुसार, संभावित ग्राहकों की पहचान करने के लिए प्रयास किए गए। आपकी कम्पनी आईआरईडीए (50 मेगावाट), टीएचडीसी (50 मेगावाट) तथा

POWER TRADING

SECI has been entrusted responsibility of purchasing power from projects under 750 MW JNNSM Batch II, Phase I scheme and for re-sale of power there of to various DISCOMs / Buying Utilities. To carry out this trading activity, SECI on one hand signed a total number of 45 Power Purchase Agreements (PPAs) with Solar Project Developers (SPDs) who set up solar PV projects in various states viz. Rajasthan, MP, Gujarat, Odisha, Maharashtra among others and on the other side, SECI signed 17 nos. Power Sale Agreements (PSAs) with various DISCOMs / Buying Utilities of States viz. Delhi, Odisha, Haryana, Punjab Himachal Pradesh, Assam, Bihar, Jharkhand among others for approximate capacity of 680 MW.

SECI obtained Category III Trading License from CERC to carry out the inter-state trading activity. Simultaneously, SECI applied to CTU (POWERGRID) for Long Term Open Access (LTA) for a period of 25 years to evacuate power from Solar PV projects to DISCOMs / Buying Utilities. With concerted efforts and full support from POWERGRID, the company was able to obtain Long Term Open Access and signing of Transmission Service Agreement (TSA) for 310 MW Capacity, in synchronization with progressive commissioning of solar PV projects. The PPA had a provision of part-commissioning or advance commissioning of the project. Accordingly SECI started inter-state power trading on 24th March 2015 on Short Term basis from Gujarat to Odisha till such time LTA was granted.

Till 31.03.2015, SECI has traded around 13.65 Million Units (MUs) of electricity. Trading margin for this volume works out to Rs.6,82,500 (Rupees six lakhs eighty-two thousand five hundred only). SECI has also engaged PTC India Limited for back-end support services. SECI reached an important milestone in the month of June 2015 by crossing 100 MUs of traded volume and till 31.07.2015, SECI has traded around 157.95 MUs of electricity. Trading margin for this volume works out to Rs 78, 97,500.00 (Rupees Seventy Eight Lac Ninety Seven Thousand Five Hundred only). The trading volume is expected to surpass more than 1000 MUs by end of FY 2015-16. SECI has filed with to CERC for up gradation of Trading License from Category III to Category II, which will enable the company to trade up to 1500 MUs annually.

CONSULTANCY

PMC Projects

Project Management Consultancy is seen by the Company as a very important activity to generate revenue in the short period of time. Accordingly, efforts were made to identify the prospective clients. Your Company was able to secure PMC jobs with IREDA (50 MW), THDC (50 MW) and

कोल इंडिया लिमिटेड (1000 मेगावाट) के साथ परियोजना प्रबंधन परामर्श सुनिश्चित करने में सफल हुई। परामर्शी जिम्मेदारियों के भाग के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के आधार पर परियोजना रिपोर्टों को तैयार करने से लेकर उनको निष्पादित करने की सेवाएं प्रदान की गईं। आर्डिनेन्स फैक्ट्री बोर्ड स्थलों, भारत पैट्रोलियम कॉरपोरेशन लि., एचपीएसईबी, पांडिचेरी पॉवर कॉरपोरेशन लि., नार्दर्न कोलफील्ड्स लि., हिन्दुस्तान ऐरोनॉटिक्स लि. आदि के लिए डीपीआर/पीएफआर पूरी की गईं।

आपकी कम्पनी द्वारा संचालित अन्य प्रमुख क्षेत्र में रूफटाप सौर पीवी परियोजनाएं भी शामिल हैं। पीएमसी कार्यभार (जो कि पूरे किए जा चुके हैं) में आईएसबीटी कश्मीरी गेट (130 किलोवाट), योजना आयोग (78.24 किलोवाट), कलिंगा इन्स्टिटयूट ऑफ सोशल साइन्सिज (500 किलोवाट) तथा राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (30 किलोवाट) शामिल हैं।

ऑफ ग्रिड सौर

1. सौर स्ट्रीट लाइट

आपकी कम्पनी द्वारा पीएफसी से मिले सीएसआर सहयोग के माध्यम से झारखण्ड राज्य के बोकारो जिले के विभिन्न गांवों में 400 सौर स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को सफलतापूर्वक स्थापित कर उनकी कमिशनिंग की गई। इस परियोजना के तहत, सेकी द्वारा लिथियम ऑयन बैटरी के साथ सौर स्ट्रीट लाइटें विकसित कर स्थापित की गईं जिनका ग्रामीणों द्वारा स्वागत किया गया। इस स्ट्रीट लाइट का एक नवोन्मेषी गुण यह है कि लिथियम ऑयन बैटरी लाइटिंग फिक्सचर में ही जुड़ी हुई है जिससे कि इसके चोरी होने की संभावना कम हो जाती है। हाल ही में, सेकी द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में ऐसी लगभग 40 स्ट्रीट लाइटें स्थापित की गई हैं।

2. सौर लालटेन

आपकी कम्पनी द्वारा अति प्रतिस्पर्धी लागत पर डब्लू-एल ई डी आधारित ओम्नी दिशात्मक सौर लालटेन का एक 'विनिंग प्रोडक्ट' विकसित किया गया। इस उत्पाद की एमएनआरई प्रत्यायित प्रयोगशाला, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (एनआईएसई) द्वारा जांच कर अनुमोदन किया गया।

आन्ध्र प्रदेश और ओड़िशा के पिछड़े जिलों में वितरण के लिए सीएसआर योजना के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) द्वारा आपकी कम्पनी को 1.5 लाख सौर लालटेन का आर्डर प्राप्त हुआ।

सौर लालटेन के निर्माण का कार्य व्यापक पैमाने पर प्रारंभ हो चुका है और आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के पिछड़े/चक्रवात प्रभावित जिलों में लगभग 40,000 (31 मार्च, 2015 तक 20,000) सौर लालटेन वितरित की गई हैं और 10,000 सौर लालटेन ओड़िशा को भेजी जा रही हैं। सेकी द्वारा जम्मू एवं कश्मीर के बाढ़ प्रभावित राज्य के लिए 10,000 सौर लालटेन की आपूर्ति की गई। आईआईएफसीएल की सीएसआर पहल के तहत जल्दी ही मध्य प्रदेश के पिछड़े जिलों में 35,000 सौर लालटेन वितरित की जाएंगी।

सीएफए संवितरण

Coal India Limited (1000 MW). As a part of consultancy assignments, services ranging from preparation of project reports to execution of projects on turnkey basis were provided. DPRs/PFRs have been completed for Ordinance Factory Board sites, Bharat Petroleum Corporation Ltd., HPSEB, Pondicherry Power Corporation Ltd., Northern Coalfields Ltd., Hindustan Aeronautics Ltd, etc.

Another important area of operation of your company has been Rooftop Solar PV Projects. PMC assignments, which have been completed include ISBT Kashmere Gate (130 kW), Planning Commission (78.24 kW), Kalinga Institute of Social Sciences (500 kW), National Productivity Council (30 kW).

OFF-GRID SOLAR

1. Solar Street Lights

Your company has successfully installed and commissioned 400 Solar Street lights in various villages of Bokaro district of Jharkhand through CSR support from PFC. Under this project, SECI got developed and deployed solar street lights with lithium-ion batteries which has been received well by the villagers. An innovative feature of this street light is that the lithium-ion battery is embedded in the lighting fixture itself thereby minimize the chances of theft. Recently, SECI has installed about 40 such street lights in Ratnagiri District of Maharashtra under Saansad Adarsh Gram Yojana.

2. Solar Lanterns

Your company got developed a "Winning Product" of W-LED based Omni-directional Solar Lanterns at a very competitive cost. The product was tested and approved by National Institute of Solar Energy (NISE), an MNRE accredited laboratory.

Rural Electrification Corporation (REC) had placed an order of 1.5 lakh solar lanterns on your Company under their CSR scheme for distribution among backward districts of Andhra Pradesh & Odisha.

Large scale manufacturing of the solar lanterns has begun and about 40,000 solar lanterns have been distributed (20,000 till 31st March, 2015) in the backward/cyclone affected districts of Andhra Pradesh & Telangana and 10,000 solar lanterns are being dispatched to Odisha. SECI had facilitated supply of 10,000 solar lanterns for the flood affected state of J&K. Another 35,000 solar lanterns would be distributed in the backward districts of Madhya Pradesh shortly under CSR initiatives of IIFCL.

CFA Disbursement

Under various MNRE schemes, total amount of Rs. 173.46

एमएनआरई द्वारा सेकी को (31 मार्च 2015 तक) रिलीज की गई कुल 290.40 करोड़ रूपये की राशि में से विभिन्न एमएनआरई योजनाओं के अंतर्गत सेकी द्वारा विभिन्न एजेन्सियों को कुल 173.46 करोड़ रूपये का संवितरण किया गया। इस राशि में 155.78 करोड़ रूपये सौर पार्क योजना के लिए तथा 17.44 करोड़ रूपये रूफटाप योजना के लिए जारी किए गए।

अनुसंधान एवं विकास

1. 2.5 मेगावाट काजा सौर–पवन मिश्रित परियोजना

अपनी आर एण्ड डी पहलों के अंतर्गत आपकी कंपनी एचपीएसईबी के साथ संयुक्त रूप से एक 2.5 मेगावाट प्रायोगिक मिश्रित परियोजना का क्रियान्वयन कर रही है। परियोजना एक सौर-पवन-जल (हाइड्रो) मिश्रित परियोजना है, जिसमें बैटरी स्टोरेज का प्रावधान है। संयुक्त उद्यम (जेवी) कंपनी की स्थापना प्रगति पर है। तकनीकी संबंधी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं और निविदा दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं।

2. सौर दिशा-निर्देश वेब पोर्टल

सौर नीति और परियोजनाओं से संबंधित सूचनाओं को एक ही स्थान से संपूर्ण रूप से उपलब्ध कराने हेतु जीआईजेड के समन्वयन में सौर दिशा-निर्देश वेब-पोर्टल विकसित किया गया है। वेब पोर्टल का पहला चरण जीआईजेड द्वारा विकसित कर लिया गया है। परियोजना के दूसरे चरण के लिए संबंधित राज्य नोडल एजेंसियों से प्राप्त सूचनाओं / इनपुट के साथ 05 राज्यों के आंकड़ों / डाटा का समेकन किया जा रहा है।

3. एनआईएसई, ग्वालपहाड़ी में अंशशोधन (कैलिब्रेशन) प्रयोगशाला सुविधा केंद्र

सेकी द्वारा राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (एनआईएसई) में सौर विकिरण मापन सैंसरों के लिए एक अंशशोधन सुविधा केंद्र की स्थापना की गई है। यह प्रयोगशाला मुख्यतः भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में संस्थापित सौर विकिरण संसाधन मूल्यांकन (एसआरआरए) केंद्रों की पूर्ति करेगा। प्रयोगशाला की स्थापना का कार्य पूरा हो चुका है और उसे चालू भी कर दिया गया है। एसआरआरए उपकरणों का अंशशोधन मानसून मौसम के बाद आरंभ होगा।

भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू)

आपकी कंपनी ने वर्ष 2014-15 के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ वार्षिक लक्ष्यों के लिए पहले एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू की समीक्षा व मूल्यांकन अभी तक नहीं किया गया है।

निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या

वित्त वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की तीन बैठकें हुईं, जिसका विवरण कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट में दिया गया है, जो इस वार्षिक प्रतिवेदन / रिपोर्ट का भाग है।

व्यवसाय की प्रकृति में बदलाव, यदि कोई हों

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान व्यवसाय की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं देखा गया है।

has been disbursed to various entities by SECI, against Rs. 290.40 that was released by MNRE to SECI (till 31st March, 2015). Of this amount, Rs. 155.78 crores has been released under the Solar Parks Scheme and Rs. 17.44 crores under the rooftop scheme.

R&D

1. 2.5 MW Kaza Solar-wind hybrid Project

Under its R&D initiatives, your company is implementing a 2.5 MW pilot hybrid project jointly with HPSEB. The project is a solar-wind-hydro hybrid with battery storage. JV Company formation is under progress. Technical configurations are being firmed up and tender documents are under preparation.

2. Solar Guidelines Web portal

The Solar Guidelines web-portal has been created in coordination with GIZ for providing comprehensive solar policy and projects related information at a single place. Phase I of the web-portal has been developed by GIZ. For Phase II of the project, data from 5 States is being compiled with inputs from respective State Nodal Agencies.

3. Calibration Lab facility at NISE, Gwalpahari

A calibration facility for solar radiation measuring sensors at National Institute of Solar Energy (NISE) has been set up by SECI. This lab would cater primarily to the Solar Radiation Resource Assessment (SRRA) stations installed in the northern region of India. Lab installation has been completed and has been made operational. Calibration of SRRA instruments would begin after the monsoon season.

Memorandum of Understanding with Govt. of India

Your company signed the first MoU for annual targets with the Ministry of New and Renewable Energy for the year 2014-15. Evaluation of the MoU has not been carried out yet.

Number of Meetings of the Board

The Board met 3 (three) times during the Financial year, the details of which are given in the Corporate Governance report that forms part of this Annual Report.

Change in nature of Business, if any

There is no change in the nature of business during the financial year 2014-2015.

सहायक कंपनियां एवं संयुक्त उद्यम

संयुक्त उद्यम

विशिष्ट व्यवसाय क्रियाकलापों के लिए राज्य नामित एजेंसियों के साथ अनेक संयुक्त उद्यम (जेवी) कंपनियों को स्थापित किया गया है, जिसका विस्तृत विवरण नीचे दिया जा रहा है :

कंपनी का नाम और	जेवी साझेदार	(%) हिस्सेदारी पैटर्न	मुख्य उद्देश्य पूंजीगत संरचना (अद्यतन किया जाना है)
आंध्र प्रदेश सोलर पावर कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	एसईसीआई एपीजीईएनसीओ एंड एनआरईडीसीएपी	50 41 9	इसकी स्थापना आंध्र प्रदेश में 1500 मेगावाट अनंतपुर सौर पार्क और 1000 मेगावाट कुरनूल सौर पार्क विकसित करने हेतु की गई थी।
कर्नाटक सोलर पावर डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	एसईसीआई एंड केआरईडीएल	50 50	इसकी स्थापना कर्नाटक में टुमकुर में 2000 मेगावाट सौर पार्क विकसित करने हेतु की गई थी।
रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड	एसईसीआई एंड एमपीयूवीएनएल	50 50	इसकी स्थापना मध्य प्रदेश में 750 मेगावाट रेवा सौर पार्क और 750 मेगावाट आगरा और नीमच सौर पार्क विकसित करने हेतु की गई थी।
लखनऊ सोलर पावर डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	एसईसीआई एंड यूपीएनईडीए	50 50	इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश में सोनभद्र, मिर्जापुर, इलाहाबाद और जालौन जिलों में 600 मेगावाट सौर पार्क विकसित करने हेतु की गई थी।

मानव संसाधन प्रबन्धन

नीतियों को व्यावसायिक रूप देने तथा संगठन की व्यवसाय आवश्यकता के साथ उसे जोड़ने के लिए वर्ष के दौरान मानव संसाधन प्रबंधन पर अधिक ध्यान दिया गया। सेकी के स्थायी कर्मचारियों की संख्या 36 थी। वर्ष के दौरान सेकी के निदेशक मंडल द्वारा कार्मिक संबंधी 09 नीतियों, विशेष रूप से कार्मिकों की सेवा शर्तों को पारदर्शी ढंग से विनियमित करने के लिए, को लागू किया गया। इसके अलावा, अन्य विभिन्न नीतियों का युक्तिकरण और अद्यतन भी किया गया। भर्ती नियम और कार्यविधियां भी बनाई गई और सेकी की पेशेवर / व्यावसायिक मानवशक्ति टीम को मजबूती प्रदान करने हेतु उनका अद्यतन भी किया गया। तकनीकी कार्यात्मक और

Subsidiaries and Joint Ventures

Joint Ventures

A number of JV Companies have been incorporated with state designated agencies for specific business activities. Details of the same are given further:

Name of Company	JV partner	(%) Shareholding Pattern	Main Objective & Capital Structure (to be updated)
Andhra Pradesh Solar Power Corporation Private Limited	SECI, APGENCO & NREDCAP	50 41 9	Formed for development of 1500 MW Anantpur Solar Park and 1000 MW Kurnool Solar Park in Andhra Pradesh.
Karnataka Solar Power Development Corporation Private Limited	SECI & KREDL	50 50	Formed for development of 2000 MW Solar Park at Tumkur in Karnataka.
Rewa Ultra Mega Solar Limited	SECI & MPUVNL	50 50	Formed for Solar development of 750 MW Rewa Solar Park and 750 Solar Park at Agar and Neemuch in Madhya Pradesh.
Lucknow Solar Power Development Corporation Limited	SECI & UPNEDA	50 50	Formed for development of 600 MW Solar Park at Sonabhadra, Mirzapur, Allahabad and Jalaun districts in Uttar Pradesh.

Human Resource Management

During the year Human Resource Management has been a more focused towards professionalization of Policies and alignment with the business need of the organization. SECI total permanent staff strength was 36. During the year 9 number of Personnel Policies were enacted by the Board of SECI, especially in respect of regulating the service conditions of employees in a more transparent manner. Various other policies rationalization and updation were also taken. Recruitment Rules and Procedures were also framed and various recruitment process initiated to strengthen the professional team of SECI Manpower. Various training programs were

प्रबंधकीय / नेतृत्व वाले क्षेत्रों में कर्मियों की कार्यकुशलता व दक्षताओं को बढ़ाने हेतु वर्ष के दौरान विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

कर्मचारियों का ब्यौरा

31 मार्च, 2015 को कंपनी अधिनियम, 2013 के कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के साथ पठित नियम 5(1) की धारा 197(12) के अधीन कर्मचारियों के पारिश्रमिक के संबंध में सूचना निम्नवत है: लागू नहीं

राजभाषा

राजभाषा संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुपालन को उच्च प्राथमिकता दी गई और उनके क्रियान्वयन तथा व्यवहारिक रूप में हिंदी में कामकाज करने के लिए विशेष उपाय किए गए। कार्यालयी कार्य में दैनिक रूप से हिंदी में कामकाज करने हेतु कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए त्रैमासिक कार्यशालाओं / व्याख्यानों का आयोजन किया गया। सेकी की हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एक साथ डिजिटल पत्रिका "सूर्यांश" के पहले अंक का शुभारंभ किया गया। सितंबर, 2014 में राजभाषा पखवाड़ा मनाया गया। ऐसे कर्मचारियों को अनुभाग-वार पुरस्कार दिए गए जिन्होंने क्वार्टर / त्रैमासिक पक्ष में हिंदी में सबसे ज्यादा काम किया।

यौन-उत्पीड़न का निवारण

सेकी ने कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 को लागू किया है। आंतरिक शिकायत समिति गठित की गई है जिसमें 50% से भी अधिक महिला सदस्य हैं। वर्ष के दौरान एक महिला अनुबंध कर्मचारी से एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसे आंतरिक शिकायत समिति को भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है।

सतर्कता

आपकी कंपनी परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और प्रत्येक कर्मचारी द्वारा अपने संबंधित क्षेत्र में सतर्कता बरती जा रही है। ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि पारदर्शिता को कायम रखा जा सके और सभी को समान अवसर दिया जा सके। वेबसाइट में निविदाओं को अपलोड किया जाता है और सीवीसी द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों / निदेशों का सेकी में अनुपालन किया जा रहा है।

सीवीसी के निदेशों के अनुपालन में कंपनी ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जिसमें कर्मचारियों ने सार्वजनिक जीवन तथा व्यक्तिगत जीवन में मूलनिष्ठा व ईमानदारी रखने के लिए शपथ ली।

सूचना का अधिकार

आपकी कंपनी ने भारत के नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने तथा कंपनी के कामकाज में जवाबदेही और पारदर्शिता कायम रखने हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को लागू किया है। कंपनी ने अपने पंजीकृत कार्यालय में एक लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) और एक अपीलीय प्राधिकारी को पदनामित किया है। वर्ष 2014-15 के दौरान आरटीआई एक्ट के अधीन 21 आवेदन प्राप्त किए गए, जिन्हें प्रोसेस कर जवाब भेजे गए।

conducted during the year to enhance employee competencies in Technical, Functional and Managerial / Leadership areas.

Particulars of Employees

Information on Employees Remuneration u/s 197(12) read with rule 5(1) of Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014 of the Companies Act 2013 as on 31st March 2015 is as under: NA

Official Language

Implementation of Rajbhasha guidelines was given top priority and special measures for its adoption and practical usage were taken up. Quarterly workshops / Lectures were organised to encourage employees use Hindi in the day to day official work. The first issue of SECI digital magazine "Suryansh" with contents in Hindi and English languages was launched. Rajbhasha Fortnight was organized in September 2014. Section wise awards were given to employees who performed highest work in Hindi during the quarter.

Prevention of Sexual Harassment

SECI has implemented the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013. Internal Complaints Committee has been constituted with more than 50% of women members. During the year one complaint was received from a female contract worker which was referred to the Internal Complaint Committee and report is awaited.

Vigilance

Your company is in its transition stage and Vigilance is being exercised by each and every employee in their respective field. The systems are being evolved in such a manner so as to maintain transparency and equal opportunity to all. Tenders are being uploaded on website and CVC instructions/directions issued from time to time are being complied within the SECI.

In accordance with the Directives of the CVC, the company observed Vigilance Awareness Week during which employees took pledge for maintaining integrity in public life as well as in personal life.

Right to Information

Your Company has implemented the Right to Information Act, 2005 to provide information to the citizens of India and also to maintain accountability and transparency in the working of the company. The company has designated a Public Information Officer (PIO) and an Appellate Authority at its registered office. During 2014-15, 21 applications were received under the RTI Act, all of which were duly processed and replied to.

सूचना प्रौद्योगिकी

आपकी कंपनी ने केंद्रीयकृत सर्वर सुविधा और प्रयोक्ताओं के लिए अत्याधुनिक डेस्कटॉप/लेपटॉप के साथ एक आधुनिक और परिरक्षित संरचित डाटा नेटवर्क को अनुरक्षित किया है। सर्वर कक्ष हाई स्पीड LAN और WAN कनेक्टिविटी के साथ नेटवर्क और इंटरनेट सुरक्षा उपकरण स्थापित किए गए हैं। ग्राहक से उसके स्थान से ही बैठक/ चर्चा करने हेतु वीडियो कान्फ्रेंसिंग (वीसी) का इस्तेमाल किया जा रहा है।

आपकी कंपनी की कॉरपोरेट वेबसाइट है जिसे एनआईसी सर्वरों के जरिए परिरक्षित ई-मेल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई गई है। सुसंगत सूचना के प्रसार हेतु एक इंटरनेट पोर्टल परिनियोजित किया गया है, जिसका सभी कर्मचारियों द्वारा बड़ी आसानी से इन-हाउस उपयोग किया जा सकता है। आपकी कंपनी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में स्वयं का सक्रिय रूप से प्रोन्नयन कर रही है।

घरेलू सौर परियोजनाओं की कुशल निगरानी एवं नियंत्रण के लिए एक विकेंद्रीकृत परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर प्रणाली का कार्यान्वयन किया जा रहा है। वेतन और विविध दावों के लिए पे-रोल प्रणाली जैसे अन्य अनुप्रयोगों को विकसित कर इंटरानेट में परिनियोजित किया गया है।

सेकी कॉरपोरेट वेबसाइट www.seci.gov.in और सरकार के निविदा पोर्टल www.tenders.gov.in का इंटरनेट के जरिए सभी खुली निविदाओं के विज्ञापन हेतु इस्तेमाल किया जा रहा है। कार्यकुशलता में सुधार करने और वसूली प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए टेलिकम्युनिकेशन कन्सलटेंट्स इंडिया लिमिटेड की एस टी क्यू सी प्रमाणित ई–ट्रेंडिंग और – ई–ऑक्शन प्रणाली का चयन भी किया गया है और यह लागू की जा रही है

धारा 186 के अधीन ऋणों, प्रतिभूतियों अथवा निवेशों का ब्यौरा

वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अधीन कंपनी द्वारा कोई भी ऋण, प्रतिभूतियां या निवेश नहीं किया गया और इसलिए उपरोक्त उपबंध लागू नहीं है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण तथा विदेशी मुद्रा का अर्जन एवं बाह्य गमन के संबंध में ब्यौरा

1. वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण पर सूचना शून्य है
2. वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए विदेशी मुद्रा का अर्जन और बाह्यगमन की सूचना निम्नवत् है :

(रु. लाख में)

विवरण	2014-15	2013-14
विदेशी मुद्रा आय	शून्य	शून्य
विदेशी मुद्रा बाह्य गमन	12.05	3.28

लेखों की लेखापरीक्षा

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ने मैसर्स सूद ब्रिज एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउंटेंट को वर्ष 2014-15 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया था। सांविधिक

Information Technology

Your Company is maintaining a modern and secure structured data network with centralized server facility and latest desktops/laptops for users. Server room is equipped with network and internet security devices with high speed LAN and WAN connectivity. Videoconferencing (VC) facility is being used for meeting/deliberations with client locations.

Your company has a corporate website and secure E-mail connectivity through NIC servers. An Intranet portal has been deployed to facilitate dissemination of relevant information that can be easily accessed in-house by all employees. Your company is also actively promoting itself in public through social networking websites.

A centralized project management software system for efficient monitoring and control of domestic solar projects commissioning is being implemented. Other applications such as payroll system for salary and miscellaneous claims has also been developed and deployed on intranet.

SECI corporate website www.seci.gov.in and Government tender portal www.tenders.gov.in are being used for publishing all open tenders on the internet. In order to improve upon efficiency and bringing transparency in procurement processes, STQC certified e-tendering & e-auction system of Telecommunications Consultants India Limited has also been selected and is being deployed.

Particulars of loans, guarantees or investments under section 186

There were no loans, guarantees or investments made by the Company under Section 186 of the Companies Act, 2013 during the year under review and hence the said provision is not applicable.

Particulars Regarding Conservation Of Energy, Technology Absorption and Foreign Exchange Earnings & Outgo

1. Information on Conservation of Energy, Technology Absorption for the financial year 2014-15 NIL
2. Information on Foreign Exchange Earnings and outgo for the financial year 2014-15

(Rs. In lakhs)

Particulars	2014-15	2013-14
Foreign Exchange Earnings	NIL	NIL
Foreign Exchange outgo	12.05	3.28

Audit of Accounts

M/s SoodBrij & Associates, Chartered Accountants, were appointed as Statutory Auditors for the year 2014-15 by the Comptroller and Auditor General of India, New Delhi.

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट **अनुबंध—क** में दी गई है। सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा कोई बदलाव नहीं किया गया है। सी एंड ए जी की टिप्पणियां **अनुबंध—ख** में दी गई है। सी एंड ए जी की "शून्य" टिप्पणी होने पर प्रबंधन का उत्तर लागू नहीं है।

कॉरपोरेट अभिशासन

कॉरपोरेट अभिशासन की रिपोर्ट **अनुबंध—ग** में दी गई है जो इस रिपोर्ट का ही भाग है।

वार्षिक रिटर्न का सार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (क) के अनुपालन में वार्षिक रिटर्न का सार विनिर्दिष्ट प्रपत्र में **अनुबंध—घ** के रूप में निदेशक मंडल की रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

निदेशक मंडल ने अपनी व्यवसाय नीतियों के अनुसरण में, अपनी परिसम्पत्तियों को संरक्षित करने, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों का पता लगाने और उनका निवारण करने, लेखाकरण रिकॉर्डों की यथार्थता और पूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय प्रकटीकरणों को समय पर तैयार करने सहित अपनी कार्यवाहियों के सुव्यवस्थित और दक्षतापूर्ण संचालन सुनिश्चित करने हेतु नीतियों और कार्यविधियों को लागू किया है।

आचार संहिता

डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुपालन में कंपनी आचार संहिता एवं आचार—शास्त्र (संहिता) तैयार कर रही है, जिसे ऐसे सभी निदेशक मंडल सदस्यों पर लागू किया जाएगा जो वार्षिक आधार पर संहिता के अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध होंगे।

निदेशक उत्तरदायित्व विवरण

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखों की तैयारी में निदेशक यह पुष्टि करते हैं कि —

1. सामग्री निकासी, यदि कोई हो, से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का अनुसरण किया गया था।
2. उपयुक्त लेखाकरण नीतियों का चयन किया गया और लगातार उनका अनुपालन किया गया तथा ऐसे अधिनिर्णय और अनुमान लगाए जोकि औचित्यपूर्ण एवं विवेकपूर्ण थे, ताकि 31 मार्च, 2015 की समाप्ति पर कंपनी के सही एवं उचित क्रियाकलापों तथा 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की आय और व्यय के विवरण की सही एवं उचित तस्वीर प्रस्तुत की जा सके।
3. कंपनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों के प्रबंधन हेतु उचित और पर्याप्त ध्यान रखा।
4. वार्षिक लेखाओं को चालू आधार पर तैयार किया गया है।
5. कंपनी द्वारा उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अनुपालन किया गया और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण उपयुक्त हैं तथा प्रभावकारी साबित हुए हैं।

The Report of Statutory Auditors is placed at **Annexure-A.** No Qualifications were made by the Statutory Auditors. Comments of C & AG are placed at **Annexure-B** Comments of C&AG being "nil", replies by the Management is not applicable.

Corporate Governance

A report on the Corporate Governance, forming part of this report is given in **Annexure-C** to this report.

Extract of Annual Return

In accordance with section 134(3)(a) of the Companies Act, 2013 an Extract of Annual Return in the prescribed format is enclosed as **Annexure - D** to the Board's Report.

Internal Financial control

The Board has adopted the policies and procedures for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the business policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of accounting records, and timely preparation of reliable financial disclosures.

Code of Conduct

In compliance with the DPE guidelines, the Company is in the process of framing the code of conduct and Ethics ("the Code") which would be applicable to all Board members who shall affirm compliance with the code on an annual basis.

Directors' Responsibility Statement

The Directors confirm that in the preparation of the Annual Accounts for the year ended 31st March 2015:

1. The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any;
2. Appropriate accounting policies have been selected and applied consistently and have made judgments and estimates that are reasonable and prudent, so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company as at March 31, 2015 and statement of the income and expenditure of the Company for the year ended March 31, 2015;
3. Proper and sufficient care has been taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities; and;
4. The annual accounts have been prepared on a going concern basis.
5. Proper internal financial controls were followed by the Company and such internal financial controls are adequate and were operating effectively;

6. सभी लागू विधियों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उचित प्रणालियों का पता लगाया गया है और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावकारी ढ़ग से परिचालित थी तथापि, कार्यालय पंजीकरण तथा संविदा श्रम की प्रतिनियुक्ति के संबंध में कुछ अनुपालन आगे अपेक्षित कार्रवाई हेतु नोटिस किए गए हैं।

सचिवालयी लेखापरीक्षक

अधिनियम की धारा 204 के उपबंधों तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के अनुपालन में, निदेशक मंडल ने मैसर्स आशु गुप्ता एंड कंपनी, नई दिल्ली व्यावसायिक कंपनी सचिव, नई दिल्ली को वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए सचिवालयी लेखा परीक्षा करने हेतु नियुक्त किया है।

प्रारूप सचिवालय लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति इस रिपोर्ट के साथ **अनुबंध–ड़** के रूप में संलग्न है।

आभार

निदेशक मंडल भारत सरकार, विशेष रूप से नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान (एनआईटीआई), सार्वजनिक उपक्रम विभाग, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, भारत का नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक कार्यालय, राज्य सरकारों, राज्य विद्युत मंडलों, डिस्कॉम, राज्य नोडल एजेंसियों से प्राप्त सहयोग, मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लि. (आईआरईडीए), टिहरी हाइड्रो विकास निगम लि. (टीएचडीसी) तथा कोल इंडिया लि. (सीआईएल) द्वारा परियोजना प्रबंधन परामर्श के तहत अपने ग्रिड संबद्ध सौर ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित करने से संबंधित कार्य 'सेकी' को सौंपने में व्यक्त की गई आस्था और विश्वास की सराहना करता है।

निदेशक मंडल विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा कंपनी पर किए गए विश्वास के लिए उनका आभार व्यक्त करता है।

हम कर्मचारियों द्वारा कंपनी की प्रगति सुनिश्चित करने हेतु सभी स्तरों पर दिए गए योगदान और उनके अथक प्रयासों की प्रशंसा करते हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(उपेन्द्र त्रिपाठी)
अध्यक्ष
डी.आई एन 2942700

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक 12 अगस्त, 2015

6. Proper systems are devised to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively. However, some compliances in respect of office registration and contract labour deployment has come to notice for further necessary action.

Secretarial Auditors

Pursuant to the provisions of Section 204 of the Act and the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, the Board of Directors has appointed M/s. Ashu Gupta & Co. Practicing Company Secretary, New Delhi, Practicing Company Secretary for conducting Secretarial Audit for the Financial Year 2014-15.

A copy of the Secretarial Audit Report is annexed to this Report as per **Annexure- E.**

Acknowledgement

Your directors acknowledge with deep sense of appreciation, the co-operation received from the Govt. of India, particularly the Ministry of New and Renewable Energy, Ministry of Power, Ministry of Finance, National Institute of Transformation of India (NITI), the Department of Public Enterprises, Central Electricity Regulatory Commission, Comptroller & Auditor General of India, State Governments, State Electricity Boards, Discoms, State Nodal Agencies.

Your Directors acknowledge the faith and confidence reposed by Indian Renewable Energy Development Agency Ltd. (IREDA), Tehri Hydro Development Corporation Ltd. (THDC) and Coal India Ltd. (CIL) in awarding work related to setting up of their grid connected solar power projects under Project Management Consultancy to SECI. This is greatly appreciated.

Your directors also convey their gratitude to various Financial Institutions for the confidence reposed by them in the company.

We wish to place on record our appreciation for the untiring efforts and contributions made by the employees at all levels to ensure that the company continues to grow and excel.

For and on behalf of the Board of Directors

(UpendraTripathy)
Chairman
DIN 2942700

Place : New Delhi
Date : 12th August, 2015

लेखा परीक्षा रिपोर्ट
Auditor's Report

अनुबंध–क

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया के सदस्यगण

वित्तीय विवरणों के संबंध में रिपोर्ट

1. हमने **सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया** ('कंपनी') के संलग्न एकीकृत वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिनमें 31 मार्च, 2015 को स्थिति के अनुसार तुलन पत्र, इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय विवरण, इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

2. कंपनी का निदेशक मंडल उन एकीकृत वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134 (5) में निहित मामलों के लिए उत्तरदायी है जो अधिनियम की धारा 133 के साथ पठित कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के अधीन निर्दिष्ट लेखाकरण मानकों सहित भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसरण में कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-निष्पादन और नकद प्रवाह की सही और उचित स्थिति दर्शाते हैं। इस उत्तरदायित्व में परिसम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं का पता लगाने तथा उन्हें रोकने के लिए, उचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेने और अनुमान लगाने के लिए, और आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जो लेखाकरण रिकार्डों की सही-सही और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए कारगर ढंग से संचालित किए गए थे, की रूपरेखा तैयार करने, क्रियान्वित और रखरखाव करने के लिए अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में पर्याप्त लेखाकरण रिकार्ड रखना शामिल है। ये लेखाकरण रिकार्ड उन वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा प्रस्तुत करने से संबंधित हैं जो वास्तविक और सही विवरण देते हैं और गलत विवरण नहीं देते चाहे धोखाधड़ी या गलती से हों।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

3. हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित इन एकीकृत वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करना है। हमने अधिनियम के उपबंधों, लेखाकरण और लेखापरीक्षा मानकों तथा उन मामलों को ध्यान में रखा है जो अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने अपेक्षित हैं, हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन निर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। उन मानकों में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं और योजना का अनुपालन करें और सुनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरण सामग्री गलत तो नहीं है।

4. लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशि और प्रकटीकरण के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु की जाने वाली प्रक्रिया शामिल है। चुनी जाने वाली प्रक्रिया वित्तीय विवरणों के वस्तुपरक गलत विवरण, चाहे वह धोखाधड़ी अथवा गलती के कारण हों, के जोखिम के मूल्यांकन सहित लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है। उन जोखिमों का मूल्यांकन करने

Annexure-A

Independent Auditors' Report

To the Members of Solar Energy Corporation of India

Report on the Financial Statements

1. We have audited the accompanying standalone financial statements of **Solar Energy Corporation of India** ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at 31 March 2015, the Statement of Income and Expenditure of the Company for the year ended on that date, and the Cash flow Statement of the Company for the year ended on that date and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. The Company's Board of Directors is responsible for the matters in section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. This responsibility also includes the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provision of the Act for safeguarding of *the* assets of the Company and for preventing and detecting the frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of internal financial control, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation & presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these standalone financial statements based on our audit. We have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made there under. we conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor

में, लेखापरीक्षक कंपनी की वित्तीय नियंत्रणों की तैयारी से संबंधित उन आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर विचार करता है जो वास्तविक और उचित स्थिति दे सकें ताकि उन लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की रूपरेखा बनाई जा सके जो इन स्थितियों में उपयुक्त हों। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखाकरण नीतियों की उपयुक्तता और कंपनी के निदेशकों द्वारा तैयार किए गए लेखाकरण अनुमानों की तर्कसंगतता और साथ ही वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करना शामिल है।

5. हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं वे एकीकृत वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए एक आधार मुहैया करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

अभिमत

6. हमारे विचार से और हमारी जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार वित्तीय विवरण अपेक्षित पद्धति में अधिनियम द्वारा अपेक्षित जानकारी देते हैं और भारत में स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों की पुष्टि की दृष्टि से सही और उचित मत प्रस्तुत करते हैं :–

(1) तुलन–पत्र के मामले में, दिनांक 31 मार्च, 2015 के अनुसार कंपनी की स्थिति;

(2) आय व्यय के विवरण के मामले में, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष; और

(3) नकद प्रवाह विवरण के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह

7. जैसाकि अधिनियम की धारा 143(3) में अपेक्षित है हम रिपोर्ट देते हैं कि :–

क) हमने वह सभी सूचना और तथ्य प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन हेतु हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार जरूरी थे;

ख) हमारे विचार से कंपनी द्वारा कानून द्वारा यथापेक्षित खातों की उचित लेखा बहियाँ रखी गई हैं, जैसाकि उन बहियों की जाँच से पता चलता है;

ग) इस रिपोर्ट के अनुसार तुलन पत्र तथा लाभ और हानि का विवरण, और नकद प्रवाह विवरण लेखा बहियों के अनुरूप है, और

घ) हमारे विचार में उपर्युक्त एकीकृत वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के साथ पठित कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के अधीन निर्दिष्ट मानकों के अनुरूप हैं।

ङ) दिनांक 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों और निदेशक मंडल द्वारा रखे गए रिकार्ड के आधार पर 31मार्च, 2015 तक किसी भी निदेशक को अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार निदेशक के तौर पर नियुक्त किए जाने के अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

च) लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल अन्य मामलों के संबंध में और हमारी जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :–

(i) कम्पनी के पास कोई मुकदमा लम्बित नहीं है जिससे इसकी वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो।

(ii) कम्पनी के पास व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव) ठेकों सहित कोई सावधि ठेका नहीं है जिससे कोई आर्थिक हानि होने का अनुमान है।

(iii) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी में निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि को धनराशि अन्तरित करने का कोई मामला नहीं है। ऐसी धनराशि को अन्तरित करने में विलम्ब होने का प्रश्न नहीं उठता।

considers internal financial control relevant to the Company's preparation of the financial statements that give true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by Company's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the standalone financial statements.

Opinion

6. In our opinion *and* to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements, give the information required by the Act, in the manner so required and give *a* true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:-

(i) in the case of the of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at 31 March 2015;

(ii) in the case of the Statement of Income and Expenditure, of the Surplus for the year ended on that date; and

(iii) in the case of the Cash Flow Statement, of the cash flows for the year ended on that date.

7. As required by section 143(3) of the Act, we report that:

a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.

b) In our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as appears from our examination of those books.

c) The Balance Sheet, the Statement of income and Expenditure and Cash flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account.

d) In our opinion the aforesaid standalone financial statements comply with the Accounting Standards specified under section 133 of the Act, read with Rule 7 of the companies (Accounts) Rules, 2014.

e) On the basis of written representations received from the directors as on 31 March, 2015, taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on 31 March, 2015, from being appointed as a director in terms of Section 164(2) of the Act.

f) with respect to the other matters included in the Auditor's Report and to the best of our information and according to the explanations given to us :-

(i) The company does not have any pending litigations which would impact its financial position.

(ii) The company does not have any term contracts including derivative contracts for which there any material foreseeable losses.

(iii) There has not been an occasion in case of the Company during the year under report to transfer any sums to the investor Education and Protection Fund. The question of delay in transferring such sums does not arise.

8. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निदेशों के संदर्भ में भी, हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :

(i) कम्पनी को विनिवेश के लिए नहीं चुना गया है। अतः कोई टिप्पणियाँ नहीं माँगी जाती हैं।

(ii) उधारियों / ऋणों / ब्याज आदि को माफ करने / बट्टे खाते डालने का कोई मामला नहीं है।

(iii) कम्पनी का ऐसा कोई सामान / परिसम्पत्ति नहीं है जो तीसरे पक्ष के पास पड़ी हो तथा सरकार अथवा अन्य संस्थान से उपहारस्वरूप प्राप्त कोई परिसम्पत्ति नहीं है।

(iv) प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, लम्बित कानूनी / मध्यस्थम के मुकदमों का मियाद–वार विश्लेषण निम्नानुसार है :

क्र. सं.	श्रेणी	2012–15 के बीच मुकदमों की संख्या	देयता रूपये	अभ्युक्ति
1.	सिविल विविध सेवा रिट याचिका सं. 5354 / 2012	1 >3 वर्ष <4 वर्ष	शून्य	यह मुकदमा वरिष्ठ अभियंता के पद के लिए चयन न करने के संबंध में है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, यह मुकदमा नियमित मुकदमों में सूचीबद्ध करने के लिए स्वीकार किया गया है।
2.	संविदात्मक (i) 2015 की याचिका सं. डब्ल्यूपी (सी) 2527 (ii) दिल्ली उच्च न्यायालय में 2015 की याचिका सं. डब्ल्यू.डी (सी) 888	2 <1 वर्ष	शून्य	जेएनएनएसएम चरण II बैच–1 के अधीन प्रतीक्षा सूची में परियोजनाओं का आवंटन रद्द किया गया।

कृते सूद ब्रिज एण्ड एसोशिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन सं. 00350 एन

ए.के. सूद
साझीदार
सदस्यता सं. 14372

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25 जून, 2015

8. Further in terms of directions issued by the Comptroller and Auditors General of India under section 143(5) of the companies Act, 2013, we further report that :-

(i) The company has not been selected for disinvestment. Therefore no comments are called for.

(ii) There are no cases of waiver / write off of debts / loans / interest etc.

(iii) There are no inventories of the company lying with third parties and there are no assets received as gift from Govt, or other authorities.

(iv) Age wise analysis of pending legal/arbitration cases as provided by the management, are as under:

Sl. No	Category	Number of Cases between 2012-15	Liability in Rs.	Remarks
1	Civil Misc Service WP No. 5354/ 2012	1 >3 years <4 years	Nil	Case pertaining to non-selection for the post of Senior Engineer. As per order of Hon'ble High Court of Delhi matter is admitted to be listed in course of regular matters
2.	Contractual (i) Petition No. WP (C) 2527 OF 2015 (ii) Petition No. WD (C) 888 of 2015 in Delhi High Court	2 < 1 Years	Nil	Allocation of projects in wait list cancelled under JNNSM Phase II Batch-1

For Sood Brij & Associates
Chartered Accountants
FRN No. 00350N

A.K. Sood
Partner
Membership Number: 14372

Place: New Delhi
Dated :25th June 2015

अनुबंध–ख

सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया के 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया के वित्तीय विवरण तैयार करना कम्पनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। उक्त अधिनियम की धारा 139(5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक उक्त अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की गई स्वतन्त्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अधीन वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। उनकी 25 जून, 2015 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट द्वारा उनके द्वारा यह कार्य कर दिया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा न करने का निर्णय किया है और अतः उक्त अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अधीन कोई टिप्पणी नहीं देनी है।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक
के लिए और उनकी ओर से

(तनुजा एस. मित्तल)
प्रमुख निदेशक, वाणिज्यिक
लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड–III,
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16 जुलाई, 2015

Annexure-B

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF SOLAR ENERGY CORPORATION OF INDIA FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2015

The preparation of financial statements of Solar Energy Corporation of India for the year ended 31 March 2015 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 is the responsibility of the Management of the Company. The Statutory Auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under Section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the Standards on Auditing prescribed under Section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 25 June 2015.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have decided not to conduct the supplementary audit of the financial statements of Solar Energy Corporation of India for the year ended 31 March 2015 and as such have no comments to make under Section 143(6)(b) of the Act.

For and on the behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

(Tanuja S. Mittal)
Principal Director of Commercial Audit &
Ex-officio Member, Audit Board - III,
New Delhi

Place: New Delhi
Dated: 16 July, 2015

अनुबंध–ग

निगमित अभिशासन पर रिपोर्ट

कंपनी, जेएनएनएसएम के अधीन निर्धारित सतत एवं दीर्घकालिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विवेक, खुलेपन, न्यायपूर्ण, व्यावसायिक तथा उत्तरदायित्व पर आधारित स्वस्थ अभिशासन पद्धतियां लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

1. निगमित अभिशासन की आचार संहिता के बारे में कंपनी के सिद्धांत

कंपनी स्वस्थ निगमित अभिशासन में दृढ़ विश्वास रखती है तथा उस पर आचरण भी करती है। कंपनी की नीतियों की झलक पारदर्शिता, व्यावसायिकता तथा उत्तरदायित्व के मूल्यों में दिखाई देती है। कंपनी इन पहलुओं की बेहतरी के लिए निरंतर प्रयासरत है जिससे वह अपने ग्राहकों, कर्मचारियों, हितधारकों तथा समस्त समाज के लिए दीर्घकालीन आर्थिक मूल्यों का सृजन करती है।

सेकी नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा कुशल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता एवं बढ़ावा देने के लिए प्रतियोगी, ग्राहक अनुकूल तथा विकासोन्मुख संगठन बनने के लिए प्रतिबद्ध है।

2. निदेशक मंडल

सेकी का निदेशक मंडल नेतृत्व प्रदान करने, नीतिगत मार्गदर्शन करने, प्रबंधन के स्वतंत्र विषयगत निर्णय लेने और कंपनी पर नियंत्रण रखने के साथ ही प्रतिपल शेयर धारकों के प्रति उत्तरदायी रहता है।

पिछली रिपोर्ट के बाद, श्री राजेंद्र निमजे द्वारा 11 दिसंबर, 2014 से सेकी के प्रबंध निदेशक के पद से दिए गए त्याग-पत्र को स्वीकार करने के बाद भारत सरकार, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने दिनांक 11-12-2014 के पत्र द्वारा डॉ. अश्विनी कुमार, निदेशक (सौर) को प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है।

2.1 निदेशक मंडल का गठन

सेकी के निदेशक मंडल में कार्यकारी निदेशकों, जिनमें प्रबंध निदेशक सहित कार्यात्मक निदेशक हैं और अकार्यकारी निदेशकों, जिनमें सरकार के नामिती शामिल हैं, का उपयुक्त मिश्रण है। इस रिपोर्ट की तारीख को निदेशक मंडल का गठन निम्नानुसार है :

पूर्णकालिक कार्यकारी (कार्यात्मक) निदेशक

1. श्री राजेंद्र निमजे, प्रबंध निदेशक (18.10.2013 से 11.12. 2014 तक)
2. डॉ. अश्विनी कुमार, निदेशक (सौर) एवं 11-12-2014 से प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार
3. श्री राकेश कुमार, निदेशक (विद्युत प्रणाली)
4. श्री सी. कन्नन, निदेशक (वित्त)
5. श्री राजीव भारद्वाज, निदेशक (मानव संसाधन)

अंशकालिक सरकारी निदेशक (सरकारी नामिती)

1. डॉ. सतीश बी. अग्निहोत्री, सरकारी नामिती (05.12.2013 – 27.05.2014)
2. श्री उपेंद्र त्रिपाठी, सरकारी नामिती तथा अध्यक्ष (27.05.2014 से)
3. श्री तरुण कपूर, सरकारी नामिती

Annexure-C

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

The Company is committed to sound corporate practices based on conscience, openness, fairness, professionalism and accountability for achieving sustainable long term growth to achieve the mission set under JNNSM.

1. COMPANY'S PHILOSOPHY ON CODE OF CORPORATE GOVERNANCE.

The company firmly believes and has consistently practiced good corporate governance. The company's policy is reflected by the values of transparency, professionalism and accountability. The company constantly strives towards betterment of these aspects and thereby generating long term economic value for its customers, employees, stakeholders and the society as a whole.

SECI is committed to be a competitive, client-friendly and development-oriented organization for financing and promoting renewable energy and energy efficiency projects.

2. BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors of SECI provide leadership and strategic guidance, objective judgement independent of management and exercise control over the Company while remaining at all times accountable to the Shareholders.

Since the last report, the Government of India, Ministry of New and Renewable Energy vide letter dated 11.12.2014 has given Additional charge of Managing Director to Dr. Ashvini Kumar, Director (Solar) in view of acceptance of resignation of Shri Rajendra Nimje as Managing Director of SECI w.e.f 11th December 2014.

2.1 Composition of the Board of Directors

The composition of Board of Directors of SECI has an appropriate mix of Executive Directors represented by Functional Directors including MD and Non- Executive Directors represented by Government Nominees.The composition of the Board as on the date of the Report is as follows:

Whole-time Executive (Functional) Directors

1. Shri. Rajendra Nimje, Managing Director (w.e.f. 18.10.2013-11.12.2014)
2. Dr. Ashvini Kumar, Director (Solar) and Additional Charge of Managing Director w.e.f. 11.12.2014
3. Shri. Rakesh Kumar, Director (Power Systems)
4. Shri. C. Kannan, Director (Finance)
5. Shri. Rajeev Bhardwaj, Director (HR)

Part-Time Official Director (Government Nominees)

1. Dr. Satish B. Agnihotri - Government Nominee (05.12.2013-27.05.2014)
2. Shri. Upendra Tripathy - Government Nominee & Chairman (w.e.f. 27.05.2014)
3. Shri. Tarun Kapoor – Government Nominee.

कंपनी ने अपने दिनांक 09.04.2015 के पत्र द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से सेकी के निदेशक मंडल में अपेक्षित संख्या में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों को नियुक्त करने का अनुरोध किया है। प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इस पर विचार किया जा रहा है।

2.2 वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों का विवरण

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, निदेशक मंडल की तीन बैठकें दिनांक 11.06.2014 और 18.06.2014 (स्थगित), 12.09.2014 और 13.01.2015 को आयोजित की गई थीं। विस्तृत कार्यसूची और पृष्ठभूमि टिप्पणियाँ निदेशकों को परिचालित की गई थीं।

निदेशक मंडल को निगमित अभिशासन के लिए निर्धारित डीपीई के दिशा-निर्देशों में निर्धारित सूचना सहित अनुरूप कंपनी की सभी संगत सूचनाएं उपलब्ध हैं।

2.3 बोर्ड की बैठकों और वार्षिक आम सभा में निदेशकों और अन्य कंपनियों में निदेशकता / समिति सदस्यता / अध्यक्षता करने वालों की उपस्थिति का रिकार्ड

वर्ष 2014-15 के दौरान बोर्ड की बैठकों और 12 सितंबर, 2014 को हुई पिछली वार्षिक आम सभा में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति और अन्य कंपनियों में निदेशकता / समिति सदस्यता / अध्यक्षता करने वालों की संख्या निम्नानुसार है :

निदेशक का नाम एवं पदनाम	बोर्ड की बैठकों की संख्या		अन्य कंपनियों में निदेशकता करने का विवरण	अन्य कंपनियों की समितियों में सदस्यता		पिछली वार्षिक आम सभा (12.09.2014 को) में उपस्थिति
	वर्ष के दौरान आयोजित (कार्यकाल के अनुसार)	उपस्थिति (कार्यकाल के अनुसार)		सदस्य	अध्यक्ष	
श्री उपेन्द्र त्रिपाठी (अध्यक्ष)	3	3	शून्य	शून्य	शून्य	उपस्थित
श्री तरुण कपूर (सरकार द्वारा नामित निदेशक)	3	3	शून्य	शून्य	शून्य	उपस्थित
श्री राजेन्द्र निमजे (प्रबंध निदेशक 11/12/2014 तक)	2	2	1	शून्य	शून्य	उपस्थित
डॉ. अश्विनी कुमार (निदेशक –सौर) 10/12/2014 तक)	2	2	1	शून्य	शून्य	उपस्थित

The Company has requested Administrative Ministry i.e Ministry of New & Renewable Energy vide letter dated 09.04.2015 to appoint the requisite no. of part-time Non-Official Directors on the Board of SECI. The same is under consideration of the Administrative Ministry i.e (MNRE).

2.2 Details of Board Meetings held during the Financial Year 2014-15

During the Financial Year 2014-15, 3 Nos. of Board meetings were held i.e. on 11.06.2014 & 18.06.2014 (adjourned), 12.09.2014 & 13.01.2015. Detailed agendas along with background notes were circulated to the Board.

The Board has complete access to all the relevant information within the Company including those prescribed in the DPE Guidelines on Corporate Governance.

2.3 Attendance record of Directors at Board Meetings and Annual General Meeting and number of other Directorships /Committee Memberships / Chairmanships

Attendance of each Directors at the Board Meetings held during the year 2014-15 and the last Annual General Meeting held on 12th September, 2014 and number of other Directorships / Committee Memberships / Chairmanships are given below:

Name of Director & Designation	No. of Board Meetings		Details of Directorship in other Companies	Membership in the Committees of other Companies		Attendance at the last AGM (12.09.2014)
	Held during the year (as per tenure)	Attended (as per tenure)		Member	Chairman	
Shri Upendra Tripathy (Chairman)	3	3	NIL	NIL	NIL	Attended
Shri Tarun Kapoor (Govt. Nominee Director)	3	3	NIL	NIL	NIL	Attended
Shri Rajendra Nimje (MD) (upto 11/12/2014)	2	2	1	NIL	NIL	Attended
Dr. Ashvini Kumar (Director -Solar) (upto 10/12/2014)	2	2	1	NIL	NIL	Attended

डॉ. अश्विनी कुमार (प्रबंध निदेशक / निदेशक (सौर) (11/12/2014 से)	1	1	1	शून्य	शून्य	उपस्थित
श्री राकेश कुमार (निदेशक –विद्युत प्रणाली)	3	3	शून्य	शून्य	शून्य	उपस्थित
श्री सी. कन्नन (निदेशक –वित्त)	3	3	शून्य	शून्य	शून्य	उपस्थित
श्री राजीव भारद्वाज (निदेशक –मानव संसाधन)	3	3	शून्य	शून्य	शून्य	उपस्थित

3. लेखापरीक्षा समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 177 के उपबंधों तथा निगमित अभिशासन पर लोक उद्यम विभाग के मार्ग–निर्देशों का अनुपालन करते हुए, सेकी ने 26.03.2013 को निदेशक मंडल की एक 'लेखापरीक्षा समिति' का गठन किया।

3.1 लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या

2014-15 के दौरान, लेखापरीक्षा समिति की तीन बैठकें 18.06.2014, 12.09.2014 तथा 13.01.2015 को हुईं। समिति के सभी सदस्यों को विस्तृत कार्यसूची तथा पृष्ठभूमि टिप्पणियाँ अग्रिम रूप से भेज दी गई थीं।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में समिति के सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि के दौरान बैठकों की संख्या	बैठकों की सं. जिनमें उपस्थिति
1.	श्री उपेन्द्र त्रिपाठी	अध्यक्ष	3	3
2.	श्री तरूण कपूर	निदेशक (सरकारी नामिती)	3	3
3.	श्री राकेश कुमार	कार्यात्मक निदेशक	3	3

निदेशक (वित्त), आंतरिक लेखापरीक्षकों तथा सांविधिक लेखापरीक्षकों को इन बैठकों के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के कार्यवृत्त बोर्ड के समक्ष पुष्टि के लिए प्रस्तुत किए गए।

Dr. Ashwini Kumar (MD) / Director (Solar) (from 11/12/ 2014)	1	1	1	NIL	NIL	Attended
Shri Rakesh Kumar (Director -PS)	3	3	NIL	NIL	NIL	Attended
Shri C. Kannan (Director -Finance)	3	3	NIL	NIL	NIL	Attended
Shri Rajeev Bhardwaj (Director -HR)	3	3	NIL	NIL	NIL	Attended

3. Audit Committee

In compliance with the provisions of Section 177 of the Companies Act, 2013 (the 'Act'), and DPE guidelines on Corporate Governance, SECI had constituted a Committee of the Board known as "Audit Committee" on 26.03.2013.

3.1 Number of Audit Committee Meetings

During the year 2014-15, three Audit Committee Meeting were held i.e. on 18.06.2014, 12.09.2014 & 13.01.2015. Detailed agendas along with background notes were circulated in advance to all the Committee Members.

The Composition of the Audit Committee members' attendance at the Audit Committee Meetings for the fiscal year 2014-15 are detailed below :-

Sl. No.	Name of the Director	Designation	No. of Meeting held during the tenure	No. of meeting attended
1.	Shri Upendra Tripathy	Chairman	3	3
2.	Shri Tarun Kapoor	Director (Govt. Nominee)	3	3
3.	Shri. Rakesh Kumar	Functional Director	3	3

Director (Finance), Internal Auditors and Statutory Auditors were special invitees in the Audit Committee meeting. The minutes of the Audit Committee were placed before the Board for confirmation.

4. आम सभा की बैठक

पिछली तीन वार्षिक आम सभाओं की तारीख, समय तथा स्थान का ब्यौरा इस प्रकार है–

वित्तीय वर्ष	वार्षिक आम सभा	दिनांक	समय	स्थान
2011-12	पहली	17.09.2012	17:30 बजे	सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया, एनबीसीसी प्लाजा, चौथी मंजिल, टावर- I साकेत, नई दिल्ली-110017
2012-13	दूसरी	27.08.2013	17:00 बजे	सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया, एनबीसीसी प्लाजा, चौथी मंजिल, टावर- I साकेत, नई दिल्ली-110017
2013-14	तीसरी	12.09.2014	12:30 बजे	सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया, डी-3, विंग ए, पहली मंजिल, रेलीगेयर बिल्डिंग, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017

5. प्रकटीकरण

(i) संबंधित पक्ष से संव्यवहार

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण मानक (ए.एस.) 18 द्वारा यथापेक्षित संबंधित पक्षों के साथ किए गए संव्यवहार का प्रकटीकरण कंपनी के वित्तीय विवरण के लेखाओं की टिप्पणियों (टिप्पणी सं. 2.6) में किया गया है।

(ii) निदेशकों का पारिश्रमिक

गैर-कार्यकारी निदेशकों का इस वर्ष उनके कार्यकाल में बोर्ड/ बोर्ड की उप-समितियों की बैठकों में उपस्थित रहने का शुल्क ग्रहण करने के अलावा कंपनी के संव्यवहार से कोई आर्थिक सरोकार नहीं था। किसी भी गैर–कार्यकारी निदेशक के पास कंपनी के कोई शेयर/ संपरिवर्तनीय इंस्ट्रूमेंट नहीं हैं।

(iii) अनुपालन न करने के लिए कंपनी पर लगाए गए दंड और उसके विरुद्ध निंदा प्रस्ताव :

कंपनी द्वारा अनुपालन न करने अथवा किसी अन्य मामले में किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर दंड लगाने और निंदा करने की कोई घटना नहीं हुई है।

4. General Body Meetings

The details of Date, Time and Location of the last three Annual General Meetings held are as under:

Financial Year	AGM	Date	Time	Location
2011-12	1st	17.09.2012	17:30 hrs	Solar Energy Corporation of India, NBCC Plaza, 4th Floor, Tower-I, Saket, New Delhi-110017
2012-13	2nd	27.08.2013	17:00 hrs	Solar Energy Corporation of India, NBCC Plaza, 4th Floor, Tower-I, Saket, New Delhi-110017
2013-14	3rd	12.09.2014	12:30 hrs	Solar Energy Corporation of India, D-3, Wing A, Ist floor, ReligareBuilding, District Centre, Saket, New Delhi - 110017

5. DISCLOSURES

(i) Related party Transactions

The disclosure on transactions entered into with the related parties as required by the Accounting Standards (AS) 18 issued by the Institute of Chartered Accountants of India is mentioned in the Notes to Accounts (Note No. 2.6) of the Financial Statement of the company.

(ii) Remuneration of Directors

The Non-Executive Director had no pecuniary relations or transactions vis-à-vis the company during the year in their tenure except receipt of sitting fee for attending the meetings of the Board / Board Sub-Committee. None of the Non-executive Director held any share/convertible instrument of the Company.

(iii) Non- compliances/ penalties & stricture imposed on the company

There were no instances of non-compliance by the Company, penalties & structure imposed on the Company by any statutory authority, or any other matter.

(iv) लेखाकरण पद्धति

वित्तीय विवरण तैयार करने में, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 में उल्लिखित मानकों का अनुपालन किया है। महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां, जिनका लगातार पालन किया जा रहा है, लेखों की टिप्पणियों के अनुबंध में निर्धारित की गई हैं।

(v) निगमित अभिशासन के संबंध में लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों की अपेक्षाओं के अनुपालन का ब्यौरा

सीपीएसई के लिए निगमित अभिशासन के संबंध में लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों की सभी अनिवार्य अपेक्षाओं, बोर्ड और समितियों में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या से संबंधित अपेक्षा को छोड़कर, का अनुपालन किया गया है।

(vi) लेखा पुस्तकों में डेबिट की गई व्यय की मद, जो व्यापार के प्रयोजन के लिए नहीं है : शून्य

6. लेखापरीक्षा में पाई गई कमियां : शून्य

7. बोर्ड के सदस्यों को प्रशिक्षण : यह आवश्यकता पर आधारित है।

(iv) Accounting Treatment

In preparation of financial statements, the Company has followed the accounting standard referred in section 129 of the Companies Act, 2013. The significant accounting policies which are constantly applied are set out in the Annexure to notes to the Accounts.

(v) Details of compliances with the requirements of DPE Guidelines on Corporate Governance

All mandatory requirements of the DPE Guidelines on Corporate Governance for CPSEs have been duly complied with by the Company except those relating to required number of Independent Directors in Board and Committees.

(vi) Items of expenditure debited in books of accounts, which are not for the purpose of the business: NIL.

6. AUDIT QUALIFICATION : NIL

7. TRAINING TO BOARD MEMBERS: It is need based.

अनुबंध–घ

प्रपत्र सं. एमजीटी 9
वार्षिक विवरणी का उद्धरण
31.03.2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसरण में

I.	पंजीकरण और अन्य विवरण :	
1	सीआईएन	U40106DL2011NPL225263
2	पंजीकरण की तारीख	9/20/2011
3	कंपनी का नाम	सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया
4	कंपनी की श्रेणी / उप-श्रेणी	शेयरों द्वारा कंपनी लिमिटेड संघ सरकार की कंपनी
5	पंजीकृत कार्यालय का पता और सम्पर्क ब्यौरा	डी–3, पहली मंजिल, विंग–ए, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017 दूरभाष-(011) 71989200, फैक्स: (011) 71989244, ईमेल: corporate@seci.gov.in
6	क्या सूचीबद्ध कंपनी है	नही
7	पंजीकार एवं ट्रांसफर एजेंट, यदि कोई हो, का नाम, पता और संपर्क ब्यौरे	लागू नही

II. कंपनी के प्रमुख व्यावसायिक कार्यकलाप
(उन सभी व्यावसायिक कार्यकलापों का उल्लेख किया जाएगा जिनका कम्पनी के कुल कारोबार में 10 प्रतिशत या अधिक अंशदान है)

क्र. सं.	मुख्य उत्पादों / सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद / सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार की प्रतिशतता
1	परामर्श एवं परियोजना मानिटरिंग शुल्क	35105	67.08
2	निष्पादित कार्य की परियोजनाएं	35105	12.43
3	सौर विद्युत की बिक्री	35105	19.96

III. शेयरधारिता, सहायक और सम्बद्ध कंपनियों का विवरण

क्र. सं.	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन / जीएलएन	धारक / सहायक / सम्बद्ध	धारित शेयरों की प्रतिशतता	लागू धारा
1	आंध्र प्रदेश सोलर पावर कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड पता – 6–3–856 / ए. 3, साजद मंजिल कंपाउंड, अमीरपेट, हैदराबाद– 500016	U40300TG2014PTC096549	सम्बद्ध	50	

Annexure-D

FORM NO. MGT 9
EXTRACT OF ANNUAL RETURN
As on financial year ended on 31.03.2015

Pursuant to Section 92 (3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Company (Management & Administration) Rules, 2014.

I. REGISTRATION & OTHER DETAILS:

1	CIN	U40106DL2011NPL225263
2	Registration Date	9/20/2011
3	Name of the Company	SOLAR ENERGY CORPORATION OF INDIA
4	Category/Sub-category of the Company	COMPANY LIMITED BY SHARES
		UNION GOVERNMENT COMPANY
5	Address of the Registered office & contact details	D-3, FIRST FLOOR, WING A, DISTRICT CENTRE, SAKET, NEW DELHI-110017 Telephone No.-(011) 71989200. Fax: (011) 71989244. Email: corporate@seci.gov.in
6	Whether listed company	NO
7	Name, Address & contact details of the Registrar & Transfer Agent, if any.	N/A

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

(All the business activities contributing 10 % or more of the total turnover of the company shall be stated)

S. No.	Name and Description of main products / services	NIC Code of the Product/service	% to total turnover of the company
1	CONSULTANCY & PROJECT MONITORING FEES	35105	67.08
2	WORK DONE PROJECTS	35105	12.43
3	SALE OF SOLAR POWER	35105	19.96

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES

S. No.	Name and address of the Company	CIN/GLN	Holding/ Subsidiary/ Associate	% of shares held	Applicable Section
1	ANDHRA PRADESH SOLAR POWER CORPORATION PRIVATE LIMITED ADDRESS- 6-3-856/A, 3, SAJAD MANZIL COMPUND, AMEERPET, HYDERABAD-600016	U40300TG2014PTC096549	ASSOCIATE	50	

IV. शेयरधारिता का पैटर्न

(कुल इक्विटी की प्रतिशतता के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का ब्यौरा)

(i) श्रेणीवार शेयरधारिता

(राशि रुपये में)

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या (31 मार्च, 2014 को स्थिति के अनुसार)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31 मार्च, 2015 को स्थिति के अनुसार)				वर्ष के दौरान बदलाव की प्रतिशतता
	डिमैट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों की प्रतिशतता	डिमैट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों की प्रतिशतता	
क. प्रवर्तक									
1) भारतीय									
क) व्यक्तिगत/हिंदू संयुक्त परिवार		6	6	0.00		6	6	0.00	0.00
ख) केंद्र सरकार	—	419,994	419,994	100.00	—	1,033,494	1,033,494	100.00	0.00
ग) राज्य सरकार (सरकारें)									
घ) निगम निकाय									
ङ) बैंक / वित्तीय संस्थाएं									
कोई अन्य	—		—						
उप-जोड़ (क) (1)	—	420,000	420,000	100.00	—	1,033,500	1,033,500	100.00	0.00
2) विदेशी									
क) अनिवासी भारतीय वैयक्तिक									
ख) अन्य व्यक्ति									
ग) निगम निकाय									
घ) कोई अन्य									
उप-जोड़ (क) (2)	—								
जोड़ (क)	—	—		—	—	—	—	—	—
ख) सार्वजनिक शेयरधारिता									
1. संस्थान									
क) म्यूचल फंड्स									
ख) बैंक /वित्तीय संस्थाएं									
ग) केंद्र सरकार									
घ) राज्य सरकार (सरकारें)									
ङ) उद्यम पूंजी निधि									
च) बीमा कंपनियां									
छ) एफ. आई. आईएस.									
ज) विदेशी उद्यम पूंजी निधि									
झ) अन्य (निर्दिष्ट करें)									
उप-जोड़ (ख) (1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. गैर-संस्थान									
क) निगम निकाय									
i) भारतीय									
ii) विदेशी									
ख) वैयक्तिक									
i) वैयक्तिक शेयरधारिता— एक लाख रुपए तक मामूली शेयर धारिता									
ii) वैयक्तिक शेयरधारिता— एक लाख रुपए से अधिक मामूली शेयरधारिता									
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)									
अनिवासी भारतीय									
विदेशी निगम निकाय									
विदेशी संस्थान									
क्लीयरिंग सदस्य									
न्यास									
विदेशी निकाय - डीआर									
उप-जोड़ (ख) (2)	—								
कुल पब्लिक (ख)	—								
ग) जीडीआर एवं एडीआर के लिए कस्टोडियन के पास शेयर									
कुल जोड़ (क+ख+ग)	—	420,000	420,000	100.00	—	1,033,500	1,033,500	100.00	(0)

IV. SHARE HOLDING PATTERN

(Equity share capital breakup as percentage of total equity)

(i) Category-wise Share Holding

(Amount in Rs.)

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year [As on 31-March-2014]				No. of Shares held at the end of the year As on 31-March-2015]				% Change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
A. Promoters									
(1) Indian									
a) Individual/ HUF		6	6	0,00		6	6	0,00	0,00
b) Central Govt	-	419,994	419,994	100,00	-	1,033,494	1,033,494	100,00	0,00
c) State Govt(s)									
d) Bodies Corp.									
e) Banks / FI									
f) Any other	-		-						
Sub Total (A) (1)	-	420,000	420,000	100,00	-	1,033,500	1,033,500	100,00	0,0
(2) Foreign									
a) NRI Individuals									
b) Other Individual									
c) Bodies Corp.									
d) Any other									
Sub Total (A) (2)	-								
TOTAL (A)	-	-		-	-	-	-	-	-
B. Public Shareholding									
1. Institutions									
a) Mutual Funds									
b) Banks / FI									
c) Central Govt									
d) State Govt(s)									
e) Venture Capital Funds									
f) Insurance Companies									
g) FIIs									
h) Foreign Venture Capital Funds									
i) Others (specify)									
Sub-total (B)(1):	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Non-Institutions									
a) Bodies Corp.									
i) Indian									
ii) Overseas									
b) Individuals									
i) Individual shareholders holding nominal share capital upto Rs. 1 lakh									
ii) Individual shareholders holding nominal share capital in excess of Rs 1 lakh									
c) Others (specify)									
Non Resident Indians									
Overseas Corporate Bodies									
Foreign Nationals									
Clearing Members									
Trusts									
Foreign Bodies - D R									
Sub-Total (B)(2):-	-								
Total Public (B)	-								
C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs									
Grand Total (A+B+C)	-	420,000	420,000	100,00	-	1,033,500	1,033,500	100,00	(0)

(ii) प्रवर्तक की शेयरधारिता

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			वर्ष के दौरान शेयरधारिता में परिवर्तन का प्रतिशत
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों में से गिरवी/भारग्रस्त शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों में से गिरवी/भारग्रस्त शेयरों का प्रतिशत	
1	भारत के राष्ट्रपति	419,994	100.00	0	1,033,494	100.00	0	146.07
2	श्री तरुण कपूर	1	0.00	0	1	0.00	0	0.00
3	डॉ. अहमर रजा	1	0.00	0	1	0.00	0	0.00
4	श्री अश्विनी कुमार	1	0.00	0	1	0.00	0	0.00
5	श्री आर. पी. बतरा	1	0.00	0	1	0.00	0	0.00
6	श्री ए. एन. श्रीवास्तव	1	0.00	0	1	0.00	0	0.00
7	डॉ. संत राम	1	0.00	0	1	0.00	0	0.00
	कुल	**420,000**	**100.00**		**1,033,500**	**100.00**		

(iii) प्रवर्तकों की शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो कृपया निर्दिष्ट करें)

क्र. सं.	विवरण	तारीख	कारण	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
				शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत
1.	वर्ष के आरंभ में			420,000	100.00	420,000	100.00
2.	वर्ष के दौरान परिवर्तन	6/11/2014	आवंटन	316,700	75.40	736,700	175.40
		9/12/2014	आवंटन	131,600	31.33	868,300	206.74
		1/13/2015	आवंटन	165,200	39.33	1,033,500	246.07
3.	वर्ष के अंत में			1,033,500	246.07	1,033,500	246.07

(iv) सर्वाधिक शेयर रखने वाले दस शेयरधारकों का शेयरधारिता पैटर्न
(निदेशकों, प्रवर्तकों और जीडीआर एवं एडीआर धारकों को छोड़कर):

क्र. सं.	शीर्ष 10 शेयरधारकों में प्रत्येक शेयरधारक के लिए	तारीख	कारण	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
				शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत
1	**नाम**						
	वर्ष के आरंभ में			–	–	–	–
	वर्ष के दौरान परिवर्तन			–	–	–	–
	वर्ष के अंत में			–	–	–	–
2	**नाम**						
	वर्ष के आरंभ में			–	–	–	–
	वर्ष के दौरान परिवर्तन			–	–	–	–
	वर्ष के अंत में			–	–	–	–

NIL

(ii) Shareholding of Promoters

S. No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Shareholding at the end of the year			% change in shareholding during the year
		No. of Shares	% of total Shares of the company	% of Shares Pledged/ encumbered to total shares	No. of Shares	% of total Shares of the company	% of Shares Pledged/ encumbered to total shares	
1	PRESIDENT OF INDIA	419,994	100.00	0	1,033,494	100.00	0	146.07
2	SHRI TARUN KAPOOR	1	0.00	0	1	0.00	0	0.00
3	DR AHMAR RAZA	1	0.00	0	1	0.00	0	0.00
4	SHRI ASHWINI KUMAR	1	0.00	0	1	0.00	0	0.00
5	SHRI R.P. BATRA	1	0.00	0	1	0.00	0	0.00
6	SHRI A.N. SRIVASTAVA	1	0.00	0	1	0.00	0	0.00
7	DR SANT RAM	1	0.00	0	1	0.00	0	0.00
	TOTAL	**420,000**	**100.00**		**1,033,500**	**100.00**		

(iii) Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change)

S. No.	Particulars	Date	Reason	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
				No. of shares	% of total shares	No. of shares	% of total shares
1.	At the beginning of the year			420,000	100.00	420,000	100.00
2.	Changes during the year	6/11/2014	Allot	316,700	75.40	736,700	175.40
		9/12/2014	Allot	131,600	31.33	868,300	206.74
		1/13/2015	Allot	165,200	39.33	1,033,500	246.07
3.	At the end of the year			1,033,500	246.07	1,033,500	246.07

(iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders
(Other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

S. No.	For each of the Top 10 shareholders	Date	Reason	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
				No. of shares	% of total shares	No. of shares	% of total shares
1	Name						
	At the beginning of the year			–	–	–	–
	Changes during the year			–	–	–	–
	At the end of the year			–	–	–	–
2	Name						
	At the beginning of the year			–	–	–	–
	Changes during the year			–	–	–	–
	At the end of the year			–	–	–	–

NIL

(v) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता:

क्र. सं.	प्रत्येक निदेशक और प्रत्येक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की शेयरधारिता	तारीख	कारण	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
				शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत
1	श्री तरूण कपूर						
	वर्ष के आरंभ मे			1	0.00	1	0.00
	वर्ष के दौरान परिवर्तन			–	0.00	–	0.00
	वर्ष के अंत मे			1	0.00	1	0.00
2	श्री अश्विनी कुमार						
	वर्ष के आरंभ में			1	0.00	1	0.00
	वर्ष के दौरान परिवर्तन			–	0.00	–	0.00
	वर्ष के अंत में			1	0.00	1	0.00

V ऋणग्रस्तता

कंपनी की ऋणग्रस्तता जिसमें बकाया ब्याज/प्रोद्भूत ब्याज लेकिन भुगतान के लिए देय नहीं है, शामिल है

(लाख रु. में)

विवरण	जमा भुगतान को छोड़कर सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता				
i) मूलधन		–		–
ii) देय ब्याज लेकिन अदा नहीं किया गया		–		–
iii) प्रोद्भूत ब्याज लेकिन देय नहीं	–	–		–
कुल (i+ii+iii)	–	–	–	–
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
* वृद्धि				–
* कमी				–
निवल परिवर्तन	–	–	–	–
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
i) मूलधन		–		–
ii) देय ब्याज लेकिन अदा नहीं किया गया	–	–	–	
iii) प्रोद्भूत ब्याज लेकिन देय नहीं	–	–	–	
कुल (i+ii+iii)	–	–	–	–

(v) Shareholding of Directors And Key Managerial Personnel

SN	Shareholding of each Directors and each Key Managerial Personnel	Date	Reason	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
				No. of shares	% of total shares	No. of shares	% of total shares
1	SHRI TARUN KAPOOR						
	At the beginning of the year			1	0.00	1	0.00
	Changes during the year			-	0.00	-	0.00
	At the end of the year			1	0.00	1	0.00
2	SHRI ASHWINI KUMAR						
	At the beginning of the year			1	0.00	1	0.00
	Changes during the year			-	0.00	-	0.00
	At the end of the year			1	0.00	1	0.00

V INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment.

(Amt. Rs./Lacs)

Particulars	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtedness at the beginning of the financial year				
i) Principal Amount		-		-
ii) Interest due but not paid		-		-
iii) Interest accrued but not due	-	-		-
Total (i+ii+iii)	-	-	-	-
Change in Indebtedness during the financial yea				
* Addition	-			-
* Reduction				-
Net Change	-	-	-	-
Indebtedness at the end of the financial year				
i) Principal Amount		-		-
ii) Interest due but not paid	-	-	-	
iii) Interest accrued but not due	-	-	-	
Total (i+ii+iii)	-	-	-	-

VI निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्ण-कालिक निदेशकों और/अथवा प्रबंधक का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/ पूर्णकालिक निदेशक/ प्रबंधक का नाम		कुल धनराशि
	नाम	अश्विनी कुमार	राजेंद्र निमजे	(रु.)
	पदनाम	प्रबंध निदेशक	प्रबंध निदेशक (11.12.2014 तक)	
1	सकल वेतन			
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित उपबंधों के अनुसार वेतन	2,308,935.00	1,693,085.00	4,002,020.00
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) के अधीन अनुलब्धियों का मूल्य	328,944.00	153,393.00	482,337.00
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के अधीन वेतन के एवज में लाभ	–		
2	स्टाक विकल्प			
3	श्रम जन्य इक्विटी			–
4	कमीशन	–		
	लाभ के प्रतिशत के रूप में			
	अन्य, निर्दिष्ट करें			
5	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें			
	कुल (ए)	**2,637,879.00**	**1,846,478.00**	**4,484,357.00**

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशक का नाम			कुल धनराशि
					(रु.)
1	स्वतंत्र निदेशक				
	बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क				–
	कमीशन				–
	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें				–
	कुल (1)	–	–	–	–
2	अन्य गैर-कार्यकारी निदेशक				–
	बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क				–
	कमीशन				–
	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें				–
	कुल (2)	–	–	–	–
	कुल (ख) =(1+2)	–	–	–	–
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक				
	अधिनियम के अनुसार समग्र सीमा				

NIL

VI. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager:

S N.	Particulars of Remuneration	Name of MD/WTD/ Manager		Total Amount
	Name	ASHVINI KUMAR	RAJENDRA NIMJE	(Rs)
	Designation	MANAGING DIRECTOR	MANAGING DIRECTOR (UPTO 11.12.2014)	
1	Gross salary			
	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	2,308,935.00	1,693,085.00	4,002,020.00
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961	328,944.00	153,393.00	482,337.00
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income- tax Act, 1961	-		
2	Stock Option			
3	Sweat Equity			-
4	Commission as % of profit others, specify	-		
5	Others, please specify			
	Total (A)	**2,637,879.00**	**1,846,478.00**	**4,484,357.00**
	Ceiling as per the Act			

B. Remuneration to other Directors

S N.	Particulars of Remuneration	Name of Directors			Total Amount
					(Rs.)
1	Independent Directors				
	Fee for attending board committee meetings				-
	Commission				-
	Others, please specify				-
	Total (1)	-	-	-	-
2	Other Non-Executive Directors				-
	Fee for attending board committee meetings				-
	Commission				-
	Others, please specify				-
	Total (2)	-	-	-	-
	Total (B)=(1+2)	-	-	-	-
	Total Managerial Remuneration				
	Overall Ceiling as per the Act				

NIL

घ. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशक को छोड़कर प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय का नाम		कुल धनराशि
	नाम	सी. कन्नन	एस. के. गुप्ता	(रु.)
	पदनाम	निदेशक	कंपनी सचिव	
1	सकल वेतन			
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित उपबंधों के अनुसार वेतन	2,308,935.00	1,980,272.00	4,289,207.00
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) के अधीन अनुलब्धियों का मूल्य	323,686.00	330,309.00	653,995.00
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के अधीन वेतन के एवज में लाभ			–
2	स्टाक विकल्प			–
3	श्रम जन्य इक्विटी			–
4	कमीशन			–
	लाभ के प्रतिशत के रूप में			–
	अन्य, निर्दिष्ट करें			–
5	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें			–
	कुल	**2,632,621.00**	**2,310,581.00**	**4,943,202.00**

VII शास्तियाँ/ दण्ड/ अपराधों का मिश्रण

किस्म	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	शास्तियाँ/दण्ड/लागू शुल्क का मिश्रण	प्राधिकरण (आरडी/एनसीएलटी/न्यायालय)	अपील, यदि कोई की गई हो. (ब्यौरा दें)
क. कंपनी					
शास्ति					
दंड					
मिश्रण					
ख. निदेशक					
शास्ति			NIL		
दंड					
मिश्रण					
ग. चूक में अन्य अधिकारी					
शास्ति					
दंड					
मिश्रण					

C. Remuneration to Key Managerial Personnel other than MD/Manager/WTD

S N.	Particulars of Remuneration	Name of Key Managerial Personnel		Total Amount
	Name	C.KANNAN	S.K GUPTA	(Rs/Lac)
	Designation	DIRECTOR	COMPANY SECRETARY	
1	Gross salary			
	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	2,308,935.00	1,980,272.00	4,289,207.00
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961	323,686.00	330,309.00	653,995.00
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income- tax Act, 1961			-
2	Stock Option			-
3	Sweat Equity			-
4	Commission			-
	as % of profit			-
	others, specify			-
5	Others, please specify			-
	Total	**2,632,621.00**	**2,310,581.00**	**4,943,202.00**

VII PENALTIES / PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES:

Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty / Punishment/ Compounding fees imposed	Authority [RD / NCLT/ COURT]	Appeal made, if any (give Details)
A. COMPANY					
Penalty					
Punishment					
Compounding					
B. DIRECTORS					
Penalty					
Punishment					
Compounding					
C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT					
Penalty					
Punishment					
Compounding					

NIL

अनुबंध–ड.

प्रपत्र सं : एम. आर. 3
सचिवालय लेखापरीक्षा रिपोर्ट
31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (नियुक्ति और पारिश्रमिक कार्मिक) नियमावली, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसार)

सेवा में,

सदस्य,
सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया,
(सीआईएन : यू. 40106 डीएल2011एनपीएल225263)
डी-3, पहली मंजिल, ए-विंग,
डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,
नई दिल्ली-110017

मैंने **सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया** (जिसे इसके बाद कंपनी कहा गया है) द्वारा उचित निगमित पद्धतियों के अनुपालन और लागू सांविधिक उपबंधों का पालन करने के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षा की है। सचिवालय लेखापरीक्षा इस विधि से की गई जिससे मुझे निगम के कार्य संचालन/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार मिला है।

कंपनी की बहियों, दस्तावेजों, कार्यवृत्त–पुस्तकों, फार्मों और कंपनी द्वारा दाखिल विवरणियों और रखे गए अन्य रिकार्ड का मेरे द्वारा किए गए सत्यापन के आधार पर और कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों तथा अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवालय लेखापरीक्षा के दौरान दी गई सूचना के आधार पर भी मैं एतद्द्वारा रिपोर्ट करता हूं कि मेरे विचार में, कंपनी ने लेखापरीक्षा अवधि, जिसमें **31 मार्च, 2015** को समाप्त वित्तीय वर्ष (लेखापरीक्षा अवधि) शामिल है, के दौरान नीचे उल्लिखित सांविधिक उपबंधों का पालन किया है और कंपनी की उचित बोर्ड प्रक्रिया और अनुपालन तंत्र उस सीमा तक और उस रूप में मौजूद है जिसका इसके बाद उल्लेख किया गया है :

मैंने निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखी गई बहियों, दस्तावेजों, कार्यवृत्त–पुस्तिका, फार्मों और दाखिल विवरणियों तथा अन्य रिकार्डों की जाँच की है :

(i) कंपनी अधिनियम, 1956 (जहां लागू है)/कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अधीन बनाए गए नियम;

(ii) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश तथा बाह्य वाणिज्यिक उधारियों की सीमा तक विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम;

(iii) अन्य कानून, जिनका कंपनी द्वारा अनुपालन किया जा रहा है :

- क) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
- ख) मजदूरी का भुगतान अधिनियम, 1936
- ग) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
- घ) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952
- ड.) बोनस संदाय अधिनियम, 1956
- च) उपदान संदाय अधिनियम, 1972

Annexure-E

FORM NO. MR-3
SECRETARIAL AUDIT REPORT
FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31[st] March, 2015
(Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014)

To,

The Members,
Solar Energy Corporation of India,
(CIN: U40106DL2011NPL225263)
D-3, First Floor, A Wing,
District Centre, Saket,
New Delhi-110017

I have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Solar Energy Corporation of India** (hereinafter called the Company). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided me a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/ statutory compliances and expressing my opinion there on.

Based on my verification of the Company's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and also information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, I hereby report that in my opinion, the Company has, during the audit period covering the financial year ended on 31[st] March, 2015 ('Audit Period') complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

I have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company for the financial year ended on 31[st] March, 2015 according to the provisions of:

(I) The Companies Act, 1956 (wherever applicable) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made there under;

(ii) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made there under to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;

(iii) Other Laws being complied with by the company:

- a) Minimum Wages Act, 1948
- b) Payment of Wages Act, 1936
- c) Employees' State Insurance Act, 1948
- d) Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952
- e) Payment of Bonus Act, 1956
- f) Payment of Gratuity Act, 1972

छ) कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923
ज) प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
झ) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

मैंने निम्नलिखित के लागू उपबंधों के अनुपालन के संबंध में भी जाँच की है :

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए सचिवालय **(अधिसूचित नहीं किए गए, अतः लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं है)**; और

(ii) कंपनी द्वारा किया गया (किए गए) सूचीबद्ध करार **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)**;

समीक्षाधीन अवधि के दौरान और प्रबंधन द्वारा की गई प्रस्तुति के आधार पर कंपनी ने सामान्यतया ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशा–निर्देशों, मानकों आदि का निम्नलिखित टिप्पणियों के अध्यधीन अनुपालन किया है :

(i) कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन धारा 25 कंपनी (अब धारा 8) कुछ छूटों और सुविधाओं का लाभ ले रही थीं, जिनमें प्रत्येक छह मास में एक बार बोर्ड की बैठक आयोजित करना शामिल है, कंपनी के निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2015 को समाप्त लेखापरीक्षा अवधि के दौरान 3 (तीन) बैठकें अर्थात, 11.06.2014 / 18.06.2014 (आस्थगित बैठक), 12.09.2014 और 13.01.2015 को आयोजित कीं और किन्हीं दो बैठकों के बीच मध्यवर्ती अंतर 120 दिन से अधिक था। तथापि, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन, कारपोरेट मामले मंत्रालय ने 05 जून, 2015 को छूट अधिसूचना जारी की है।

(ii) जैसाकि भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निगमित अभिशासन पर डीपीई के दिशा–निर्देशों में अपेक्षित है, कार्यात्मक निदेशकों की संख्या बोर्ड की वास्तविक संख्या से 50 प्रतिशत से अधिक है और निदेशक मंडल में कोई स्वतंत्र (गैर-सरकारी) निदेशक नहीं है।

मैं यह भी रिपोर्ट करता हूं कि :

कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर-सरकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उपयुक्त संतुलन के साथ नहीं किया गया है। तथापि, कंपनी ने प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) से अपने दिनांक 09.04.2015 के पत्र द्वारा सेकी के निदेशक मंडल में अपेक्षित संख्या में अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों की नियुक्ति करने का अनुरोध किया है। प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा इस अनुरोध पर विचार किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल के गठन में किए गए परिवर्तन अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन में किए गए।

निदेशक मंडल की बैठकें आयोजित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त रूप से कम से कम सात दिन पहले नोटिस दिया जाता है और कार्यसूची तथा कार्यसूची पर टिप्पणियाँ अग्रिम रूप से भेजी गईं, और बैठक में उपयोगी सहभागिता के लिए बैठक से पहले कार्यसूची पर और अधिक सूचना तथा स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने की प्रणाली विद्यमान है।

बहुमत से निर्णय किए जाते हैं और निदेशक मंडल के किसी सदस्य द्वारा कोई असहमति व्यक्त नहीं की गई है।

g) Employees' Compensation Act, 1923
h) Maternity Benefit Act, 1961
i) Industrial Disputes Act, 1947

I have also examined compliance with the applicable clauses 'of the following:

(i) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India. **(Not notified hence not applicable to the Company during the Audit Period)**; and

(ii) The Listing Agreement(s) entered into by the Company **(Not Applicable to the Company during the Audit Period)**;

During the period under review and based on representations made by the Management the Company has generally complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above subject to the following observations:

(i) Under Companies Act, 1956 section 25 Companies (now section 8) were enjoying certain exemptions & privileges including holding of Board meeting once in every six months, the Board of Directors of the Company duly met 3 (Three) times, i.e 11.06.2014/18.06.2014 (Adjourned meeting), 12.09.2014 & 13.01.2015 during the audit period ended on 31st March, 2015 and intervening gap between any two meetings exceeds 120 days. However, under the Companies Act, 2013 Ministry of Corporate Affairs has issued exemption notification on 05th June, 2015.

(ii) As required under DPE Guidelines on Corporate Governance issued by Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, the number of Functional Directors is exceeding 50% of the actual strength of the Board & there is no Independent (non-official) Directors on the Board.

I further report that

The Board of Directors of the Company is not constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors and Independent Directors on the Board. However, the Company has requested Administrative Ministry i.e Ministry of New & Renewable Energy (MNRE) vide letter dated 09.04.2015 to appoint the requisite no. of part-time Non-Official (Independent) Directors on the Board of SECI. The same is under consideration of the Administrative Ministry i.e (MNRE).

Further, the changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

Adequate notice is given to all Directors to schedule the Board Meetings at least seven days in advance, agenda and detailed notes on agenda were sent in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Majority decisions are carried through and there was no dissent raised by any member of the Board.

कंपनी द्वारा स्थापित अनुपालन तंत्र के आधार पर और प्रबंधन द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों और की गई प्रस्तुति और हमारे द्वारा किए गए विश्वास के अनुसार, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों तथा दिशा–निर्देशों के अनुपालन को मॉनीटर करने और उसे सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालनों के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रिया विद्यमान है।

मैं यह भी रिपोर्ट करता हूं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, ऊपर उल्लिखित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशा–निर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी में कोई विशिष्ट परिघटना / कार्रवाई नहीं हुई है जिसका कंपनी के कार्यों पर प्रमुख प्रभाव पड़ा हो।

आशु गुप्ता
कार्यरत कंपनी सचिव
एफसीएस संख्या 4123
सीपी संख्या 6646

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12/08/2015

टिप्पणी: यह रिपोर्ट हमारे समसंख्यक तारीख के पत्र के साथ पढ़ी जाए जो अनुबंध–क के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

Based on the compliance mechanism established by the company and as per the explanations given to us and the representations made by the Management and relied upon by us, there are adequate systems and processes in the company commensurate with the size and operations of the company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

I further report that during the audit period, the Company has no specific event/actions having a major bearing on the Company's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standards, etc. referred to above.

Ashu Gupta
Company Secretary In Practice
FCS No. 4123
CP No.: 6646

Date : New Delhi
Date : 12/08/2015

Note: This Report is to be read with our letter of even date which is annexed as Annexure-A and forms integral part of this Report.

अनुबंध–क

सेवा में,

सदस्य,
सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया,
(सीआईएन : यू40106डीएल2011एनपीएल225263)
डी-3, पहली मंजिल, ए-विंग,
डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,
नई दिल्ली-110017

समसंख्यक तारीख की मेरी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाए।

1. सचिवालय रिकार्ड रखना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन साचिविक रिकार्डों पर अपनी राय व्यक्त करने की है।

2. मैंने उन लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुसरण किया है जो सचिवालय रिकार्डों के तथ्यों की सत्यता के संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थीं। यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण आधार पर सत्यापन किया गया था कि सचिवालय रिकार्डों में सही तथ्य दिए गए हैं। मुझे विश्वास है कि मैंने जिन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अपनाया है वे मेरी राय का उपयुक्त आधार हैं।

3. मैंने कंपनी के वित्तीय रिकार्डों और लेखा बहियों की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।

4. जहां आवश्यक था, मैंने कानूनों, नियमों और विनियमों की अनुपालना और परिघटनाओं आदि के होने के संबंध में प्रबंधन की प्रस्तुति प्राप्त की है।

5. कारपोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों का अनुपालन करने की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। मेरी जांच परीक्षण के आधार पर कार्यविधियों का सत्यापन करने तक सीमित है।

6. सचिवालय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही दक्षता और प्रभावकारिता है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्य किए हैं।

आशु गुप्ता
कार्यरत कंपनी सचिव
एफसीएस संख्या 4123
सीपी संख्या 6646

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12/08/2015

Annexure-A

To,

The Members,
Solar Energy Corporation of India,
(CIN: U40106DL2011NPL225263)
D-3, First Floor, A Wing,
District Centre, Saket,
New Delhi-110017

My Report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the company. My responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on my audit.

2. I have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. I believe that the processes and practices, I followed provide a reasonable basis for my opinion.

3. I have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the company.

4. Wherever required, I have obtained the management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.

5. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of the management. My examination was limited to the verification of procedures on test basis.

6. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the company nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the company.

(Ashu Gupta)
Company Secretary in Practice
FCS No. 4123
CP No.: 6646

Place: New Delhi
Date: 12/08/2015

वार्षिक लेखा 2014–15

Annual Accounts 2014-15

31 मार्च, 2015 को स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(राशि रुपए में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2015 के अनुसार	31.03.2014 के अनुसार
इक्विटी और देयताएं			
शेयर धारक निधि			
शेयर पूंजी	3	1,033,500,000	420,000,000
रिज़र्व और अधिशेष	4	6,530,611	(99,439,417)
		1,040,030,611	320,560,583
आबंटन के लम्बन तक शेयर आवेदन की धनराशि		86,500,000	150,000,000
गैर–वर्तमान देयताएं			
अन्य दीर्घकालिक देयताएं	5	—	31,350
दीर्घकालिक प्रावधान	6	14,537,930	7,635,099
		14,537,930	7,666,449
वर्तमान देयताएं			
व्यापार देयताएं	7	23,226,577	—
अन्य वर्तमान देयताएं	8	1,542,305,504	657,215,068
अल्पकालिक प्रावधान	9	1,616,317	618,106
		1,567,148,398	657,833,174
कुल		2,708,216,939	1,136,060,206
परिसम्पत्ति			
गैर–वर्तमान परिसम्पत्तियां			
स्थायी परिसम्पत्तियां	10		
मूर्त परिसम्पत्तियां		11,078,446	13,281,425
अमूर्त परिसम्पत्तियां		2,941,099	2,970,473
किया जा रहा पूंजीगत कार्य		1,160,727	—
मार्गस्थ परिसम्पत्ति		292,462	—
गैर–वर्तमान निवेश	11	500,000	—
आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ (निवल)		—	13,224,354
दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	12	715,252,839	271,162,882
		731,225,573	300,639,134
वर्तमान परिसम्पत्तियां			
व्यापार प्राप्य	13	100,355,404	2,184,515
नकद और नकद समतुल्य	14	1,712,897,104	792,743,010
अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	15	11,473,748	7,592,401
अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियां	16	152,265,110	32,901,046
		1,976,991,366	835,421,072
कुल		2,708,216,939	1,136,060,206
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	1		
लेखों पर टिप्पणियां	2–21		

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2015

(Amount in Rs.)

Particulars	Note No.	As at 31.03.2015	As at 31.03.2014
EQUITY AND LIABILITIES			
Shareholder's Funds			
Share Capital	3	1,033,500,000	420,000,000
Reserves and Surplus	4	6,530,611	(99,439,417)
		1,040,030,611	320,560,583
Share Application Money Pending Allotment		86,500,000	150,000,000
Non-Current Liabilities			
Other Long term liabilities	5	-	31,350
Long term provisions	6	14,537,930	7,635,099
		14,537,930	7,666,449
Current Liabilities			
Trade Payables	7	23,226,577	-
Other current liabilities	8	1,542,305,504	657,215,068
Short-term provisions	9	1,616,317	618,106
		1,567,148,398	657,833,174
TOTAL		2,708,216,939	1,136,060,206
Assets			
Non-current assets			
Fixed assets	10		
Tangible assets		11,078,446	13,281,425
Intangible assets		2,941,099	2,970,473
Capital work-in-progress		1,160,727	-
Asset in Transit		292,462	-
Non-current Investments	11	500,000	-
Deferred tax assets (net)		-	13,224,354
Long term loans and advances	12	715,252,839	271,162,882
		731,225,573	300,639,134
Current assets			
Trade receivables	13	100,355,404	2,184,515
Cash and cash equivalents	14	1,712,897,104	792,743,010
Short-term loans and advances	15	11,473,748	7,592,401
Other current assets	16	152,265,110	32,901,046
		1,976,991,366	835,421,072
TOTAL		2,708,216,939	1,136,060,206
Significant Accounting Policies	1		
Notes to Accounts	2-21		

यहाँ तक की तिथि की हमारी ऑडिट रिपोर्ट के संदर्भ में
In Terms of our Audit Report of Even Date

टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न भाग है
The Notes are an Integral Part of these Financial Statements

कृते सूद ब्रिज एंड एसोसिएट्स
For Sood Brij & Associates
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एफ आर एन नं. 00350N
Chartered Accountants, FRN No. 00350N

कृते और निदेशक मंडल की ओर से
For and on Behalf of the Board of Directors

(ए.के. सूद)
(A.K. Sood)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं.– 14372
Membership No 14372

(एस. के. गुप्ता)
(S.K. Gupta)
कम्पनी सचिव
Company Secretary
सदस्यता सं. 10840
Membership No. 10840

(सी. कन्नन)
(C Kannan)
निदेशक(वित्त)
Director Finance
डी.आई.एन.सं. 06458185
DIN No. 06458185

(डॉ. अश्विनी कुमार)
(Dr. Ashvini Kumar)
प्रबंध निदेशक
Managing Director
डी. आई. एन सं. 03547234
DIN No. 03547234

Place : New Delhi
स्थान : नई दिल्ली
Date : 25-06-2015
दिनांक : 25-06-2015

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण

(राशि रुपए में)

	विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
	राजस्व			
	परिचालन से राजस्व	17	375,983,830	36,720,559
	अन्य आय	18	24,981,515	24,234,704
I	कुल राजस्व		400,965,345	60,955,263
	व्यय			
	कर्मचारी लाभ खर्च	19	58,152,417	44,665,272
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	10	3,865,398	1,697,469
	उपठेका व्यय		43,022,443	–
	सौर विद्युत की खरीद		74,379,648	–
	अन्य व्यय	20	91,388,238	56,207,788
	पूर्व अवधि (निवल)	21	239,374	–
II	कुल व्यय		271,047,518	102,570,529
III	असाधारण और विशिष्ट मदों से पहले आय/(व्यय) और कर(I-II)		129,917,827	(41,615,266)
IV	विशिष्ट मदें		10,723,445	64,599
V	असाधारण मदों से पहले आय/(व्यय) और कर (III-IV)		119,194,382	(41,679,865)
VI	असाधारण मदें		–	–
VII	कर पूर्व आय/(व्यय) (V-VI)		119,194,382	(41,679,865)
VIII	कर व्यय			
	(1) वर्तमान कर		–	–
	(2) आस्थगित कर		13,224,354	(13,224,354)
IX	कर पश्चात सतत परिचालनों से अवधि के लिए आय/(व्यय) (VII-VIII)		105,970,028	(28,455,511)
X	बंद परिचालन से आय/(व्यय)		–	–
XI	बंद परिचालनों के कर व्यय		–	–
XII	बंद परिचालनों से आय/(व्यय) (कर पश्चात) (X-XI)		–	–
XIII	अवधि के लिए आय/(व्यय) (XII+IX)		105,970,028	(28,455,511)
XIV	प्रति इक्विटी शेयर आय			
	(1) मूल		135.36	(78.38)
	(2) तनुकृत		134.79	(78.38)
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	1		
	लेखों पर टिप्पणियाँ	2–21		

STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2015

(Amount in Rs.)

	Particulars	Note No.	Year Ended 31.03.2015	Year Ended 31.03.2014
	Revenue			
	Revenue from operations	17	375,983,830	36,720,559
	Other income	18	24,981,515	24,234,704
I	Total Revenue		400,965,345	60,955,263
	Expenses			
	Employee benefit expense	19	58,152,417	44,665,272
	Depreciation and amortization expense	10	3,865,398	1,697,469
	Subcontracting Expenses		43,022,443	-
	Purchase of Solar Power		74,379,648	-
	Other expenses	20	91,388,238	56,207,788
	Prior Period (Net)	21	239,374	-
II	Total Expenses		271,047,518	102,570,529
III	Income/(Expenditure) before Exceptional and Extraordinary Items and Tax (I - II)		129,917,827	(41,615,266)
IV	Exceptional items		10,723,445	64,599
V	Income/(Expenditure) before Extraordinary Items and Tax (III - IV)		119,194,382	(41,679,865)
VI	Extraordinary Items		-	-
VII	Income/(Expenditure) before tax (V - VI)		119,194,382	(41,679,865)
VIII	Tax expense			
	(1) Current tax		-	-
	(2) Deferred tax		13,224,354	(13,224,354)
IX	Income/(Expenditure) for the period from continuing operations after tax(VII-VIII)		105,970,028	(28,455,511)
X	Income/(Expenditure) from discontinuing operations		-	-
XI	Tax expense of discontinuing operations		-	-
XII	Income/(Expenditure) from Discontinuing operations (after tax) (X-XI)		-	-
XIII	Income/(Expenditure) for the period (XII+IX)		105,970,028	(28,455,511)
XIV	Earnings per equity share			
	(1) Basic		135.36	(78.38)
	(2) Diluted		134.79	(78.38)
	Significant Accounting Policies	1		
	Notes to Accounts	2 - 21		

सम तक की तिथि की हमारी ऑडिट रिपोर्ट के संदर्भ में
In Terms of our Audit Report of Even Date

कृते सूद बृज एंड एसोसिएट्स
For Sood Brij & Associates
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एफ आर एन नं. 00350N
Chartered Accountants, FRN No. 00350N

(ए.के. सूद)
(A.K. Sood)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. – 14372
Membership No 14372

Place : New Delhi
स्थान : नई दिल्ली
Date : 25-06-2015
दिनांक : 25-06-2015

टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न भाग हैं
The Notes are an Integral Part of these Financial Statements

कृते और निदेशक मंडल की ओर से
For and on Behalf of the Board of Directors

(एस. के. गुप्ता) (S.K. Gupta) कम्पनी सचिव Company Secretary सदस्यता सं. 10840 Membership No. 10840	(सी. कन्नन) (C Kannan) निदेशक(वित्त) Director Finance डी.आई.एन.सं. 06458185 DIN No. 06458185	(डॉ. अश्विनी कुमार) (Dr. Ashvini Kumar) प्रबंध निदेशक Managing Director डी. आई. एन सं. 03547234 DIN No. 03547234

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

(रुपए में)

विवरण	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
परिचालन कार्यकलापों से नकद प्रवाह		
कर पूर्व निवल लाभ और असाधारण मदें	129,917,827	(41,615,296)
निम्नलिखित के लिए समायोजन जोड़ें		
मूल्यह्रास और परिशोधन	3,885,398	1,697,469
घटाएं प्राप्त ब्याज	20,318,969	22,157,724
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ	113,484,256	(62,075,521)
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन		
परिचालन परिसम्पत्तियों के लिए समायोजन घटाएं		
व्यापार प्राप्य में वृद्धि	98,170,789	2,184,615
अल्पकालिक ऋणों और अग्रिमों में वृद्धि	3,881,347	6,306,131
अन्य परिसम्पत्तियों में वृद्धि	119,364,064	26,805,358
दीर्घकालिक ऋणों और अग्रिमों में वृद्धि	444,099,957	265,562,142
परिचालन देयताओं के लिए समायोजन : जोड़ें		
व्यापार देय में वृद्धि	23,226,577	–
अन्य वर्तमान देयताओं में वृद्धि	885,090,436	197,020,736
अल्पकालिक प्रावधानों में वृद्धि	998,211	577,252
दीर्घकालिक प्रावधानों में वृद्धि	6,902,831	6,655,059
घटाएं अन्य दीर्घकालिक देयताओं में कमी	31,350	43,650
असाधारण मदों से पूर्व नकद प्रवाह	364,144,804	(158,724,370)
घटाएं : विशिष्ट मदें–एनबीसीसी को ब्याज	10,723,445	64,599
परिचालन कार्यकलापों से निवल नकदी	353,421,359	(158,788,969)
निवेश कार्यकलापों से नकद प्रवाह जोड़ें		
ब्याज से आय	20,318,969	22,157,724
घटाएं स्थायी सम्पत्तियों की खरीद और अग्रिम	3,086,234	8,397,578
संयुक्त उद्यम में इक्विटी निवेश	500,000	–
निवेश कार्यकलापों से निवल नकदी	16,732,735	13,760,146
वित्तीय कार्यकलापों से नकद प्रवाह		
इक्विटी शेयर पूंजी के निर्गम से प्राप्ति	463,500,000	210,000,000
आबंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन धनराशि से प्राप्ति	86,500,000	150,000,000
वित्तीय कार्यकलापों में प्रयुक्त निवल नकदी	550,000,000	360,000,000
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल (कमी)/ वृद्धि	920,154,094	214,971,177
वर्ष के आरंभ में नकदी और समतुल्य	792,743,010	577,771,833
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य	1,712,897,104	792,743,010

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015

(in Rs.)

Particulars	Year Ended 31.03.2015	Year Ended 31.03.2014
Cash Flow from Operating Activities Net Profit Before Tax and Extraordinary Items	129,917,827	(41,615,296)
Adjustments For:		
Add Depreciation and Amortisation	3,885,398	1,697,469
Less		
Interest received	20,318,969	22,157,724
Operating Profit before Working Capital Changes	**113,484,256**	**(62,075,521)**
Changes in Working Capital		
Adjustments for operating assets:		
Less		
Increase in Trade Receivables	98,170,789	2,184,615
Increase in Short Term Loans and Advances	3,881,347	6,306,131
Increase in other Assets	119,364,064	26,805,358
Increase in Long Term Loans and Advances	444,099,957	265,562,142
Adjustments for operating liabilities: **Add**		
Increase in Trade Payable	23,226,577	-
Increase in other Current Liabilities	885,090,436	197,020,736
Increase in Short Term Provisions	998,211	577,252
Increase in Long Term Provisions	6,902,831	6,655,059
Less		
Decrease in other Long Term liabilities	31,350	43,650
Cash flow before Extraordinary Items	**364,144,804**	**(158,724,370)**
Less: Exceptional Items-Interest to NBCC	10,723,445	64,599
Net cash From Operating Activities	**353,421,359**	**(158,788,969)**
Cash Flow From Investing Activities **Add**		
Interest Income	20,318,969	22,157,724
Less		
Purchase and Advance of Fixed Assets	3,086,234	8,397,578
Equity Investment in Joint Venture	500,000	-
Net Cash from Investing Activities	**16,732,735**	**13,760,146**
Cash Flow From Financing Activities		
Proceeds from Issue of Equity Share Capital	463,500,000	210,000,000
Proceeds received for share application money pending allotment	86,500,000	150,000,000
Net Cash used in Financing Activities	**550,000,000**	**360,000,000**
Net (Decrease)/ Increase in cash and cash equivalents	**920,154,094**	**214,971,177**
Cash and cash equivalents in the beginning of the year	**792,743,010**	**577,771,833**
Cash and cash equivalents at the end of the year	**1,712,897,104**	**792,743,010**

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

विवरण	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
नकदी और नकदी समतुल्य का समाधान		
बैंकों में बचत खातों में शेष	2,799,754	122,201
बैंकों में चालू खातों में शेष	92,152,193	24,210,951
बैंकों में अन्य सावधि जमा में शेष – अन्य	1,617,945,157	768,409,858
नकदी और नकदी समतुल्य	1,712,897,104	792,743,010
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य	1,712,897,104	792,743,010
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ	1	
लेखों पर टिप्पणियाँ	2–21	

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015

Particulars	Year Ended 31.03.2015	Year Ended 31.03.2014
Reconciliation of Cash and Cash equivalents		
Balance with Banks in Savings Accounts	2,799,754	122,201
Balance with Banks in Current Accounts	92,152,193	24,210,951
Balance with Other Banks Fixed Deposits-other	1,617,945,157	768,409,858
Cash and Cash Equivalents	1,712,897,104	792,743,010
Cash and cash equivalents at the end of the year	1,712,897,104	792,743,010
Significant Accounting Policies	1	
Notes to Accounts	2-21	

सम तारीख की हमारी ऑडिट रिपोर्ट के संदर्भ में
In Terms of our Audit Report of Even Date

कृते सूद ब्रिज एंड एसोसिएट्स
For Sood Brij & Associates
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एफ आर एन सं. 00350N
Chartered Accountants, FRN No. 00350N

ए.के. सूद
(A.K. Sood)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं.– 14372
Membership No 14372

टिप्पणियाँ इन वित्तीय विवरणों का एक अनिवार्य भाग है
The Notes are an Integral Part of these Financial Statements

कृते और निदेशक मंडल की ओर से
For and on Behalf of the Board of Directors

(एस. के. गुप्ता)
(S.K. Gupta)
कम्पनी सचिव
Company Secretary
सदस्यता सं. 10840
Membership No. 10840

(सी. कन्नन)
(C Kannan)
निदेशक(वित्त)
Director Finance
डी.आई.एन.सं. 06458185
DIN No. 06458185

(डॉ. अश्विनी कुमार)
(Dr. Ashwini Kumar)
प्रबंध निदेशक
Managing Director
डी. आई. एन सं. 03547234
DIN No. 03547234

Place : New Delhi
स्थान : नई दिल्ली
Date : 25-06-2015
दिनांक : 25-06-2015

तुलन पत्र के लिए टिप्पणियां : NOTES TO BALANCE SHEET:

टिप्पणी 3 : शेयर पूंजी (राशि रुपए में)

शेयर पूंजी	31.03.2015 को स्थिति के अनुसार		31.03.2014 को स्थिति के अनुसार	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
अधिकृत प्रत्येक 1000 रुपए के इक्विटी शेयर	20,000,000	20,000,000,000	20,000,000	20,000,000,000
जारी, अभिदत्त प्रत्येक 1000 रुपए के इक्विटी शेयर	6,000,000	6,000,000,000	6,000,000	6,000,000,000
पूर्ण प्रदत्त प्रत्येक 1000 रुपए के इक्विटी शेयर	1,033,500	1,033,500,000	420,000	420,000,000
कुल	**1,033,500**	**1,033,500,000**	**420,000**	**420,000,000**

NOTE 3: SHARE CAPITAL (Amount in Rs.)

Share Capital	As at 31.03.2015		As at 31.03.2014	
	Number	Amount	Number	Amount
Authorised Equity Shares of Rs1000 each	20,000,000	20,000,000,000	20,000,000	20,000,000,000
Issued, Subscribed Equity Shares of Rs1000 each	6,000,000	6,000,000,000	6,000,000	6,000,000,000
Fully paid up Equity Shares of Rs1000 each	1,033,500	1,033,500,000	420,000	420,000,000
Total	**1,033,500**	**1,033,500,000**	**420,000**	**420,000,000**

क. आलोच्य अवधि के आरंभ में और अंत में बकाया शेयरों का समाधान (राशि रुपए में)

विवरण	इक्विटी शेयर		अधिमान्य शेयर	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वर्ष के आरंभ में बकाया शेयर	420,000	420,000,000	–	–
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	613,500	613,500,000	–	–
वर्ष के दौरान वापस खरीदे गए शेयर	–	–	–	–
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	**1,033,500**	**1,033,500,000**	–	–

नोट : ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम के अंशदाताओं ने प्रत्येक 1000 रुपए के 60,00,000 इक्विटी शेयरों का अंशदान किया जिसमें से प्रत्येक 1000 रुपए के 10,33,500 इक्विटी शेयर अभिदत्त और पूर्ण प्रदत्त

A. Reconciliation of the shares outstanding at the beginning and at the end of the reporting period. (Amount in Rs.)

Particulars	Equity Shares		Preference Shares	
	Number	Amount	Number	Amount
Shares outstanding at the beginning of the year	420,000	420,000,000	-	-
Shares Issued during the year	613,500	613,500,000	-	-
Shares bought back during the year	-	-	-	-
Shares outstanding at the end of the year	**1,033,500**	**1,033,500,000**	-	-

Note : The Subscribers to the Memorandum and Article of Association had undertaken to subsribe 60,00,000 Equity Shares of Rs. 1000 each out of which 10,33,500 Equity Shares of Rs. 1000 each have been subscribed and fully paid up.

ख. कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले अंशधारियों का ब्यौरा (राशि रुपए में)

शेयरधारक का नाम	31.03.2015 को स्थिति के अनुसार		31.03.2014 को स्थिति के अनुसार	
	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का%	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का%
भारत के राष्ट्रपति	1,033,500	100	420,000	100

B. Details of shareholders holding more than 5% shares in the company

Name of Shareholder	As at 31.03.2015		As at 31.03.2014	
	No. of Shares held	% of Holding	No. of Shares held	% of Holding
President of India	1,033,500	100	420,000	100

तुलन पत्र के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी 4 : रिजर्व और अधिशेष

(राशि रुपए में)

रिजर्व और अधिशेष	31.03.2015 के अनुसार राशि	31.03.2014 के अनुसार राशि
आय और व्यय के विवरण में (हानि)		
वर्ष के आरंभ में शेष	(99,439,417)	(70,983,906)
वर्ष में आय / (व्यय)	105,970,028	(28,455,511)
आय और व्यय के विवरण में निवल (हानि)	6,530,611	(99,439,417)

टिप्पणी 5 : अन्य दीर्घावधिक देयताएं

अन्य दीर्घावधिक देयताएं	31.03.2015 के अनुसार राशि	31.03.2014 के अनुसार राशि
अप्रतिभूत, अच्छी मानी गई		
प्रतिभूति जमा	—	31,350
कुल	—	31,350

टिप्पणी 6 : दीर्घावधिक प्रावधान

दीर्घावधिक प्रावधान	31.03.2015 के अनुसार राशि	31.03.2014 के अनुसार राशि
अर्जित छुट्टी के लिए प्रावधान	6,046,640	3,730,428
उपदान के लिए प्रावधान	1,724,587	889,326
सेवांत लाभों के लिए प्रावधान	6,766,703	3,015,345
कुल	14,537,930	7,635,099

टिप्पणी 7 : व्यापार देय

व्यापार देय	31.03.2015 के अनुसार राशि	31.03.2014 के अनुसार राशि
व्यापार देय	23,226,577	—
कुल	23,226,577	—

टिप्पणी 8 : अन्य वर्तमान देयताएं

अन्य वर्तमान देयताएं	31.03.2015 के अनुसार राशि	31.03.2014 के अनुसार राशि
संवितरण के लिए सब्सिडी	1,174,534,001	447,104,435
एमएनआरई से प्राप्त अनुदान	48,819,120	49,410,477
ग्राहकों से अग्रिम	119,764,079	140,177,681
शुल्क और कर	11,169,139	2,890,693
प्रतिभूति जमा	6,611,235	5,329,011
देय सब्सिडी	47,489,080	—
ग्राहकों को बिलों का प्रगामी भुगतान	1,119,722	—
सौर विद्युत की खरीद के लिए देय	74,379,648	—
प्रतिभूति प्रचालन निधि का भुगतान	53,600,900	—
अन्य देय	4,818,580	12,302,771
कुल	1,542,305,504	657,215,068

टिप्पणी 9 : अल्पावधिक प्रावधान

अल्पावधिक प्रावधान	31.03.2015 के अनुसार राशि	31.03.2014 के अनुसार राशि
अर्जित छुट्टी के लिए प्रावधान	918,196	176,120
उपदान के लिए प्रावधान	11,213	5,784
सेवांत लाभों के लिए प्रावधान	110	59
प्रतिनियुक्ति कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	686,798	436,143
कुल	1,616,317	618,106

NOTES TO BALANCE SHEET:

NOTE 4 : RESERVES & SURPLUS

(Amount in Rs.)

Reserves & Surplus	Amount as at 31.03.2015	Amount as at 31.03.2014
(Deficit) in the Statement of Income and Expenditure		
Balance as at beginning of the year	(99,439,417)	(70,983,906)
Income/(Expenditure) for the year	105,970,028	(28,455,511)
Net (Deficit) in the Statement of Income and Expenditure	6,530,611	(99,439,417)

NOTE 5 : OTHER LONG TERM LIABILITIES

Other Long term Liabilities	Amount as at 31.03.2015	Amount as at 31.03.2014
Unsecured , considered good		
Security Deposit	-	31,350
Total	-	31,350

NOTE 6 : LONG TERM PROVISIONS

Long Term Provisions	Amount as at 31.03.2015	Amount as at 31.03.2014
Provisions for Earned Leaves	6,046,640	3,730,428
Provision for Gratuity	1,724,587	889,326
Provision for Post Retirement Benefits	6,766,703	3,015,345
Total	14,537,930	7,635,099

NOTE 7 : TRADE PAYABLES

Trade Payables	Amount as at 31.03.2015	Amount as at 31.03.2014
Trade Payables	23,226,577	-
Total	23,226,577	-

NOTE 8 : OTHER CURRENT LIABILITIES

Other Current Liabilities	Amount as at 31.03.2015	Amount as at 31.03.2014
Subsidy for Disbursement	1,174,534,001	447,104,435
Grant received from MNRE	48,819,120	49,410,477
Advance from Clients	119,764,079	140,177,681
Duties & Taxes	11,169,139	2,890,693
Security Deposit	6,611,235	5,329,011
Subsidy Payable	47,489,080	-
Progress Payment Billed to Clients	1,119,722	-
Purchase of Solar Power Payables	74,379,648	-
Payment Security Mechanism Funds	53,600,900	-
Other Payable	4,818,580	12,302,771
Total	1,542,305,504	657,215,068

NOTE 9 : SHORT TERM PROVISIONS

Short Term Provisions	Amount as at 31.03.2015	Amount as at 31.03.2014
Provisions for Earned Leaves	918,196	176,120
Provision for Gratuity	11,213	5,784
Provision for Post Retirement Benefits	110	59
Provision for Deputation Employee Benefits	686,798	436,143
Total	1,616,317	618,106

टिप्पणी 10 : स्थायी परिसम्पत्तियां

(राशि रुपए में)

विवरण	लागत पर सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				अवलेखित मूल्य	
	1.4.2014 के अनुसार	परिवर्धन	बिक्री/ समायोजन	कुल	1.4.2014 के अनुसार	समायोजन	वर्ष के लिए	कुल	31.3.2015 के अनुसार	31.3.2014 के अनुसार
मूर्त परिसम्पत्तियां										
कम्प्यूटर										
कम्प्यूटर–प्रयोक्ता										
उपकरण	2,965,685	600,360	–	3,566,045	548,332	–	1,407,377	1,955,709	1,610,336	2,417,353
कम्प्यूटर–सेवाएं एवं नेटवर्क	100,485	–	–	100,485	3,392	–	15,889	19,281	81,204	97,093
कार्यालय उपकरण	3,433,508	52,885	–	3,486,393	290,361	–	677,220	967,581	2,518,812	3,143,147
फर्नीचर एवं फिक्सचर	482,223	267,701	–	749,924	53,889	–	65,710	119,599	630,325	428,334
मोटर वाहन	7,884,320	–	–	7,884,320	688,823	–	957,730	1,646,553	6,237,767	7,195,497
(क)–कुल मूर्त परिसम्पत्तियां	**14,866,221**	**920,946**	–	**15,787,167**	**1,584,796**	–	**3,123,926**	**4,708,722**	**11,078,446**	**13,281,425**
अमूर्त परिसम्पत्तियां										
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	3,442,165	712,099	–	4,154,264	471,692	–	741,472	1,213,164	2,941,099	2,970,473
(ख)–कुल अमूर्त परिसम्पत्तियां	**3,442,165**	**712,099**	–	**4,154,264**	**471,692**	–	**741,472**	**1,213,164**	**2,941,099**	**2,970,473**
कुल योग (क + ख)	**18,308,386**	**1,633,045**	–	**19,941,431**	**2,056,488**	–	**3,865,398**	**5,921,886**	**14,019,545**	**16,251,898**
पिछले वर्ष	**9,915,084**	**8,462,177**	**(68,875)**	**18,308,386**	**363,295**	**(4,276)**	**1,697,469**	**2,056,488**	**16,251,898**	**9,551,789**

NOTE 10 : FIXED ASSETS

(Amount in Rs.)

Particulars	GROSS BLOCK AT COST				DEPRECIATION				WRITTEN DOWN VALUE	
	As at 1.4.2014	Additions	Sales / Adjustment	Total	As at 1.4.2014	Adjustment	For The Year	Total	As at 31.3.2015	As at 31.3.2014
TANGIBLE ASSETS Computers Computer-End User Device	2,965,685	600,360	-	3,566,045	548,332	-	1,407,377	1,955,709	1,610,336	2,417,353
Computer - Servers & Network	100,485	-	-	100,485	3,392	-	15,889	19,281	81,204	97,093
Office Equipment	3,433,508	52,885	-	3,486,393	290,361	-	677,220	967,581	2,518,812	3,143,147
Furniture & Fixture	482,223	267,701	-	749,924	53,889	-	65,710	119,599	630,325	428,334
Motor Vehicle	7,884,320	-	-	7,884,320	688,823	-	957,730	1,646,553	6,237,767	7,195,497
(A) - Total Tangible Assets	**14,866,221**	**920,946**	-	**15,787,167**	**1,584,796**	-	**3,123,926**	**4,708,722**	**11,078,446**	**13,281,425**
INTANGIBLE ASSETS Computer Software	3,442,165	712,099	-	4,154,264	471,692	-	741,472	1,213,164	2,941,099	2,970,473
(B) - Total Intangible Assets	**3,442,165**	**712,099**	-	**4,154,264**	**471,692**	-	**741,472**	**1,213,164**	**2,941,099**	**2,970,473**
Grand Total (A+B)	**18,308,386**	**1,633,045**	-	**19,941,431**	**2,056,488**	-	**3,865,398**	**5,921,886**	**14,019,545**	**16,251,898**
Previous Year	**9,915,084**	**8,462,177**	**(68,875)**	**18,308,386**	**363,295**	**(4,276)**	**1,697,469**	**2,056,488**	**16,251,898**	**9,551,789**

तुलन पत्र के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी 11 : गैर–वर्तमान निवेश

(राशि रुपए में)

गैर–वर्तमान निवेश	31.03.2015 के अनुसार राशि	31.03.2014 के अनुसार राशि
इक्विटी शेयर में गैर–व्यापार निवेश	500,000	–
(संयुक्त उद्यम कम्पनी – आंध्र प्रदेश सोलर पावर कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड में 50% इक्विटी शेयर (प्रत्येक 10 रुपए के अंकित मूल्य पर 50,000 शेयर), लागत पर मूल्यांकित)		
कुल	500,000	–

टिप्पणी 12 : दीर्घावधिक ऋण और अग्रिम

दीर्घावधिक ऋण और अग्रिम	31.03.2015 के अनुसार राशि	31.03.2014 के अनुसार राशि
अप्रतिभूत, खरे माने गए		
पूंजी अग्रिम	698,923,319	253,802,162
प्राप्य प्रतिभूति जमा	16,329,520	17,360,720
कुल	715,252,839	271,162,882

टिप्पणी 13 : व्यापार प्राप्य

व्यापार प्राप्य	31.03.2015 के अनुसार राशि	31.03.2014 के अनुसार राशि
भुगतान के लिए देय तारीख से छः महीने से कम अवधि के लिए बकाया व्यापार प्राप्य – अप्रतिभूत, खरे माने गए	97,926,123	1,877,871
भुगतान के लिए देय तारीख से छः महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया व्यापार प्राप्तियां –अप्रतिभूत, खरे माने गए	2,429,281	306,744
कुल	100,355,404	2,184,615

टिप्पणी 14 : नकद और नकद समतुल्य

नकद और नकद समतुल्य	31.03.2015 के अनुसार राशि	31.03.2014 के अनुसार राशि
बैंकों में शेष :		
बचत खाता	2,799,754	122,201
चालू खाते	92,152,193	24,210,951
सावधि जमा	1,617,645,157	768,109,858
निर्धारित सावधि जमा	300,000	300,000
कुल	1,712,897,104	792,743,010

टिप्पणी 15 : अल्पकालिक ऋण और अग्रिम

अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	31.03.2015 के अनुसार राशि	31.03.2014 के अनुसार राशि
अप्रतिभूत, खरे माने गए		
ऋण एवं अग्रिम		
कर्मचारी अग्रिम	49,000	262,825
वसूली योग्य धनराशि	11,114,941	–
अन्य	309,697	493,288
ठेकेदार को अग्रिम	–	2,270,948
प्रतिभूति जमा		
प्राप्य प्रतिभूति जमा	–	4,565,340
कुल	11,473,748	7,592,401

टिप्पणी 16 : अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियां

अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियां	31.03.2015 के अनुसार राशि	31.03.2014 के अनुसार राशि
प्रोद्भूत ब्याज लेकिन देय नहीं	42,316,246	21,850,243
राजस्व जिसकी बिलिंग नहीं की गई – विद्युत की बिक्री	75,062,030	–
अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियां	34,888,834	11,050,803
कुल	152,265,110	32,901,046

NOTES TO BALANCE SHEET:

NOTE 11 : NON CURRENT INVESTMENTS

(Amount in Rs.)

Non Current Investments	Amount as at 31.03.2015	Amount as at 31.03.2014
Non Trade Investment in Equity Shares	500,000	–
(50% equity shares (50,000 shares of Face Value of Rs. 10 each) in Joint Venture Company - Andhra Pradesh Solar Power Corporation Private Limited, valued at cost)		
Total	**500,000**	–

NOTE 12 : LONG TERM LOANS & ADVANCES

Long Term Loans and Advances	Amount as at 31.03.2015	Amount as at 31.03.2014
Unsecured, considered good		
Capital Advances	698,923,319	253,802,162
Security Deposit receivable	16,329,520	17,360,720
Total	**715,252,839**	**271,162,882**

NOTE 13: TRADE RECEIVABLES

Trade Receivables	Amount as at 31.03.2015	Amount as at 31.03.2014
Trade receivables outstanding for a period less than six months from the date they are due for payment -Unsecured, considered good	97,926,123	1,877,871
Trade receivables outstanding for a period exceeding six months from the date they are due for payment -Unsecured, considered good	2,429,281	306,744
Total	**100,355,404**	**2,184,615**

NOTE 14 : CASH & CASH EQUIVALENTS

Cash and cash equivalents	Amount as at 31.03.2015	Amount as at 31.03.2014
Balances with banks in :		
Saving Account	2,799,754	122,201
Current Accounts	92,152,193	24,210,951
Fixed Deposit	1,617,645,157	768,109,858
Fixed Deposit Earmarked	300,000	300,000
Total	**1,712,897,104**	**792,743,010**

NOTE 15 : SHORT TERM LOANS & ADVANCES

Short-term loans and advances	Amount as at 31.03.2015	Amount as at 31.03.2014
Unsecured, considered good		
Loans and advances		
Staff Advance	49,000	262,825
Amount Recoverable	11,114,941	–
Others	309,807	493,288
Advance to Contractor	–	2,270,948
Security Deposits		
Security Deposit Receivable	–	4,565,340
Total	**11,473,748**	**7,592,401**

NOTE 16 : OTHER CURRENT ASSETS

Other Current Assets	Amount as at 31.03.2015	Amount as at 31.03.2014
Interest Accrued but not due	42,316,248	21,850,243
Unbilled Revenue - Power Sale	75,062,030	-
Other Current Assets	34,886,834	11,050,803
Total	**152,265,110**	**32,901,046**

आय और व्यय के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी 17 : परिचालन से राजस्व

(राशि रुपए में)

परिचालन से राजस्व	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
परामर्श और परियोजना मानीटरिंग शुल्क	252,226,554	22,267,017
निष्पादित कार्य परियोजनाएं	46,723,464	—
सौर विद्युत की बिक्री	75,062,030	—
अन्य परिचालन आय	1,971,792	14,453,542
कुल	375,983,830	36,720,559

टिप्पणी 18 : अन्य आय

अन्य आय	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
ब्याज आय	20,318,969	22,157,724
अन्य प्राप्तियां	4,662,546	2,076,980
कुल	24,981,515	24,234,704

टिप्पणी 19 : कर्मचारी लाभ व्यय

कर्मचारी लाभ व्यय	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
वेतन एवं मजदूरी	36,020,869	29,946,672
भविष्य निधि में अंशदान	3,832,357	2,941,361
कर्मचारियों के लिए बीमा	129,713	124,346
उपदान	1,015,276	790,870
अर्जित छुट्टी व्यय	2,865,482	1,358,349
चिकित्सा व्यय	2,441,770	1,441,417
सेवांत लाभ	3,976,468	2,921,842
अर्ध वेतन छुट्टी व्यय	766,193	291,752
कर्मचारियों के आवास के लिए किराया	6,393,259	4,540,207
कर्मचारी कल्याण	711,030	265,872
निदेशकों की बैठक का शुल्क	—	42,584
कुल	58,152,417	44,665,272

NOTES TO INCOME AND EXPENDITURE:

NOTE 17: REVENUE FROM OPERATIONS

(Amount in Rs.)

Revenue from Operations	Year Ended 31.03.2015	Year Ended 31.03.2014
Consultancy & Project Monitoring Fees	252,226,554	22,267,017
Work Done Projects	46,723,464	-
Sale of Solar Power	75,062,030	-
Other Operational Income	1,971,792	14,453,542
Total	375,983,830	36,720,559

NOTE 18: OTHER INCOME

Other Income	Year Ended 31.03.2015	Year Ended 31.03.2014
Interest Income	20,318,969	22,157,724
Other Receipts	4,662,546	2,076,980
Total	24,981,515	24,234,704

NOTE 19: EMPLOYEE BENEFIT EXPENSES

Employee Benefit Expenses	Year Ended 31.03.2015	Year Ended 31.03.2014
Salaries & Wages	36,020,869	29,946,672
Contribution to provident fund	3,832,357	2,941,361
Insurance for Employees	129,713	124,346
Gratuity	1,015,276	790,870
Earned Leaves Expenses	2,865,482	1,358,349
Medical Expenses	2,441,770	1,441,417
Post Retirement Benefits	3,976,468	2,921,842
Half Pay Leave Expenses	766,193	291,752
Rent for residential accommodation of employees	6,393,259	4,540,207
Staff Welfare	711,030	265,872
Directors' Sitting Fee	-	42,584
Total	58,152,417	44,665,272

टिप्पणी 20 : अन्य व्यय

(राशि रुपए में)

अन्य व्यय	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
किराया	49,341,076	24,988,537
भवन की मरम्मत व रख–रखाव	5,793,816	3,856,346
सुरक्षा और जनशक्ति व्यय	8,271,043	4,752,480
किराए पर लिए गए वाहन / वाहन व अनुरक्षण व्यय	1,632,187	2,020,685
भर्ती व्यय	319,266	–
यात्रा और वाहन व्यय	5,247,882	4,638,600
विज्ञापन और प्रचार	2,886,303	2,702,326
प्रशिक्षण व्यय	756,659	257,127
टेलिफोन, मोबाइल व्यय और इंटरनेट व्यय	2,285,670	1,877,854
गेस्ट हाउस व्यय	350,973	968,552
मुद्रण और स्टेशनरी	691,429	1,200,549
पानी, विद्युत और बिजली शुल्क	954,885	555,921
अतिथि सत्कार पर व्यय	448,113	534,324
वैधानिक और व्यावसायिक प्रभार	3,990,829	3,388,366
कार्यालय मरम्मत तथा रखरखाव	939,449	1,127,170
डाक और टेलिग्राम	108,721	189,443
बोर्ड बैठक व्यय	86,293	41,889
बैठक व्यय	356,555	900,336
कारोबार बढ़ाने का व्यय	23,036	1,346,334
फाइलिंग फीस	667,718	108,705
बैंक प्रभार	30,774	80,927
सदस्यता शुल्क	250,500	202,125
बीमा खर्च	150,861	34,279
व्यावसायिक पुस्तकें व जर्नल	64,525	59,930
परामर्श व्यय	206,118	–
प्रायोजन व्यय	44,500	–
एनबीसीसी, किदवई नगर को ब्याज	4,771,828	–
विविध व्यय	604,230	305,983
लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक लेखापरीक्षा शुल्क	66,000	50,000
अन्य सेवाएँ	10,000	20,000
कुल	**91,388,238**	**56,207,788**

NOTE 20: OTHER EXPENSES

(Amount in Rs.)

Other Expenses	Year Ended 31.03.2015	Year Ended 31.03.2014
Rent	49,341,076	24,988,537
Repair & Maintenance of Building	5,793,816	3,856,346
Security & Manpower Expenses	8,271,043	4,752,480
Vehicle hire/running & Maintenance Expenses	1,632,187	2,020,685
Recruitment Expenses	319,266	-
Travelling & Conveyance Expenses	5,247,882	4,638,600
Advertisement & Publicity	2,886,303	2,702,326
Training Expenses	756,659	257,127
Telephone, Mobile Expenses and Internet Expenses	2,285,670	1,877,854
Guest House Expenses	350,973	968,552
Printing & Stationary	691,429	1,200,549
Water, Power & Electricity Charges	954,885	555,921
Hospitality Expenses	448,113	534,324
Legal & Professional Charges	3,990,829	3,388,366
Office Repair & Maintenance	939,449	1,127,170
Postage & Telegram	108,721	189,443
Board Meeting Expenses	86,293	41,889
Meeting Expenses	356,555	900,336
Business Promotion Expenses	23,036	1,346,334
Filing Fees	667,718	108,705
Bank Charges	30,774	80,927
Membership Fees	250,500	202,125
Insurance Expenses	150,861	34,279
Professional Books & Journals	64,525	59,930
Consultation Expenses	206,118	-
Sponsorship Exp	44,500	-
Interest to NBCC Kidwai Nagar	4,771,828	-
Miscellaneous Expenses	604,230	305,983
Auditor's Remuneration		
Audit Fees	66,000	50,000
In other Services	10,000	20,000
Total	**91,388,238**	**56,207,788**

टिप्पणी 21 : पूर्वावधि की मदें (निवल)

(राशि रुपए में)

पूर्वावधि की मदें (निवल)	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
आय	(200,000)	–
व्यय	439,374	–
कुल	**239,374**	–

NOTE 21: PRIOR PERIOD ITEMS (NET)

(Amount in Rs.)

Prior Period Items (Net)	Year Ended 31.03.2015	Year Ended 31.03.2014
Income	(200,000)	-
Expenses	439,374	-
Total	**239,374**	-

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

1. प्रमुख लेखाकरण नीतियाँ

क. लेखाओं को तैयार करने का आधार

ये वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 133 के साथ पठित कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के अधीन भारत में लागू लेखाकरण सिद्धांतों के साथ सभी आर्थिक पहलुओं, अधिनियम के उपबंधों (अधिसूचित सीमा तक) और भारत में सामान्यतया स्वीकार किए गए अन्य लेखाकरण सिद्धांतों को लागू सीमा तक अनुपालन करने के लिए तैयार किए गए हैं।

कम्पनी द्वारा लेखाकरण नीतियाँ सुसंगत रूप से लागू की गई हैं।

ख. अनुमानों का उपयोग

सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु यह आवश्यक है कि प्रबंधन द्वारा कुछ अनुमान और आकलन किए जाएं जिनका परिसम्पत्तियों और देयताओं की उल्लिखित राशियों तथा वित्तीय विवरण की तिथि को संबंधित देयताओं के प्रकटीकरण एवं रिपोर्ट की अवधि के दौरान प्रचालनों के परिणामों पर प्रभाव पड़े। यद्यपि, ये अनुमान वर्तमान घटनाओं और कार्यों के संबंध में प्रबंधन की अधिकतम जानकारी पर आधारित हैं, तथापि वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर को उस अवधि के दौरान स्वीकार किया जाता है जिसके दौरान ये कार्यान्वित होते हैं।

ग. स्थायी परिसंपत्ति

1. स्थायी परिसम्पत्तियों को पारम्परिक लागत घटा संचित मूल्यह्रास और परिशोधन पर दर्शाया जाता है।
2. अधिग्रहण की लागत में खरीद मूल्य, आयात शुल्क तथा अन्य अप्रतिदेय कर अथवा लेवी तथा कोई अन्य प्रत्यक्ष रूप से देय लागतें, निर्माण के दौरान ब्याज, शुल्क, मालभाड़ा, संस्थापना तथा आबंटित आकस्मिक व्यय जो परिसम्पत्तियों को उनके अभीष्ट उपयोग के लिए कार्यशील दशा में लाने के लिए निर्माण / अधिग्रहण के दौरान देय हों, शामिल हैं।
3. अमूर्त परिसम्पत्तियों को उनकी अधिग्रहण की लागत घटा संचित परिशोधन पर दर्ज किया जाता है।
4. उन प्रवर्तित परिसम्पत्तियों, जिनके लिये संविदाकारों के साथ बिलों का अंतिम निपटान नहीं हुआ है, के मामले में पंजीकरण अनन्तिम आधार पर किया जाता है जो वित्तीय विवरण के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अध्यधीन होगा।

घ. मूल्यह्रास / परिशोधन

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार स्ट्रेट लाइन विधि के आधार पर मूल्यह्रास प्रदान करना कंपनी की नीति है।
2. लेखाकरण मानक 26 के अनुसार अमूर्त परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास की गणना की जाती है।
3. परिसम्पत्तियाँ, जिस तिथि से उपयोग हेतु उपलब्ध होती हैं, उस तिथि से यथानुपात आधार पर मूल्यह्रास की व्यवस्था की जाती है।
4. अधिशेष अप्रयोज्य घोषित की गई परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास उस माह के अंत तक प्रदान किया जाता है, जिस माह में ऐसी घोषणा की गई हो।

Notes to the Financial Statements for the Year ended 31st March, 2015

1. Significant Accounting Policies

A. Basis of preparation of Accounts:

These financial statements have been prepared to comply in all material aspects with applicable accounting principles in India, the applicable Accounting Standards prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 ('Act') read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, the provisions of the Act (to the extent notified) and other accounting principles generally accepted in India, to the extent applicable.

The accounting policies have been consistently applied by the Company.

B. Use of estimates:

The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets and liabilities and disclosure of contingent liabilities on the date of the financial statements and the results of operations during the reporting period. Although these estimates are based upon the management's best knowledge of current events and actions, actual results could differ from these estimates. Differences between actual results and estimates are recognized in the period in which they materialize.

C. Fixed Assets:

1. Fixed Assets are stated at historical cost less accumulated depreciation/amortization.
2. Cost of acquisition is inclusive of purchase price, import duties and other non-refundable taxes or levies and any other directly attributable costs, interest during construction, duties, freight, installation and allocated incidental expenditure during construction/acquisition attributable to bring the assets to their working condition for their intended use.
3. Intangible assets are stated at their cost of acquisition less accumulated amortization.
4. In case of commissioned assets where final settlement of bills with contractors is yet to be effected, capitalization is done on provisional basis subject to necessary adjustments in the year of the final settlement.

D. Depreciation/ Amortization

1. Company has the policy to provide depreciation on the basis of Straight Line Method as per Schedule II of Companies Act, 2013.
2. Depreciation is computed on Intangible Assets in accordance with Accounting Standard 26.
3. Depreciation is provided on pro rata basis from the date in which the asset become available to use.
4. Depreciation on assets declared surplus/ obsolete is provided till the end of the month in which such declaration is made.

5. 5000 रुपए अथवा उससे कम मूल्य की परिसम्पत्तियों को भौतिकता के कारण प्रापण के वर्ष में पूर्ण मूल्यह्रास किया जाता है।

ड. निवेश

1. दीर्घकालिक निवेश ऐसी लागत पर किए जाते हैं, जिसमें से ऐसे निवेशों के मूल्य में स्थायी ह्रास का प्रावधान किया जाता है।

2. वर्तमान निवेश का मूल्यांकन कम निम्नतम लागत और उचित मूल्य पर किया जाता है।

च. उधारी लागत

उधारी लागतें जो अर्हक परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण अथवा निर्माण हेतु देय हैं, को ऐसी परिसम्पत्तियों की लागत के एक भाग के रूप में पंजीकृत किया गया है। अर्हक परिसम्पत्ति वह परिसम्पत्ति है जिसे अभिप्रेत उपयोग के लिए तैयार होने में अनिवार्य रूप से पर्याप्त समय लगता है। अन्य सभी उधारी लागतें उस अवधि में खर्च के रूप में स्वीकार की जाती हैं जिसमें वह खर्च किया जाता है।

छ. माल सूचियां

1. स्थल पर रखी सामग्री सहित निर्माण–कार्य को लागत पर समादृत किया जाता है।

2. पूरे माल को निम्नतम लागत और निवल वसूली मूल्य पर समादृत किया जाता है।

ज. राजस्व और व्यय स्वीकृति

आय :–

1. इसे लेखाकरण की उपार्जन प्रणाली के आधार पर लेखाकृत किया जाता है।

2. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने प्रचार, प्रबोधन, जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशालाओं, फील्ड दौरों, मानीटरिंग तथा तकनीकी मार्गदर्शन आदि के प्रति रूफटाप परियोजनाओं के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता की 3% धनराशि प्रदान की है।

   ग्रिड/ऑफ ग्रिड रूफटाप परियोजनाओं से संबंधित परियोजना मानीटरिंग तथा तकनीकी मार्गदर्शन से प्राप्त राजस्व परियोजना की प्रगति पर तकनीकी अनुमानों के आधार पर लेखित किया जाता है।

   परियोजनाओं की प्रगति की निम्न अवस्थाओं के अनुसार राजस्व तय किया गया है :

अवस्था	आर्वटन का %	आर्वटन की संचयी %
आर्वटन	1.50%	1.50%
मंजूरी	0.25%	1.75%
कमीशनिंग	0.25%	2.00%
ओ एंड एम , प्रथम वर्ष	0.50%	2.50%
ओ एंड एम , द्वितीय वर्ष	0.50%	3.00%
	3.00%	

उपरोक्त आंकड़ों में से प्रचार, प्रबोधन, जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशालाओं तथा फील्ड दौरों पर वास्तविक व्यय कम कर दिया गया है।

5. Assets costing Rs 5,000 or less are fully depreciated in the year of acquisition on account of materiality.

E. Investments

1. Long Term Investments are carried at cost less provision for permanent diminution in value of such investments.

2. Current investments are valued at lower of cost and fair value.

F. Borrowing Costs

Borrowing Costs that are attributable to the acquisition or construction of qualifying assets are capitalized as part of the cost of such assets. A qualifying asset is one that necessarily takes substantial period of time to get ready for intended use. All other borrowing costs are recognized as an expense in the period in which they are incurred.

G. Inventories

1. Work-in-progress including materials at sites is valued at cost.

2. Stock in Trade is valued at lower of cost and net realizable value.

H. Revenue & Expenditure Recognition

Income:-

1. It is accounted on the basis of accrual method of accounting.

2. Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) has provided 3% of Central Financial Assistance (CFA) in respect of Rooftop Projects towards Publicity, Orientation, Awareness Programme, Workshops, Field Visits, Monitoring and Technical guidance etc.

   Revenue from Project monitoring and Technical Guidance in respect of Rooftop Projects - Grid/Off Grid is accounted for on the basis of technical estimate on the progress of project.

   Revenue has been recognized as per the following mentioned progress stages of projects:-

Stage	% of Allocation	Cumulative % of Allocation
Allocation	1.50%	1.50%
Sanction	0.25%	1.75%
Commissioning	0.25%	2.00%
O&M - I Year	0.50%	2.50%
O&M - II Year	0.50%	3.00%
	3.00%	

The actual expenditure incurred towards Publicity, Orientation, Awareness Programme, Workshops and Field visits has been deducted from figure arrived above.

3. उक्त के संबंध में रूफटाप परियोजना के विकासकर्ता से प्राप्त सेवा प्रभार परियोजना क्षमता की स्वीकृति के वर्ष में आय के रूप में माना गया है। सेवा प्रभारों के विलंब से भुगतान पर प्रभार प्राप्ति के आधार पर लेखाबद्ध किए जाते हैं।

4. निर्माण संविदाओं से राजस्व स्वीकृति

संविदा राजस्व संविदा पर कार्य–निष्पादन की लागत जमा समापन विधि की प्रतिशतता का उपयोग करते हुए आनुपातिक मार्जिन का द्योतक है। समापन की प्रतिशतता उस तारीख को निष्पादित निर्माण–कार्य की लागत और कुल अनुमानित संविदा लागतों के अनुपात के रूप में निर्धारित की जाती है।

किसी हानि के लिए उस अवधि में पूरा प्रावधान किया जाता है जिसमें इसका पूर्वानुमान लगाया जाता है। परियोजना और किया जा रहा निर्माण कार्य तब तक लागत पर दिखाया जाता है जब तक कार्य के परिणाम का विश्वसनीय तौर पर पता नहीं चलता और उसके बाद उसके वसूली योग्य मूल्य का पता नहीं चलता।

5. परामर्शदात्री सेवाओं से प्राप्त राजस्व आनुपातिक समापन विधि पर मान्य होता है। उन मामलों के संबंध में, जहां दावे के समय अंतत: उचित निश्चितता की कमी है, एकत्रण तक स्वीकृति स्थगित कर दी जाती है।

6. उन संविदाओं के मामले में, जहां संविदा लागतें संविदा राजस्व से अधिक हो जाती हैं, प्रत्याशित हानि का तत्काल स्वीकरण किया जाता है।

7. जब ग्राहक के साथ की गई संविदा में कार्य में वृद्धि और अतिरिक्त कार्य के लिए व्यवस्था नहीं होती है, जब मध्यस्थ के पंचाट से उत्पन्न दावों और बीमा दावों को प्राप्ति के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।

8. विवादास्पद/परक्राम्य के अधीन संविदाओं के संबंध में संविदात्मक दायित्वों से हुई परिनिर्धारित क्षतियाँ और देय/वसूली योग्य न समझी गई हानियों को अंतिम रूप से निपटान होने तक लेखाबद्ध नहीं किया जाता है।

9. विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व की ग्राहकों के साथ सम्मत दरों के आधार पर गणना की जाती है और इसमें व्यापार मार्जिन शामिल होता है।

10. ऊर्जा की बिक्री के लिए विलंब से भुगतान/अतिदेय विविध देनदारों पर अधिभार प्राप्ति के आधार पर लगाया जाता है।

11. विद्युत की खरीद/बिक्री में चूक के लिए ग्राहकों/आपूर्तिकर्ताओं से वसूली योग्य मुआवजे को प्राप्ति के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।

व्यय :–

जब कभी खर्च किया जाता है तब वह वास्तविक आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।

3. The service charges received from the developer for Rooftop Projects in respect of above has been recognized as income in the year of sanction of the capacity of project. The charges on the late payment of service charges are accounted on receipt basis.

4. Revenue recognition from Construction Contracts

Contract Revenue represents the cost of work performed on the contract plus proportionate margin using the percentage of completion method. Percentage of completion is determined as a proportion of cost of work performed to date to the total estimated contract costs.

Full Provision is made for any loss in the period in which it is foreseen. Project and construction related work in progress is reflected at cost till such time the outcome of the job cannot be ascertained reliably and at realizable value thereafter.

5. Revenue from consultancy services is recognized on Proportionate Completion method. In respect of cases where ultimate collection with reasonable certainty is lacking at the time of claim, recognition is postponed till collection is made.

6. In case of contracts where the contract costs exceed the contract revenues, the anticipated loss is recognized immediately.

7. Escalation and extra works not provided for in the contract with client, claims arising out of arbitration awards and insurance claims are accounted for on receipt basis.

8. Liquidated damages arising from contractual obligations in respect of contracts under dispute/negotiation and not considered payable/receivable are not accounted for till final settlement.

9. Revenue from sale of power is accounted based on rates agreed with the customers and is inclusive of trading margin.

10. The surcharge on late payment/overdue sundry debtors for sale of energy is recognized on receipt basis.

11. Compensation recoverable from customers/suppliers for default in purchase/sale of power is accounted for on receipt basis.

Expenditure:-

It is accounted on accrual basis as and when it is incurred.

1. चालू तथा आस्थगित कर हेतु प्रावधान

1. आयकर अधिनियम 1961 के उपबंधों के अनुसार कर योग्य आय के आधार पर वर्तमान आय कर के लिए प्रावधान निर्धारित किया जाता है।
2. आस्थगित कर, कर योग्य आय तथा एक निश्चित समय में लेखांकित आय के मध्य समय अंतराल को यह देख कर किया जाता है कि वह एक अथवा अधिक आगामी समय में कितना विपर्यय होता है, पर मान्य होता है।

2. परिसम्पत्तियों की क्षति

जब परिसम्पत्तियों की संचालन लागत उससे प्राप्त होने वाली राशि से अधिक होती है तब परिसम्पत्ति की क्षति मानी जाती है। क्षति से होने वाले नुकसान को उस वर्ष के लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है, जिस वर्ष परिसम्पत्ति की क्षतिग्रस्त के रूप में पहचान की जाती है।

3. विदेशी मुद्रा लेनदेन

(i) आरंभिक स्वीकृति

विदेशी मुद्रा लेन–देन को रिपोर्टिंग मुद्रा की राशि को लेन–देन की तारीख को रिपोर्टिंग मुद्रा तथा विदेशी मुद्रा के बीच के विनिमय दर पर रिकार्ड किया जाता है।

(ii) परिवर्तन

विदेशी मुद्रा की आर्थिक मदों को बंद होने की दरों पर दर्शाया जाता है। गैर–मौद्रिक मदों, जिन्हें विदेशी मुद्रा के मूल्य वर्ग में पारम्परिक लागत के संबंध में अग्रेनीत किया गया है, को लेन–देन की तिथि को विद्यमान विनिमय शुल्क दर का उपयोग कर दर्शाया गया है तथा उन गैर–मौद्रिक मदों, जो उचित मूल्य पर अथवा किसी विदेशी मुद्रा में समान मूल्य पर अग्रेनीत किया गया है, को उन विनिमय दरों का उपयोग करके दर्शाया गया है जो मूल्यों को निर्धारित करते समय विद्यमान थीं।

(iii) विनियम में अंतर

मौद्रिक मदों अथवा रिपोर्टिंग कंपनी की मौद्रिक मदों की उन दरों जिन पर उन्हें वर्ष के दौरान आरंभ में रिकार्ड किया गया था, से भिन्न दरों पर निपटान से होने वाले विनिमय अंतर को उस वर्ष की आय अथवा व्यय के रूप में माना जाता है, जिस वर्ष में अंतर उत्पन्न होते हैं।

4. प्रावधान, आकस्मिक देयतायें और आकस्मिक परिसम्पत्तियों का प्रावधान

मापन में अनुमान की पर्याप्त मात्रा में शामिल करने को मान्यता दी जाती है जब पिछली परिघटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान देयता उत्पन्न होती है और यह संभव है कि संसाधनों का निर्गमन होगा। आकस्मिक देयताओं को स्वीकार नहीं किया जाता है बल्कि टिप्पणियों में उल्लेख किया जाता है। आकस्मिक परिसम्पत्तियों को वित्तीय विवरण में न तो स्वीकार किया जाता है न ही उल्लेख किया जाता है।

5. कर्मचारियों के लाभ

उपदान, छुट्टी नकदीकरण और अन्य सेवोत्तर लाभ, जैसे कि लेखाकरण मानक (ए एस–15) में परिभाषित हैं, के लिए प्रावधान वित्त वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यन के आधार पर किया जाता है। भविष्य निधि संबंधी देयता का लेखाकरण प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है।

1. Provision for Current and Deferred Tax

1. Provision for Current Income Tax is determined on the basis of taxable income in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961.
2. Deferred tax is recognized, subject to the consideration of prudence, on timing differences being the difference between taxable incomes and accounting income that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods.

2. Impairment of Assets

An asset is treated as impaired when the carrying cost of the assets exceeds its recoverable amount. An impairment loss is charged to the Profit and Loss account as an exceptional item in the year in which an asset is identified as impaired.

3. Foreign Currency Transactions

(i) Initial Recognition

Foreign currency transactions are recorded in the reporting currency, by applying to the foreign currency amount, the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency at the date of the transaction.

(ii) Conversion

Foreign Currency monetary items are reported using the closing rate. Non-monetary items which are carried in terms of historical cost denominated in a foreign currency are reported using the exchange rate at the date of transaction and non- monetary items which are carried at fair value or similar valuation denominated in a foreign currency are reported using the exchange rates that existed when the values were determined.

(ii) Exchange Difference

Exchange difference arising on settlement of monetary items or on reporting company's monetary items at rates different from those at which they were initially recorded during the year, or reported in previous financial statements, are recognized as income or as expenses in the year in which they arise.

4. Provision, Contingent Liabilities & Contingent Assets Provision

Involving substantial degree of estimation in measurement are recognized when there is a present obligation as a result of past events and it is probable that there will be outflow of resources. Contingent liabilities are not recognized, but are disclosed in the notes. Contingent assets are neither recognized, nor disclosed in the financial statements.

5. Employees Benefits

Provision for gratuity, leave encashment and other post-retirement benefits as defined in Accounting Standard (AS)-15 is made on the basis of Actuarial Valuation at the end of financial year. Provident fund liability is accounted for on accrual basis.

6. विविध

100,000/– रुपए तथा उससे कम मूल्य की मदों के पूर्व प्रदत्त एवं पूर्व अवधि के व्यय/आय को भुगतान/प्राप्ति के वर्ष के लेखा के स्वाभाविक शीर्ष में प्रभारित किया जाता है।

2 <u>लेखा संबंधी टिप्पणियां</u>

2.1 'नकद प्रवाह विवरण' पर लेखाकरण मानक (ए. एस. –3) के अनुसार प्रकटीकरण

लेखाकरण मानक (एएस–3) 'नकद प्रवाह विवरण' में यथा विनिर्दिष्ट अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार नकद प्रवाह सूचित किए जाते हैं।

2.2 'निर्माण संविदाओं' पर लेखाकरण मानक (एएस–7) के अनुसार प्रकटीकरण

क्र. सं.	विवरण	31.03.2015 को स्थिति के अनुसार	31.03.2014 को स्थिति के अनुसार
1	अवधि में राजस्व के रूप में मान्य संविदा राजस्व	4,67,23,464	शून्य
2	सूचित करने की तारीख तक खर्च की गई संविदा लागतें और मान्य लाभ	4,67,23,464	शून्य
3	प्राप्त अग्रिम	95,76,326	1,97,77,681
4	परिसम्पत्ति के रूप में प्रस्तुत संविदा कार्य के लिए ग्राहकों द्वारा देय सकल धनराशि	शून्य	शून्य
5	देयता के रूप में प्रस्तुत संविदा कार्य के लिए ग्राहकों द्वारा देय सकल धनराशि	11,19,722	शून्य
6	प्राप्य प्रतिधारण राशि	शून्य	शून्य

2.3 'विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव' पर लेखाकरण मानक–11 के अनुसार प्रकटीकरण

वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा विनिमय में उतार–चढ़ाव का प्रभाव निम्नानुसार है :

i) लाभ और हानि विवरण में क्रेडिट किया गया विनिमय अंतर 382 रुपए है (पिछले वर्ष यह शून्य था)।

2.4 'कर्मचारी लाभ' पर लेखाकरण मानक (एएस–15) के अनुसार प्रकटीकरण

विभिन्न विहित कर्मचारी लाभों का सामान्य विवरण नीचे दिया गया है :

6. **Miscellaneous**

Prepaid and prior period expenses/income of items of Rs. 100,000/- and below are charged to natural heads of accounts in the year of payment/receipt.

2 **<u>Notes to Accounts:</u>**

2.1 Disclosure as per Accounting Standard (AS)-3 on 'Cash Flow Statement'

Cash Flows are reported as per the indirect method as specified in the Accounting Standard (AS-3), 'Cash Flow Statement'.

2.2 Disclosure as per Accounting Standard (AS)- 7 on 'Construction Contracts'

S. No.	Particulars	As on 31-03-2015	As on 31-03-2014
1	Contract revenue recognized as revenue in the Period	4,67,23,464	Nil
2	Contract costs incurred and profit recognized upto the reporting date	4,67,23,464	Nil
3	Advance received	95,76,326	1,97,77,681
4	Gross amount due from customers for contract work-presented as an asset	Nil	Nil
5	Gross amount due to customers for contract work - presented as a liability	11,19,722	Nil
6	Retention money Receivable	Nil	Nil

2.3 Disclosure as per Accounting Standard - 11 on 'Effects of Changes in Foreign Exchange Rates'

The effect of foreign exchange fluctuation during the year is as under:

i) The amount of exchange differences (net) credited to the statement of profit & loss is Rs. 382 (previous year was NIL).

2.4 Disclosure as per Accounting Standard (AS)- 15 on 'Employee Benefits'

General descriptions of various defined employee benefits are as under:

1) निर्धारित अंशदान योजनाएं

क. भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान

कंपनी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को पूर्व निर्धारित दरों के आधार पर भविष्य निधि में निर्धारित अंशदान देती है। इस वर्ष के लिए ईपीएफओ को 30,78,895 रुपए (पिछले वर्ष में 25,06,076 रुपए) के अंशदान को व्यय माना गया है तथा आय और व्यय के विवरण में इसे प्रभारित किया गया है।

2. निर्धारित लाभ योजनाएं

क. उपदान

कंपनी की एक सुनिश्चित लाभ उपदान योजना है जो उपदान का भुगतान अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अनुसार विनियमित होती है। उपदान की देयता की वास्तविक मूल्यन के आधार पर व्यवस्था की गई है।

ख. अर्जित छुट्टी नकदीकरण

कंपनी की अपने कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित अर्जित छुट्टी नकदीकरण योजना है। इस योजना के अंतर्गत वे कतिपय सीमाओं और उसके लिये निर्दिष्ट अन्य शर्तों के अनुसार अर्जित छुट्टी के नकदीकरण के हकदार हैं। छुट्टी नकदीकरण की देयता की व्यवस्था वास्तविक मूल्यन के आधार पर की गई है।

ग. अर्द्ध वेतन छुट्टी का नकदीकरण

कंपनी की अपने कर्मचारियों के लिए एक सुनिश्चित छुट्टी नकदीकरण योजना है। इस योजना के अंतर्गत वे कतिपय सीमाओं और उसके लिए निर्दिष्ट अन्य शर्तों के अनुसार अर्द्ध वेतन के नकदीकरण के हकदार हैं। छुट्टी नकदीकरण की देयता की व्यवस्था वास्तविक मूल्यन के आधार पर की गई है।

घ. सेवा–निवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना

कंपनी ने सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना तैयार की है जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी और उसका/उसकी पति/पत्नी को कंपनी अस्पताल/ पैनल अस्पताल में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जो प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के अनुमोदन के अधीन है। वे बाह्य रोगी के रूप में कंपनी द्वारा निर्धारित सीमा तक उपचार करा सकते हैं। सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा खर्चों के लिए देयता नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से अनुमोदन होने तक वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की जाती है।

ङ. सेवानिवृत्ति के बाद अधिवर्षिता लाभ

कर्मचारियों के वेतनमानों (आईडीए पैटर्न) के संशोधन के संबंध में डीपीई दिशा–निर्देशों में मूल वेतन और महँगाई भत्ते के 30 प्रतिशत तक अधिवर्षिता लाभ प्रदान करने के लिए प्रावधान शामिल हैं, जिसमें सीपीएफ, उपदान, अधिवर्षिता के बाद की चिकित्सा सुविधाएं और पेंशन शामिल हैं। दिशा–निर्देशों के अनुसार सीपीएसई को अपनी स्वयं की योजनाएं बनानी होती हैं। कारपोरेशन ने सेवा–निवृत्ति के बाद पेंशन तथा चिकित्सा सुविधाएं देने की योजना बनाई है तथा प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से योजना का अनुमोदन होने तक वर्ष के दौरान 37,51,409/–रुपये (पिछले वर्ष 27,54,150/– रुपए) का प्रावधान किया है।

1) Defined Contribution Plans:

A. Employer's contribution to Provident Fund:

The company pays fixed contribution to provident fund at predetermined rates to Employees Provident Fund Organization. The contribution of Rs. 30,78,895/- (Previous year Rs. 25,06,076/-) to the EPFO for the year is recognized as expense and is charged to the Statement of Income & Expenditure.

2) Defined Benefits Plans:

A. Gratuity:

The Company has a defined benefit gratuity plan, which is regulated as per the provisions of Payment of Gratuity Act, 1972. The liability towards gratuity has been provided on the basis of actuarial valuation.

B. Earned Leave Encashment

The company has defined benefit leave encashment plan for its Employees. Under this plan they are entitled to encashment of earned leaves subject to certain limits and other conditions specified for the same. The liability towards leave encashment has been provided on the basis of actuarial valuation.

C. Half Pay Leave Encashment

The company has defined benefit leave encashment plan for its Employees. Under this plan they are entitled to encashment of half pay leaves subject to certain limits and other conditions specified for the same. The liability towards leave encashment has been provided on the basis of actuarial valuation.

D. Retired Employee Health Scheme:

The Company has formulated Post Retirement Medical Scheme, under which retired employee and their spouse are provided medical facilities in the company hospitals/empanelled hospitals which is under the approval of Ministry of New & Renewable Energy (MNRE), the Administrative Ministry. They can also avail treatment as Out-Patient subject to a ceiling fixed by the company. The liability towards the Post-Retirement medical expenses has been provided on the basis of actuarial Valuation pending approval from MNRE.

E. Post-Retirement Superannuation Benefits

DPE Guidelines on Revision of Pay Scales (IDA Patterns) of employees include a provision for providing superannuation benefits upto 30% of Basic Pay & DA which include CPF, Gratuity, Post superannuation medical facilities and Pension. As per guidelines, the CPSEs are to make their own schemes in this regard. The Corporation has formulated the scheme for post-retirement benefits of pension and medical facilities and pending approval of the scheme from Administrative Ministry i.e. MNRE, provision of Rs. 37,51,409/- (Previous Year Rs. 27,54,150/-) has been made during the year.

कंपनी ने निम्नलिखित लाभों के लिए प्रावधान किए हैं :

(रुपए में)

क्र.सं.	विवरण	2014–15	2013–14
1.	निश्चित अंशदान योजना-पीएफ	30,61,400	23,09,860
2.	निश्चित लाभ योजना–उपदान	8,40,690	7,10,640
3.	निश्चित लाभ योजना-पीआरएमएफ	3,30,037	2,04,818
4.	निश्चित अंशदान योजना- पेंशन	34,21,372	25,49,332
	(2,55,11,663 = मूल वेतन+ महंगाई भत्ता) X 30% (पिछले वर्ष 1,92,48,835)= मूल वेतन+महंगाई भत्ता X 30%)	**76,53,499**	**57,74,650**

च. इस समाप्त हुए वर्ष के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त महत्वपूर्ण पूर्वानुमान

क. आर्थिक पूर्वानुमान

क्र. सं.	विवरण	अर्जित छुट्टी, अर्द्ध–वेतन छुट्टी और सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	
		2014–15	2013–14
i)	रियायती दर	8.00	8.50
ii)	भविष्य में वेतन वृद्धि	6.00	6.50
iii)	योजना परिसम्पत्तियों पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	0.00	0.00

ख. डेमोग्राफिक पूर्वानुमान

i)	सेवानिवृत्ति आयु (वर्ष)	60	60
ii)	मृत्यु दर सारणी	आईएएलएम (2006-08)	
iii)	आयु	प्रत्याहरण दर (%)	
	30 वर्ष तक	3	3
	31 से 44 वर्ष तक	2	2
	44 वर्ष से अधिक	1	1

लाभ और हानि विवरण तथा तुलन–पत्र में उल्लिखित विभिन्न विहित लाभों की संक्षेप में स्थिति निम्नानुसार है :

i. 31-03-2015 की स्थिति के अनुसार देयता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन–छुट्टी (रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	अर्जित छुट्टी		अर्द्ध–वेतन छुट्टी	
		2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
क)	अवधि की शुरुआत में देयता का मौजूदा मूल्य	27,12,996	3,94,186	11,93,552	1,80,984
ख)	अधिग्रहण समायोजन	74,029	–	26,488	–
ग)	ब्याज लागत	2,30,605	31,535	1,01,452	14,479

The company has provided for the following benefits:

(In Rs.)

Sl.No.	Particulars	2014-15	2013-14
1.	Defined Contribution Plan - PF	30,61,400	23,09,860
2.	Defined Benefit Plan- Gratuity	8,40,690	7,10,640
3.	Defined Contribution Plan - PRMF	3,30,037	2,04,818
4.	Defined Contribution Plan - Pension	34,21,372	25,49,332
	(2,55,11,663 = Basic + D.A) X 30% (Previous Year 1,92,48,835) = Basic +D.A. X 30%)	**76,53,499**	**57,74,650**

F. Key principal assumptions used for Actuarial Valuation for the year ended are:

a) Economic Assumptions

S. N.	Particulars	Earned Leave, Half Pay Leave & Post-Retirement Medical Benefits.	
		2014-15	2013-14
i)	Discounting Rate	8.00	8.50
ii)	Future salary Increase	6.00	6.50
iii)	Expected Rate of return on plan assets	0.00	0.00

b) Demographic Assumption

i)	Retirement Age (Years)	60	60
ii)	Mortality Table	IALM (2006-08)	
iii)	Ages	Withdrawal Rate (%)	
	Up to 30 Years	3	3
	From 31 to 44 years	2	2
	Above 44 years	1	1

The summarized position of various defined benefits recognized in the statement of Profit & Loss and Balance Sheet are as under:-

i. Change in present value of obligation as on 31/03/2015 -LEAVE (In Rs.)

S. No.	Particulars	Earned Leave		Half Pay Leave	
		2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
a)	Present value of obligation as at the beginning of the period	27,12,996	3,94,186	11,93,552	1,80,984
b)	Acquisition adjustment	74,029	–	26,488	–
c)	Interest cost	2,30,605	31,535	1,01,452	14,479

घ)	पिछली सेवा लागत	–	–	–	–
ङ)	वर्तमान सेवा लागत	25,56,710	23,08,212	10,48,759	10,51,472
च)	कटौती छूट लागत (क्रेडिट)	–	–	–	–
छ)	निपटान लागत (क्रेडिट)	–	–	–	–
ज)	प्रदत्त लाभ	(2,73,010)	–	–	–
झ)	देयता पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	(3,22,727)	(20,937)	(3,84,018)	(53,383)
ञ)	अवधि के अंत में देयता का मौजूदा मूल्य	49,78,603	27,12,996	19,86,233	11,93,552

d)	Past service cost	–	–	–	–
e)	Current service cost	25,56,710	23,08,212	10,48,759	10,51,472
f)	Curtailment cost/ (Credit)	–	–	–	–
g)	Settlement cost/ (Credit)	–	–	–	–
h)	Benefits paid	(2,73,010)	–	–	–
i)	Actuarial (gain)/loss on obligation	(3,22,727)	(20,937)	(3,84,018)	(53,383)
j)	Present value of obligation as at the end of period	49,78,603	27,12,996	19,86,233	11,93,552

ii. दिनांक 31/03/2015 को स्थिति के अनुसार तुलन पत्र में उल्लिखित धनराशि और संबंधित विश्लेषण–छुट्टी

(रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	अर्जित छुट्टी		अर्द्ध वेतन छुट्टी	
		2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
क)	अवधि के अंत तक देयता का मौजूदा मूल्य.	49,78,603	27,12,996	19,86,233	11,93,552
ख)	अवधि के अंत में योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	–	–	–	–
ग)	वित्तपोषित स्थिति	(49,78,603)	(27,12,996)	(19,86,233)	(11,93,552)
घ)	अनुमानित की तुलना में वास्तविक अधिक	–	–	–	–
ङ)	अनभिज्ञात बीमांकिक (लाभ) / हानि	–	–	–	–
च)	तुलन पत्र में उल्लिखित निवल संपत्तियाँ / (देयता)	(49,78,603)	(27,12,996)	(19,86,233)	(11,93,552)

ii. The amounts to be recognized in balance sheet and related analysis as on 31/03/2015 -LEAVE

(In Rs.)

S. N.	Particulars	Earned Leave		Half Pay Leave	
		2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
a)	Present value of obligation as at the end of the period	49,78,603	27,12,996	19,86,233	11,93,552
b)	Fair value of plan assets as at the end of the period	–	–	–	–
c)	Funded status	(49,78,603)	(27,12,996)	(19,86,233)	(11,93,552)
d)	Excess of actual over estimated	–	–	–	–
e)	Unrecognized actuarial (gains)/losses	–	–	–	–
f)	Net asset/ (liability) recognized in balance sheet	(49,78,603)	(27,12,996)	(19,86,233)	(11,93,552)

iii. दिनांक 31/03/2015 को स्थिति के अनुसार लाभ तथा हानि के विवरण में उल्लिखित व्यय

(रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	अर्जित छुट्टी		अर्द्ध वेतन छुट्टी	
		2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
क)	वर्तमान सेवा लागत	25,56,710	23,08,212	10,48,759	10,51,472
ख)	पिछली सेवा लागत	–	–	–	–
ग)	ब्याज लागत	2,30,605	31,535	1,01,452	14,479
घ)	योजना परिसम्पत्तियों पर प्रत्याशित रिटर्न	–	–	–	–
ङ)	कटौती–छंटौती लागत / (क्रेडिट)	–	–	–	–
च)	निपटान लागत / (क्रेडिट)	–	–	–	–
छ)	अवधि में अभिनिर्धारित निवल बीमांकिक (लाभ) / हानि	(3,22,727)	(20,937)	(3,84,018)	(53,383)
ज)	लाभ और हानि विवरण में अभिनिर्धारित व्यय	24,64,588	23,18,810	7,66,193	10,12,568

iv. 31/03/2015 को स्थिति के अनुसार देयता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन–पीआरएमबी और उपदान

(रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	सेवा–निवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ		उपदान	
		2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
क)	अवधि के आरंभ में देयता का वर्तमान मूल्य	2,96,400	91,582	8,95,110	1,84,470
ख)	अधिग्रहण समायोजन	–	–	–	–
ग)	ब्याज लागत	25,194	7,327	76,084	14,758
घ)	पिछली सेवा लागत	–	–	–	–
ङ)	वर्तमान सेवा लागत	2,99,428	2,25,503	8,25,531	6,75,669
च)	कटौती छंटौती लागत (क्रेडिट)	–	–	–	–
छ)	निपटान लागत (क्रेडिट)	–	–	–	–
ज)	दिए गए लाभ	–	–	–	–
झ)	देयता पर वास्तविक (लाभ) / हानि	5,415	(28,012)	(60,925)	20,213
ञ)	अवधि के अंत में देयता का वर्तमान मूल्य	6,26,437	2,96,400	17,35,800	8,95,110

iii. Expense recognized in the Statement of Profit and Loss as on 31/03/2015- LEAVE

(In Rs.)

Sr. No.	Particulars	Earned Leave		Half Pay Leave	
		2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
a)	Current service cost	25,56,710	23,08,212	10,48,759	10,51,472
b)	Past service cost	–	–	–	–
c)	Interest cost	2,30,605	31,535	1,01,452	14,479
d)	Expected return on plan assets	–	–	–	–
e)	Curtailment cost / (Credit)	–	–	–	–
f)	Settlement cost/ (credit)	–	–	–	–
g)	Net actuarial (gain)/ loss recognized in the period	(3,22,727)	(20,937)	(3,84,018)	(53,383)
h)	Expenses recognized in the statement of profit & losses	24,64,588	23,18,810	7,66,193	10,12,568

IV. Change in present value of obligation as on 31/03/2015-PRMB & Gratuity

(In Rs)

Sr. No.	Particulars	Post-Retirement Medical Benefits		Gratuity	
		2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
a)	Present value of obligation as at the beginning of the period	2,96,400	91,582	8,95,110	1,84,470
b)	Acquisition adjustment	–	–	–	–
c)	Interest cost	25,194	7,327	76,084	14,758
d)	Past service cost	–	–	–	–
e)	Current service cost	2,99,428	2,25,503	8,25,531	6,75,669
f)	Curtailment cost /(Credit)	–	–	–	–
g)	Settlement cost/(Credit)	–	–	–	–
h)	Benefits paid	–	–	–	–
i)	Actuarial (gain)/loss on obligation	5,415	(28,012)	(60,925)	20,213
j)	Present value of obligation as at the end of period	6,26,437	2,96,400	17,35,800	8,95,110

v. 31/03/2015 को स्थिति के अनुसार तुलन पत्र में उल्लेख की जाने वाली धनराशि और संबंधित विश्लेषण–पीआरएमबी तथा उपदान

(रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	सेवा-निवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ		उपदान	
		2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
क)	अवधि के अंत में दायित्व का मौजूदा मूल्य	6,26,437	2,96,400	17,35,800	8,95,110
ख)	अवधि के अंत में योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	–	–	–	–
ग)	वित्तपोषित स्थिति	(6,26,437)	(2,96,400)	(17,35,800)	(8,95,110)
घ)	अनुमानित की तुलना में वास्तविक अधिक	–	–	–	–
ङ)	अनभिज्ञात बीमांकिक (लाभ)/हानि	–	–	–	–
च)	तुलन पत्र में उल्लिखित निवल संपत्ति/(देयता)	(6,26,437)	(2,96,400)	(17,35,800)	(8,95,110)

iv. 31/03/2015 को स्थिति के अनुसार लाभ और हानि विवरण में उल्लिखित व्यय . पीआरएमबी तथा उपदान

(रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	सेवा-निवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ		उपदान	
		2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
क)	वर्तमान सेवा लागत	2,99,428	2,25,503	8,25,531	6,75,669
ख)	पिछली सेवा लागत	–	–	–	–
ग)	ब्याज लागत	25,194	7,327	76,084	14,758
घ)	योजना परिसम्पत्तियों पर प्रत्याशित रिटर्न	–	–	–	–
ङ)	कटौती लागत/(क्रेडिट)	–	–	–	–
च)	निपटान लागत/(क्रेडिट)	–	–	–	–
छ)	अवधि में अभिनिर्धारित निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	5,415	(28,012)	(60,925)	20,213
ज)	लाभ और हानि विवरण में अभिनिर्धारित व्यय	3,30,037	2,04,818	8,40,690	7,10,640

v. The amounts to be recognized in balance sheet and related analysis as on 31/03/2015- PRMB & Gratuity

(In Rs.)

Sr No.	Particulars	Post-Retirement Medical Benefits		Gratuity	
		2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
a)	Present value of obligation as at the end of the period	6,26,437	2,96,400	17,35,800	8,95,110
b)	Fair value of plan assets as at the end of the period	–	–	–	–
c)	Funded status	(6,26,437)	(2,96,400)	(17,35,800)	(8,95,110)
d)	Excess of actual over estimated	–	–	–	–
e)	Unrecognized actuarial (gains)/losses	–	–	–	–
f)	Net asset/ (liability) recognized in balance sheet	(6,26,437)	(2,96,400)	(17,35,800)	(8,95,110)

vi.Expense recognized in the Statement of Profit and Loss as on 31/03/2015- PRMB & Gratuity

(In Rs.)

Sr No.	Particulars	Post-Retirement Medical Benefits		Gratuity	
		2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
a)	Current service cost	2,99,428	2,25,503	8,25,531	6,75,669
b)	Past service cost	–	–	–	–
c)	Interest cost	25,194	7,327	76,084	14,758
d)	Expected return on plan assets	–	–	–	–
e)	Curtailment cost / (Credit)	–	–	–	–
f)	Settlement cost / (credit)	–	–	–	–
g)	Net actuarial (gain)/ loss recognized in the period	5,415	(28,012)	(60,925)	20,213
h)	Expenses recognized in the statement of profit & losses	3,30,037	2,04,818	8,40,690	7,10,640

2.5 'खंडवार सूचना' पर लेखाकरण मानक (एएस)—17 के अनुसार प्रकटीकरण

कंपनी का एक उल्लेखनीय खंड है और तदनुसार खंडवार सूचना लागू नहीं होती।

2.6 'संबंधित पक्ष प्रकटीकरण' पर लेखाकरण मानक (एएस) 18 के अनुसार प्रकटीकरण

'संबंधित पक्ष प्रकटीकरण' पर लेखाकरण मानक (एएस)—18 द्वारा यथापेक्षित संबंधित पक्षकारों के साथ लेन—देन के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

क) संबंधित पक्षकार

(i) मुख्य प्रबंधन कार्मिक

नाम	पदनाम
डॉ. अश्विनी कुमार	प्रबंध निदेशक
श्री राकेश कुमार	निदेशक (विद्युत प्रणाली)
श्री सी. कन्नन	निदेशक (वित्त)
श्री राजीव भारद्वाज	निदेशक (मानव संसाधन)
श्री राजेंद्र निमजे	प्रबंध निदेशक*

*11 दिसंबर, 2014 तक

(ii) निम्नलिखित के साथ संयुक्त उद्यम :-
आंध्र प्रदेश सोलर पावर कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड

ख) उपर्युक्त (ii) पर उल्लिखित संबंधित पक्षकारों के साथ लेन-देन निम्नानुसार है :

क्र. सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष (रुपए)	पिछला वर्ष (रुपए)
(i)	कंपनी द्वारा प्राप्त सेवाओं के लिए निर्माण कार्यों/सेवाओं के लिए ठेके	शून्य	शून्य
(ii)	प्राप्त सेवाओं/निर्माण कार्यों के लिए ठेकों के लिए वसूली योग्य धनराशि	शून्य	शून्य
(iii)	प्राप्त सेवाओं/निर्माण कार्यों के लिए ठेकों के लिए देय धनराशि	शून्य	शून्य
(iv)	किया गया इक्विटी अंशदान	5,00,000	शून्य

ग) वर्ष के लिए मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को पारिश्रमिक 1,78,89,166/- रुपए है (पिछले वर्ष : 1,54,77,811 रुपए)

(रुपए में)

मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को प्रबंधकीय पारिश्रमिक	31.03.2015	31.03.2014
श्री राजेंद्र निमजे (11.12.2014 तक)	24.60.360	16.30.875
डॉ. अश्विनी कुमार	37.32.942	34.95.078
श्री राकेश कुमार	34.27.023	31.68.998
श्री सी. कन्नन	38.36.462	34.98.132
श्री राजीव भारद्वाज	44.32.379	36.84.728
कुल	1,78,89,166	1,54,77,811

2.5 Disclosure as per Accounting Standard (AS)-17 on 'Segment Reporting'

The Company has one reportable segment and accordingly segment reporting is not applicable.

2.6 Disclosure as per Accounting Standard (AS)-18 on 'Related Party Disclosures'

As required by Accounting Standard (AS)-18 'Related Party disclosure', details of transaction with related parties are:

a) Related Parties:

(i) Key Management Personnel:

Name	Designation
Dr. Ashvini Kumar	Managing Director
Shri Rakesh Kumar	Director (Power Systems)
Shri C. Kannan	Director (Finance)
Shri Rajeev Bhardwaj	Director (Human Resources)
Shri Rajendra Nimje	Managing Director*

*Upto 11th December, 2014

(ii) Joint venture with:-
Andhra Pradesh Solar Power Corporation Private Limited

b) Transactions with the related parties at (ii) above are as follows:

S. N.	Particulars	Current Year (Rs)	Previous Year (Rs)
(i)	Contracts for works /services for services received by the Company	Nil	Nil
(ii)	Amount recoverable for contracts for works/ services received	Nil	Nil
(iii)	Amount payable for contracts for works /services received	Nil	Nil
(iv)	Equity contributions made	5,00,000	NIL

c) Remuneration to key management personnel for the year is Rs 1,78,89,166/- (Previous year: Rs. 1,54,77,811).

(In Rs.)

Managerial remuneration to Key Management Personnel	31-03-2015	31-03-2014
Shri Rajendra Nimje (upto 11.12.2014)	24,60,360	16,30,875
Dr. Ashvini Kumar	37,32,942	34,95,078
Shri Rakesh Kumar	34,27,023	31,68,998
Shri C.Kannan	38,36,462	34,98,132
Shri Rajeev Bhardwaj	44,32,379	36,84,728
Total	1,78,89,166	1,54,77,811

2.7 निष्पादित होने तक पूंजीगत वचनबद्धताएं 61,23,58,766/- रुपए हैं (पिछले वर्ष 105,62,20,088/- रुपए)।

2.8 'पट्टों' पर लेखाकरण मानक (एएस)–19 के अनुसार प्रकटीकरण

कर्मचारियों, कार्यालयों और गेस्ट हाउस के आवासीय उपयोग के लिए परिसरों के संचालित पट्टों के संबंध में कंपनी में महत्वपूर्ण पट्टा व्यवस्थाएं हैं। पट्टे पर देने की व्यवस्थाएं, जो कि गैर–निरसन योग्य नहीं हैं, आम तौर पर परस्पर लाभ खर्चों द्वारा नवीकरणीय होती हैं, उनमें 5,57,34,335/- रुपए (पूर्व वर्ष में 2,94,33,394/- रुपए) आवासीय उपयोग के कर्मचारियों के लिए परिसरों के संबंध में पट्टा भुगतान और शुद्ध वसूली शामिल है। कार्यालयों और गेस्ट हाउसों के परिसरों के संबंध में पट्टा भुगतान 'किराया' के अधीन शामिल है।

2.9 प्रति शेयर अर्जन (EPS) पर लेखाकरण मानक (एएस)–20 के अनुसार प्रकटीकरण

प्रति शेयर अर्जन (मूल और तनुकृत) की गणना करने के लिए माने गए घटक निम्नानुसार हैं :–

(रुपए में)

क.	विवरण	2014-2015	2013-2014
क.	इक्विटी शेयरधारकों के लिए उपलब्ध निवल लाभ	10,59,70,028	(2,84,55,511)
ख.	ईपीएस की गणना करने के लिए भाजक के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की संख्या	7,82,868	3,63,041
ग.	डीईपीएस की गणना करने के लिए भाजक के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की संख्या	7,86,186	3,63,041
घ.	प्रत्येक 1000 रुपए के अंकित मूल्य के प्रति शेयर मूल अर्जन (पिछले वर्ष प्रत्येक 1000 रुपए का अंकित मूल्य)	135.36	(78.38)
ङ.	प्रत्येक 1000 रुपए के अंकित मूल्य के प्रति शेयर तनुकृत अर्जन (पिछले वर्ष प्रत्येक 1000 रुपए का अंकित मूल्य)	134.79	(78.38)

प्रति शेयर मूल अर्जन के लिए ब्यौरा निम्नानुसार है :

आबंटित किए गए शेयरों की संख्या	आबंटन की तारीख	वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन	दिनों की संख्या	दिनों की कुल संख्या	समतुल्य शेयर
क	ख	ग	घ = (ग - ख)	ङ	कX(घ/ङ)
4,20,000	पिछले वर्ष	31-03-2015	365	365	4,20,000
3,16,700	11-06-2014	31-03-2015	294	365	2,55,095
1,31,600	12-09-2014	31-03-2015	201	365	72,470
1,65,200	13-01-2015	31-03-2015	78	365	35,303
10,33,500				कुल (च)	7,82,868
				वर्ष के दौरान आय (रुपए में)(छ)	10,59,70,028
				प्रति शेयर मूल ईपीएस (रुपए में) (छ/च)	135.36

2.7 Capital commitments pending execution is Rs. 61,23,58,766/- (Previous Year Rs. 105,62,20,088/-).

2.8 Disclosure as per Accounting Standard (AS)-19 on 'Leases'

The Company's significant leasing arrangements are in respect of Operating leases of premises for residential use of employees offices & guesthouse. These leasing arrangements which are not non-cancellable, are usually renewable by mutual benefits expense include Rs. 5,57,34,335/- (Previous year Rs. 2,94,33,394/-) towards lease payments, net of recoveries in respect of premises for residential use employees. Lease payments in respect of premises for offices & guest house included under Rent.

2.9 Disclosure as per Accounting Standard (AS)-20 on 'Earnings per Share (EPS)'

The elements considered for calculation of Earnings per Share (Basic and Diluted) are as under:

(In Rs.)

S.	Particulars	2014-2015	2013-2014
a.	Net Profit available for Equity Shareholders	10,59,70,028	(2,84,55,511)
b.	Number of Equity Shares used as denominator for calculation of EPS	7,82,868	3,63,041
c.	Number of Equity Shares used as denominator for calculation of DEPS	7,86,186	3,63,041
d.	Basic Earning per Share of face value of Rs.1000/- each (previous year face value of Rs. 1000/-each)	135.36	(78.38)
e.	Diluted Earning per Share of face value of Rs. 1000/- each (previous year face value of Rs. 1000/- each)	134.79	(78.38)

The details are hereunder for Basic Earnings per Share:

No. of Share Allotted	Date of Allotment	Last Date of FY	No. of Days	Total No. of days	Equivalent Shares
A	B	C	D= (C-B)	E	A X(D/E)
4,20,000	Last Year	31-03-2015	365	365	4,20,000
3,16,700	11-06-2014	31-03-2015	294	365	2,55,095
1,31,600	12-09-2014	31-03-2015	201	365	72,470
1,65,200	13-01-2015	31-03-2015	78	365	35,303
10,33,500				Total (F)	7,82,868
				Income during the year (In Rs.) (G)	10,59,70,028
				Basic EPS Per share (In Rs.) (G/F)	135.36

प्रति शेयर तनुकृत अर्जन के लिए ब्यौरा निम्नानुसार है:

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
इक्विटी शेयर	4,20,000	31-03-2014	31-03-2015	365	365	4,20,000
इक्विटी शेयर	3,16,700	11-06-2014	31-03-2015	294	365	2,55,095
इक्विटी शेयर	1,31,600	12-09-2014	31-03-2015	201	365	72,470
इक्विटी शेयर	1,65,200	13-01-2015	31-03-2015	78	365	35,301
[illegible]	86,500	18-03-2015	31-03-2015	14	365	3,318
	11,20,000				कुल (F)	7,86,186
					वर्ष के दौरान आय (रुपए में) (G)	10,59,70,028
					प्रति शेयर [illegible] (रुपए में) (G/F)	134.79

The details are hereunder for Diluted Earnings per Share:

Particulars	No. of Shares	Date Of Allotment	Last Date of FY	No. Of days	Total No. of Days	Equivalent Shares
	A	B	C	D= (C-B)	E	A * (D/E)
Equity shares	4,20,000	31-03-2014	31-03-2015	365	365	4,20,000
Equity shares	3,16,700	11-06-2014	31-03-2015	294	365	2,55,095
Equity shares	1,31,600	12-09-2014	31-03-2015	201	365	72,470
Equity shares	1,65,200	13-01-2015	31-03-2015	78	365	35,301
Share Application Money Pending Allotment	86,500	18-03-2015	31-03-2015	14	365	3,318
	11,20,000				Total (F)	7,86,186
					Income during the year (In Rs.) (G)	10,59,70,028
					Diluted EPS Per share (In Rs.)(G/F)	134.79

2.10 'आस्थगित कर परिसम्पत्तियां' (निवल) पर लेखाकरण मानक (एएस)–22 के अनुसार प्रकटीकरण

(रुपए में)

निम्नलिखित के कारण आस्थगित कर परिसम्पत्तियां / (देयताएं)	31 मार्च, 2015 को स्थिति के अनुसार राशि	31 मार्च, 2014 को स्थिति के अनुसार राशि
मूल्यह्रास	शून्य	(11,89,145)
प्रोद्भूत उपदान, छुट्टी नकदीकरण और सेवानिवृत्ति लाभों के लिए प्रावधान	शून्य	24,15,472
हानियों के कारण	शून्य	1,19,98,027
कुल	शून्य	1,32,24,354

वर्ष के दौरान अर्जित लाभ के कारण आस्थगित कर मान्य नहीं है और कोई हानि अग्रेनीत नहीं की गई है।

2.10 Disclosure as per Accounting Standard (AS)-22 on 'Deferred Tax Assets' (Net)

(In Rs.)

Deferred Tax Assets / (Liabilities) on Account of	As at 31st March 2015 Amount	As at 31st March 2014 Amount
Depreciation	Nil	(11,89,145)
Accrued Gratuity, Leave Encashment and Retirement Benefit provision	Nil	24,15,472
On Account of Losses	Nil	1,19,98,027
Total	**Nil**	**1,32,24,354**

Deferred Tax is not recognized on account of profits earned during the year and there are no carry forward of any losses.

2.11 'संयुक्त उद्यम में ब्याज की वित्तीय सूचना' पर लेखाकरण मानक (एएस)–27 के अनुसार प्रकटीकरण

कंपनी	निम्न तारीख को स्थिति के अनुसार स्वामित्व ब्याज का अनुपात (शेयर आवेदन धनराशि को छोड़कर)	
	31-03-2015 (% में)	31-03-2014 (% में)
भारत में निगमित संयुक्त उद्यम - आंध्र प्रदेश सोलर पावर कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	50.00	शून्य

2.11 Disclosure as per Accounting Standard (AS)-27 on 'Financial Reporting of Interest in Joint Ventures'

Company	Proportion of Ownership interest as at (excluding Share Application Money)	
	31-03-2015 (in %)	31-03-2014(in %)
Joint venture incorporated in India-Andhra Pradesh Solar Power Corporation Private Limited	50.00	Nil

31 मार्च, 2015 को स्थिति के अनुसार कंपनी का परिसम्पत्तियों, देयताओं, आकस्मिक देयताओं और पूंजीगत वचनबद्धता तथा बिना लेखापरीक्षा के लेखों के आधार पर संयुक्त उद्यम संगठनों के संबंध में वर्ष के लिए आय और व्यय नीचे दिया गया है :

(रुपए में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
क. परिसम्पत्तियां		
• गैर–वर्तमान परिसम्पत्तियां	73,38,700	शून्य
• वर्तमान परिसम्पत्तियां	60,84,10,902	शून्य
कुल		

The Company's share of the assets, liabilities, contingent liabilities and capital commitment as at 31st March 2015 and income and expenses for the year in respect of joint venture entities based on unaudited accounts are given below:

(In Rs.)

Particulars	31-03-2015	31-03-2014
A. Assets		
• Non current assets	73,38,700	Nil
• Current assets	60,84,10,902	Nil
Total		

ख. देयताएं		
• गैर–वर्तमान देयताएं	शून्य	शून्य
• वर्तमान देयताएं	12,47,751	शून्य
कुल		
ग. आकस्मिक देयताएं	शून्य	शून्य
घ. पूंजीगत वचनबद्धताएं	शून्य	शून्य
ङ. आय	25,62,851	शून्य
च. व्यय	13,67,140	शून्य

2.12 'सम्पत्तियों की हानि' पर लेखाकरण मानक (एस)–28 के अनुसार प्रकटीकरण

प्रबंधन के मत में वर्ष के दौरान सम्पत्तियों की किसी महत्वपूर्ण हानि की कोई सूचना नहीं है। अतः वर्ष के दौरान कोई हानि नहीं है।

2.13 आकस्मिक देयताएं शून्य हैं (पिछले वर्ष 1,11,74,849 रुपए)।

2.14 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 द्वारा यथापेक्षित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों के संबंध में 31 मार्च, 2015 को स्थिति के अनुसार सूचना

क्र सं.	विवरण	राशि (रुपए में)	
		31-03-2015	31-03-2014
क)	किसी भी आपूर्तिकर्ता को अदा न की गई शेष राशि	शून्य	शून्य
	मूलधन	99,59,741	शून्य
	उस पर देय ब्याज	शून्य	शून्य
ख)	निर्धारित तारीख के बाद आपूर्तिकर्ता को अदा की गई राशि के साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम की धारा 16 के अनुसार अदा किए गए ब्याज की राशि	शून्य	शून्य
ग)	भुगतान करने में विलम्बित अवधि के लिए देय राशि (जिसका भुगतान कर दिया गया है, लेकिन निर्धारित तारीख के बाद) लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम के अधीन ब्याज को जोड़े बिना	शून्य	शून्य
घ)	प्रोद्भूत ब्याज और अदा न की गई शेष राशि	शून्य	शून्य
ङ.)	शेष देय ब्याज की राशि और अनुवर्ती वर्षों में उस तारीख तक देय राशि जब उपरोक्त दिए गए अनुसार ब्याज के बकाया को सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य ब्याज के रूप में अस्वीकृति के प्रयोजन के लिए छोटे उद्यमियों को वास्तविक रूप से अदा किया जाता है।	शून्य	शून्य

B.	**Liabilities**		
•	Non current liabilities	Nil	Nil
•	Current liabilities	12,47,751	Nil
Total			
C.	**Contingent liabilities**	Nil	Nil
D.	**Capital commitments**	Nil	Nil
E.	**Income**	25,62,851	Nil
F.	**Expenses**	13,67,140	Nil

2.12 Disclosure as per Accounting Standard (AS)-28 on 'Impairment of Assets'

In the opinion of the management, there is no indication of any significant impairment of assets during the year. Thus, there is no impairment loss during the year.

2.13 Contingent Liabilities is NIL (Previous year Rs. 1,11,74,849)

2.14 Information in respect of micro and small enterprises as at 31st March 2015 as required by Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006

S. No.	Particulars	Amount (In Rs.)	
		31-03-2015	31-03-2014
a)	Amount remaining unpaid to any supplier:	Nil	Nil
	Principal amount	99,59,741	Nil
	Interest due thereon	Nil	Nil
b)	Amount of interest paid in terms of Section 16 of the MSMED Act along with the amount paid to the suppliers beyond the appointed day.	Nil	Nil
c)	Amount due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under the MSMED Act.	Nil	Nil
d)	Amount of interest accrued and remaining unpaid	Nil	Nil
e)	Amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprises, for the purpose of disallowances as a deductible expenditure under Section 23 of MSMED Act	Nil	Nil

2.15 निदेशक मंडल की बैठक में निदेशक मंडल के अनुमोदन के अनुसार निगम के पास उपलब्ध बचे हुए अतिरिक्त धन को इस उद्देश्य के लिए सरकारी दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अल्पकालिक जमा में आवधिक रूप से रखा गया।

2.16 बोर्ड के मत में, स्थायी परिसम्पत्तियों और गैर चालू निवेश को छोड़कर सभी परिसम्पत्तियों की कम से कम उस धनराशि, जिसका उन्होंने तुलन पत्र में उल्लेख किया है, जो व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में यदि प्राप्त होती, के कम से कम व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में प्राप्ति के मूल्य के बराबर है।

2.17 प्रचालन चक्र

कंपनी के कार्यकलापों के स्वरूप और परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण और नकद या नकद के समकक्ष उनकी प्राप्ति के बीच सामान्य समय के आधार पर, कंपनी ने अपनी परिसम्पत्तियों और देयताओं को चालू और गैर–चालू में वर्गीकरण करने के प्रयोजन के लिए 12 मास के रूप में अपना प्रचालन चक्र निर्धारित किया है।

2.18 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अन्य प्रकटीकरण

विवरण	वर्तमान वर्ष (रुपए)	पिछला वर्ष (रुपए)
विदेशी मुद्रा में व्यय		
स्थायी परिसम्पत्तियों की खरीद (सनआई 210 जीपीएस टूल)	2,92,462	2,36,268
यात्रा व्यय	7,84,455	91,555
प्रशिक्षण व्यय	1,27,731	-
कुल	**1,204,648**	**3,27,823**

2.19 पूर्व वर्ष के आंकड़ों को, जहां भी आवश्यक हो, पुनः व्यवस्थित और समूहित किया गया है ताकि उनकी चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलना हो सके।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

(एस. के. गुप्ता)	(सी. कन्नन)	(डॉ. अश्विनी कुमार)
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	प्रबंध निदेशक
सदस्यता सं. 10840	डी. आई. एन. सं. 06458185	डी. आई. एन. सं. 03547234

इसी तारीख की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

कृते सूद ब्रिज एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
एफ आर एन न. 00350 एन

(ए. के. सूद)
साझीदार
सदस्यता सं. 14372

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25 जून, 2015

2.15 In accordance with approval of the Board in its Board meeting, surplus un-disbursed funds available with the Corporation are placed periodically in short term deposits, taking into account the Government guidelines issued for the purpose.

2.16 In the opinion of the Board, all the assets other than Fixed Assets and Non-Current Investments have a value on realization in the ordinary course of business at least equal to the amount at which they are stated in the Balance Sheet if realized in the ordinary course of business.

2.17 Operating Cycle

Based on the nature of activities of the Company and the normal time between acquisition of assets and their realization in cash or cash equivalents, the Company has determined its operating cycle as 12" months for the purpose of classification of its assets and liabilities as current and non-current.

2.18 Other disclosures as per Schedule III of the Companies Act, 2013

Particulars	Current year (Rs.)	Previous year (Rs.)
Expenditure in Foreign Currency		
Purchase of Fixed Assets (SunEye 210 GPS Tool)	2,92,462	2,36,268
Travelling Expenditure	7,84,455	91,555
Training Expenses	1,27,731	-
Total	**1,204,648**	**3,27,823**

2.19 Previous year's figures have been rearranged or regrouped wherever necessary to make them comparable with the current year.

For and Behalf of Board of Directors

(S .K. Gupta)	(C. Kannan)	(Dr. Ashvini Kumar)
Company Secretary	Director Finance	Managing Director
Membership No. 10840	DIN No. 06458185	DIN No. 03547234

Signed in Terms of our Audit Report of Even Date

For Sood Brij & Associates
Chartered Accountants
FRN No. 00350N

(A.K. Sood)
Partner
Membership No 14372

Place: New Delhi
Date : 25 June, 2015